

असाधार्ए EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY,

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 1994/ग्रग्रहायण 2, 1916

No. 35] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 1994/AGRAHAYANA 2, 1916

ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 प्रकटूबर, 1994

संख्या एफ. 304-4/सी.गी.एफ./मार.ई.जी./94-मिखल भारतीय तकनीकी जिसा परिषद प्रधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52) की धारा 23 की उप धारा (1) के धन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते - हुर, मखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है:

- संक्षिप्त नाम भौर प्रारम्भ:—(1) इन विनियमों को मिखल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (नई तकनीकी संस्थाए खोलना, पाठपत्रमों या नए कार्यकर्मों को शरू करना धीर पाठयकर्मों या कार्यकर्मों में घनुमोदित प्रवेशायियों की जगहों की संख्या में बद्धि हेतु धनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 1994 कहा जाए।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
 - प्रयोज्यता:—ये विनियम निम्नितिखित प्रस्तावों पर लाग होंगे,
 - (क) विश्वविद्यालयों घौर विश्वविद्यालय विभागों घौर सम विश्व-विद्यालयों सहित नई तकनीकी सस्याम्रों की स्थापना हेतु परिषद् का मनुमोदन दिया जाना ; ग्रौर साथ ही उन तकनीकी मंस्याओं के लिए जो डिग्री ग्रीर डिप्लोमा स्तरों पर इन विनियमों के लाग होने की तिथि से कार्य कर रही हैं।
 - (स्) तकनीकी संस्थामों भीर विश्वविद्यालयों के तकनीकी विभागों या अ को शाक्यकम् या कार्यकम्

- (ग) परिषद् का बर्तमान प्रवेशार्थी संख्या तथा पाठ्यकर्मो ग्रीर कार्यकर्मो की वार्षिक प्रवेशायीं संख्या में वृद्धि हेतु प्रनुमोदन दिया जाना ।
- 3. परिमापाएं:--

इन विनियमों में यदि संदर्भ में ग्रन्यया ग्रपेक्षित न हों :

- (क) "ग्रधिनियम" का पर्य है प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् म्रिधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52)
- (ख) "स्पूरो म. म." का मर्य है परिषद् का मध्यन मंडल स्पूरो;
- (ग) "ब्यूरो मा. नि. जी.वि.' का मर्य है परिषष् का मानव शक्ति नियोजन भीर जीवन विकास न्यूरो ;
- (घ) "झ्यूरो मा. प्र." का प्रयं है परिषष् का मान्यता ग्रीर प्रत्यायन
- (ज) "झ्युरो से. स." का प्रयं है परिषद् का क्षेत्रीय समिति झ्यूरो ;
- (च) "परिषद्" का मर्थ है मधिनियम की धारा 3 के मंतर्गत स्थापित ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;
- (छ) "सम विश्वविद्यालय" का मर्घ है विश्वविद्यालय को छोड़कर उच्च शिक्षा की बह संस्था जिसे विश्वविद्यालय धनुदान भायोग प्रधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 3) की धाराँ 3 के प्रतर्गत ऐसा घोषित किया जा चुका है;
- (ज) "फार्म" का मर्य है वह फार्म जिसे इन विनियमों के साथ संलग्न किया गया है;
- (র) ''क्षेत्रीय कार्यालयं' का प्रयं है वह क्षेत्रीय कार्यालय जो परिषद ⊸ ने≋र्णकर रहा है:

- (হ্ন) "विश्वविद्यालय तकनीकी विभाग" का मर्प है संबंधित विश्वविद्यालय का वह विभाग जो "तकनीकी शिक्षा" पाठ्यत्रमों या कार्यक्रमों का संघालन करता है ।
- (ट) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे सभी शब्द भीर प्रभिष्यक्तियां जिन्हें यहां परिभावित नहीं किया गया है भीर जो प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् मधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52) में परिभावित हैं उनका भर्य वही रहेगा जो उन्हें पिधिनियम में दिया गया है;

4. पनुमोदन देने की मपेक्षा :

- (1) इन विनियमों के प्रारम्भ होने के बाद परिवद् के मनुमोदन के विना.
 - (क) कोई भी नई तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय तकनीकी विभाग नहीं खोला जाएगा; या
 - (छ) कोई भी पाठ्यकम या कार्यकम सम विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या कालेज सहित किसी तकनीकी संस्था, विश्वविद्यालय द्वारा शुरू नहीं किया जाएगा ; या
 - (ग) तकनीकी संस्थाएं, विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या कालेज डिग्री या डिप्लोमा पाठ्य-कमों या कार्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश जारी नहीं रखेगें:
 - (ध) प्रनुमोदित प्रवेशार्थी संख्या में कोई वृद्धि या मंतर गहीं किया जाएगा;
- (2) भनुमोदन प्राप्ति के लिए प्राप्टेदनपत निम्निलिखित में से किसी के द्वारा भी उप-विनियम (1) के म्रंतर्गत किए जा सकेंगे;
 - (i) सरकारी सस्थामों, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थामों, सम विश्वविद्यालयों भीर विश्वविद्यालय विभागों या कालेजों।
 - (ii) व्यावसायिक कालेजों के बारे में पंजीकृत सोसाटियां/ न्यास ।

5. धावेदन पत्नों के लिए फार्म:

- (1) कोई तकनीकी संस्था खोलने या इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तिथि से कार्य कर रही संस्थाओं के धनुमोदन के लिए या पाठ्यकम या कार्यक्रम गुरू करने के लिए या पाठ्यकमों में प्रवेशार्थियों की संस्था में वृद्धि करने के लिए हर धावेदन पत्र उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट फार्म में किया जाएगा और उसके साथ मांगे गए, इस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।
- . (2) (क) तकनीकी संस्था खोलने के लिए घावेदन पत्न फार्म-I में होगा।
 - (ख) इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तिथि से कार्य कर रही डिग्री स्तरीय संस्था के प्रनुमोदन के लिए ग्रावेदन पत्न फार्म-II में किया जाएगा।
 - (ग) इत विनियमों के प्रारम्भ होते की तिथि से कार्यकर रही डिप्लोमा स्तरीय संस्था के प्रनुमोदन के लिए प्रावेदन पत्र कार्म-III में किया जाएगा।
 - (घ) डिग्री स्तरीय संस्थाओं में मितिरिक्त पाठ्यकमों के शुरू करते या प्रवेशायियों की जगहों में वृद्धि करने के लिए प्रावेदन पत्र । कार्य-IV में किया जाएगा।

- (क) डिप्सोर्मा स्तरीय संस्थाओं में धितरियत पाट्यकम गृहः करने या प्रवेशापियों की जगहों में बृद्धि करने के लिए धावेदन पत्र कार्म-V में किया जाएगा।
- 6. मनुमोदन प्रदान करने की कतें :

निम्नितिवित गुर्ती को पूरा किए जाने पुर हर बाबेदनपत पर विनियम (4) के उप-विनियम (1) के पन्तर्गत विभार विया जाएगा --

- (1) वाषिक प्रादर्शी कुच की बहुन करने के लिए समय समय पर परिषद् हारा निर्धारित मानदेश और मानकों के प्रनुसार प्रावेदक को विकसित भूमि में निवेश तथा संबंधित प्राधारिक सेरवना और प्रनुदेशी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वितीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए;
- (ii) मूल्यांकित तकनीकी मानव शक्ति मांगों के प्रनुसार ही पाठ्यकम या कार्यकम संचालित किए जाएंगे।
- (iii) परिषद् के विनियमों और निदेशों के धनुमार प्रपनी-प्रपनी तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय में प्रवेश किए आएंगे।
- (iv) परिषद् द्वारा निर्मित प्रत्रिया के प्रस्तर्गत मानदंडों के मनुसार शिक्षा और प्रत्य शुरुक लिए जाएंगे।
- (y) समय-समय पर परिषद् द्वारा विक्रिंदिष्ट मानदंडों और मानकों के मनुसार स्टाफ की भर्ती की जाएगी।
- (vi) परिषद् द्वारा वितिदिष्ट मानदंशें के मनुसार प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं के लिए शासी निकाय होंगे।
 - (vii) समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिदिग्ट कोई मन्य शते।
- मावेदन पत्नों का प्रस्तुत करना :
- (1) मनुमोदन के लिए प्रत्येक ग्रावेदनपत्र, 6 म्रतिरिक्त प्रतियों के साथ और सभी दृष्टि से पूर्ण, 31 दिसम्बर तक परवर्ती गिक्षा वर्ष में प्रारम्भ करने हेनु प्रस्तावित संस्थाओं या पाध्यक्षमों के बारे में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) सरकारी संस्थाओं और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं से मनुमोदन के लिए प्रत्येक प्रार्थनापत्र संग्रीतित राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय/राज्य मंडल की संवदता-स्वीकृति के साथ क्षेत्रीय समिति स्यूरों को मेजा जाएगा।
- (3) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग या सम विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक मावेदनपत्न विश्वविद्यालय भनुदान ग्रायोग के माध्यम से प्रस्तृत किया जाएगा।
- (4) तकनीकी संस्थाएं जो इन विनियमों के प्रारम्भ होते की तिथि से कार्य कर रही हैं और साथ-साथ डिग्री या डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेंद्र या पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों और प्रवेशािषयों की संख्या के भनुमोदन संबंधी प्रत्येक प्रार्थनापत पंजीकृत सोमाइटी/त्याम की. स. ब्यूरो को मेनेगा और माय हो संबंधित राज्य मरकार, विज्वविद्यालय या राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल, जो भी लागू हो, और स्थिति भनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्य को भी भेजेगा।

प्रावेदनपत्रों की जांच :

- (1) क्षे.सं. व्यूरो हर घावेदनपत्र की प्राम्भिक जांच करेगा;
- (2) यदि क्षेत्रीय समिति व्यूरो विसी कारण पावेदनपत्न को प्रपूर्ण पाता हैतो यह ग्रावेदनपत्न की प्राप्ति के 15 दिनों के ग्रन्दर ग्रावेदक को ब्रुटियां बताते हुए सीटाएगा।
- (3) मानेदनपत्र के सभी दृष्टि से पूर्ण पाए जाने पर क्षेत्रीय समिति ब्यू विनियमों में तिनिदिष्ट पद्धति के मनुसार उसे संसाधित करेगा।

[भाग III-खण्ड 4] ...

- (4) उप-विनियम (3) में प्रांते बाले ग्रावेदनपत्रों पर हे. ग. ःयूरो निर्मालिखत से टिप्पणी/सिफारिशें मामंत्रित करेगा:
 - (i) संबंधित राज्य सरकार;
 - (ii) संबद्ध विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल
 - (iii) मा.ति.जी.वि. व्यूरो;
 - (iv) म. म. न्यूरो;
 - (v) मा.प्र. भ्यूरो;
 - (vi) क्षेत्रीय कार्यालय;
 - (5) उप-विनियम (2) के तहत परिषद् द्वार। गठित विशेषज्ञ समिति की यात्रा क्षेत्रीय कार्यालय विनियम 9 के उप-विनियम (2) के तहत व्यवस्थित करेगा और परिषद् के कार्यालय को क्षेत्रीय समिति की सिफारिकों म्रप्रेपित करेगा। ये सिफारिशें सामान्यतः 2 महीने के भीतर या परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रविध तक पहुंच जानी चाहिएं।
 - (6) विनियम 9 के उप-विनियम (4) के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति उप-विनियम (4) में उल्लिखित राज्य सरकार या ग्रन्थों की सिफारिशों पर विचार करेगी और केन्द्रीय कार्यवल को ग्रपनी मिफारिशें भेजेगी।
 - (7) विनियम 9 के उप-विनियम (5) के तहत गठित केन्द्रीय कार्यवल राज्य स्तरीय समिति की सिफारिकों पर विचार करेगा और प्रपती सिफारिशें परिषद् के सदस्य-मचित्र के पास भेजेगा।
 - (8) यदि राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या क्षेत्रीय समिति द्वारा को गई सिफारिशों में कोई मतभेद है तो केन्द्रीय कार्यवल मन्तिम सिफारिश करने से पहले संबंधित घमिकरणों के प्रतिनिधियों को फिर परामर्श के लिए पामंद्रित करेगा।
 - (9) केन्द्रीय कार्यबल की सिफारिश पर परिषद् घावेदनपत्र में वांजित ग्रनुमोदन देने के प्रश्न पर निर्णय सेगी;

परिषद् यथोचित प्रतिबंधों और संशोधनों के साप धनुमोदन प्रदान कर सकती है और इसके लिए उसे घावेदक को कारण सूचित करने होंगे।

- (10) परिषद् का निर्णय राज्य सरकार या विक्वविद्यालय धनुदान बायांग को, जैसी भी स्थिति हो, विश्वविद्यालय या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और मावेदक को 30 मर्पत तक सूचित किया जाएगा बशर्ते कि मावेदनपत्र गत 31 दिसम्बर से पहले किया गया है।
- (11) यदि परिषद् ने किसी ग्रावेदनपत्न को ग्रस्वीकार कर दिया ह तो ग्रावेदक को ग्रावेदनपत्न को ग्रस्वीकृत करने के कारण सूचित करने होंगे।
- (12) माबेदनपत्र की मस्बीकृति माबेदक को नए सिरे से मानामी शिक्षा वर्ष में प्रावेदन देने के लिए वंचित नहीं करेगी।
- (13) परिषद्, हर वर्ष, 31 दिसम्बर से पहले धनुमोदित तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों विभागों या सम विश्वविद्यालय के नाम, जो तकनीको शिक्षा में पाठ्यकमों का संचालन कर रहे हैं, परिषद् द्वारा बनुमोदित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम तथा स्वीकृत जगहीं की संख्या (वालिक प्रवेशार्थी संख्या) प्रकाशित करेगी। यह प्रकाशन-कार्य परिषद् प्रत्येक पार्य-कम या कार्यकम के लिए करेगी और संबंधित प्राधिकारियों को ६सके उद्धरण भी सूचित करेगी।
 - (14) उपविनियम (13) के तहत सूची के प्रकाशन के बाद प्रनृ-

किसी भी प्रकार के धावेदनपत्र की समय सारणी में परिवर्तन हेतु परिषद् को उचित और पर्याप्त कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

- 9. समितियां
- (1) इन विनियमों के धन्तर्गत बाबेदनपत्र संसाधित करने के लिए परिषद् निम्नलिखित समितियां मठित करेगी:
 - (1) विशेषज्ञ समिति
 - (2) राज्य स्तरीय समिति
 - (3) केन्द्रीय कार्यबल
- (2) विशेषज्ञ समिति परिषद् द्वारा क्षेत्रीय समिति के ग्राध्यक्ष की सलाह से गठित की जाएगी और उसमें संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधि, क्षेत्रीय मधिकारी या उसका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय या संबंधित गंडल का प्रतिनिधि और विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे।
- (3) उप-विनियम (2) के होते हुए भी भत्यावश्यक या विक्रिष्ट परिस्थितियों में भावेदनपत्नों के किसी विनिदिष्ट वर्गया श्रेणी पर विचार करने के लिए परिषद् के प्रघ्यक्ष कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर सकेंगे जिसमें परिषद् का प्रधिकारी सदस्य-सचित्र के रूप में रहेगा।
- (4) राज्य स्तरीय समिति में संबंधित क्षेत्रीय ममिति के प्रज्यक्ष, तकनोकी शिक्षा को देख रहे संबंधित राज्य सरकार के सचिव और संबंधित राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा के निदेशक, दो कुलपति, भारतीय प्रीग्रोगिकी संस्थान का एक निदेशक, कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य, विज्वविद्यालय धनुदान धायोग का प्रतिनिधि और शैक्षणिक संस्याओं और उद्योग से परिषद् के भ्रष्टयक्ष द्वारा नामित विशेषक्र सदस्य, सलाहकार (ग्र.म.), सलाहकार (मा.नि.जी.वि.), सलाहकार (मा.प्र.), और सलाहकार (क्षे.स.), क्षेत्रीय धिकारी, प्रमुख एन टी.एम धाई.एस. परियोजना, मानव संसाधन विकास मंद्रालय के तकनीकी ब्यूरो के प्रति-निधि और परिषद् द्वारा नामित कोई ग्रन्य सदस्य। प्रशिद्ध शिक्षाविद्/ उद्योगपति को परिषद् के मध्यक्ष द्वारा राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष नामित किया जाएगा और सलाहकार (क्षेत्र.स.) को परिषद् द्वारा इस समिति का सदस्य-सचिव नामित किया जाएगा।
 - (5) केन्द्रीय कार्यंवल-केन्द्रीय कार्यंवल में परिचर् की कार्यंकारिणी समिति के दो सदस्य, एक सैक्षिक योजनाकार/प्रशाहक, दो विनेपन सदस्य और एक न्यायपालिका का सदस्य होगा। केन्द्रीय कार्यवल की प्रध्यक्षता कार्यकारिणी समिति का सदस्य जिन्हें घष्ट्यक्ष नर्धमत करें, करेगा और परिषद् का वह सलाहकार केन्द्रीय कार्यवल का सदस्य-सचिव होगा, जिन्हें परिषद् नामित करे। उन्हीं विशेषक सदस्यों को नामित किया जाएना जो राज्य स्तरीय समिति के सदस्य न हों।
 - (6) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी परिषद् किसी भी ल्यक्ति या सदस्य को उपर्युक्त समितियों में सहयोजित कर सकती है।
 - (10.) व्याख्या
 - (1) इन विनियमों की अ्याख्या के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा।
 - (2) इन विनियमों के कार्यान्वयन में कियो प्रकार की शंका के निवारण के लिए स्पष्टीकरण जारी करने का परिषद् को प्रश्विकार प्राप्त होगा।
 - (11) छूट का प्रधिकार

(12) धनुमोदन का बापस लेना

यदि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग या सम विश्वविद्यालय या कालेज सहित कोई तकनीकी संस्था इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों का मनुपालन नहीं करती है तो परिषद् समुचित जांच-पड़ताल के बाद और संबंधित तकनीकी संस्थाओं को सुनने का मौका देकर इन विनियमों के धंधीन दिए गए धंपने धनुमोदन को वापस ले सकती है।

कृपया प्रमाणीकरण से पहले सारणी और फार्म लाएं।

वाई. एन. चतुर्वेदी. सदस्य-सचित्र

सारणी

[देखिए विनियम 8(15)]

भनुमोदनों के लिए भावेदन पत्नों के संसाधन की समय-सारणी और क्रम

	संसाधन का चरण	मन्तिम तिपि जब तक कि संसाधन-कार्य पूरा हो जाना चाहिए
 क्षे.स. न्यूरो के लिए (क्ष्ण) प्रस्तावों को जांचना राज्य मंडल, (iii) प्रभात हारा निरीक्षण के लिए य प्र.मं., और मा.प्र.। टिप्पणियां प्राप्त करना—सिफारिकों के साथ विशेषः 	ाप, द्वारा मावेदनपत्न प्राप्त करना । ह) भपूर्ण मावेदनपत्नों को लौटाना, और और टिप्पणियों के लिए मग्नेषित करना—(i) राज्य सरकार,(ii) विश्वविद्यालय/ शिप द्वारा गठित विशेषज्ञ निरोक्षण समिति को क्षेत्रीय मित्रकारी (क्षे.म.) हताएं व्यवस्थित करना और (iv) परिपद् के ब्यूरो मा.निं.जी.वि., (i) राज्य सरकार,(ii) विश्वविद्यालय/राज्य मंडल और (iii) क्षे.स. को ह निरोक्षण समिति को रिपोर्ट, (iv) परिपद् के ब्यूरो से। लयों/राज्य मंडलों, क्षेत्रीय समितियों और परिपद् के ब्यूरो से प्राप्त	31 दिसम्बर
. केन्द्रीय कार्यबल, धभातशिष . राज्य सरकार या विश्वविष् क्षेत्रीय कार्यालय, निदेशक मंडल को भी धवगत कराना	गलय मनुदान मायोग को मन्तिम निर्णय सूचित करना और पाय हो तकनीकी शिक्षा, सोसाइटीन्यास, विश्वविद्यालय स्टोर्टास करने कि	15 मप्रैल 3) जरेत

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

फार्म I

[देखिए, विनियम 5(2)(क)]

इंजीनियरो/प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मेसी, झनुप्रयुक्त कलाओं झादि में डिग्री/डिप्लोमा संस्था स्थापित करने हेतु मिखल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के झनुमोदनार्य झावेदन ।

इंजीनियरी/प्रौद्योगिको, वास्तुकला, फार्मेंसी, ग्रनुप्रयुक्त कलाओं भादि में डिग्री/डिप्लोमा संस्थाएं स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए हिदायतें।

- 1 (क) निर्धारित पार्म में तथा बिहित प्रक्रिया के प्रनुपार पूर्ण प्रावेदन पत्र की सात प्रतियां परिषद् के ब्यूरो (धार. सी.) को 31 दिसंबर तक प्रवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।
 - (ख) भ्रपूर्ण एवं निर्धारित फार्मेंट में प्रस्तुत न किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - (ग) जो प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होंगे किंतु जो व्यवस्थित रूप में होंगे उन पर भनुवर्ती ग्रीक्षक वर्ष में कार्रवाई की जाएगी।
 - (प) प्रस्ताव केवल ए-4 माकार में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बढ़े माकार वाले प्रलेखों का माकार घटाकर ए-4 कर दिया

- (इ) यदि द्यावेदक द्वारा दी गई सूचनाओं और विवरणों को गलत पाया जाएगा तो प्रावेदन पत्न को ग्रस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 2. प्रस्ताबित संस्था के उपयोगार्थ प्रपेक्षित मू-अंद्र होना चाहिए जिस पर राज्य प्राधिकरणों के नियमों के प्रनुसार सोसाइटी/न्यास/संस्था के नाम में स्पष्ट हकनामा या पंजीकृत पट्टानामा होना चाहिए।
- यदि सोसाइटी/न्यास/प्रस्ताबित संस्था के पास प्रपेक्षित भू-सेव नहीं होगा तो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगी।
- 4. मानेदक/सोसाइटो/न्यास/संस्था को मिलकर संस्था और संबंधित राज्य प्रा-धिकरण के नाम में एक प्रक्षयनिधि सृजित करनी चाहिए जिसकी राणि प्रधिकतम वार्षिक प्रक्षिप्त मावर्ती स्थय के 30 प्रतिशत या राज्य सरकार/संघ शासित केंद्र द्वारा निर्धारित राणि या ६. 10 लाख (इनमें जो भी ग्रधिक हो) ।
- 5. (क) घावेदन के समय, घावेदक/सोसाइटी/न्याए/संस्थान के पास किसी धनुसूचित बैंक में संस्था के नाम कम से कम 9 महीने से चालू बचत या साबधि जमा खाता (खाते) में परियोजना को कुल मनुमानित सागत के 10 प्रविचित पीच जमा होनी चाहिए।

कुल अनुमानित सागत के 10 प्रतिवर्त पात बमा होनी चाहिए।

(ख) प्रावेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था की कुल देपित संपतियों का प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहायता के प्रमानिक की वित्तीय व्यवहायता की प्रमानिक की वित्तीय व्यवहायता की प्रमानिक की वित्तीय व्यवहायता की वित्तीय व्यवहायता की प्रमानिक की वित्तीय व्यवहायता की वित्तीय व्यवहायता की वित्तीय व्यवहायता की व्यवहायता

 क्या घावेदक न्यास/सोसाइटी का राज्य सरकार या घांछल भारतीय तकनीकी परिषद् के विरुद्ध कोई ग्रदालती केस चल रहा है।यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।

4. शैक्षिक सूचना

4.1 शैक्षिक कार्यकम जिन्हें ग्रायोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

पाट्यकम का नाम	मवधि (वर्ष)	प्रवेश	प्रारंभ करने का वर्ष	प्रवेश स्तर
नेक्ट्रानिवस इंजीनियरी	4 या 3	60	1993-94	12 + या 10 +
प्रदूटर विज्ञान और इंजीनियरी	4 या 3	60	1993-94	12 + या 10 +
विक इंजीनियरी	4 या 3	60	1993-94	12+ या 10+

टिप्पणी: विभिन्न कालमों में दिए गए विषय और संब्याएं केवल उदाहरण के लिए हैं।

4. 2 कृपया उस पाठ्यचर्य और पाठ्य विवरण को प्रतियां नत्छो कर जिसका पालन संस्था द्वारा प्रत्येक प्रस्तावित पाठ्यकम के लिए किया जाएगा । साथ ही, शिक्षण एव परीक्षा स्कीम भी संलग्न करें।

5.0 क्या प्रस्ताव का समर्थन राज्य सरकार ने किया है?

ं यदि हां, तो राज्य सरकार के मिफारिशी/ब्रग्नेषण पत्र की प्रतिसंलग्न करें।

यदि नहीं तो उसके कारण दें (कृपया इस बात का ध्यान रखें कि डी टी ई या किसी मन्य निदेशक का पत्र हो पर्याप्त नहीं होगा)।

6.0 क्या प्रस्तावित पाठ्यकम (पाठ्यकमों) को म्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से संबंद करने के लिए संबंधक निकाय (संबंधित विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षा वोर्ड) की रजामंदी/सहमति प्राप्त कर ली गई 8?

यदि हां, तो रजामंदी/सहमति पत्र की एक प्रति संलग्न करें। यदि नहीं, तो उसके कारण बताएं।

7.0 औचित्य

7.1 क्या उस जिले में जिसमें प्रस्ताबित कालेज स्थापित किया जाएगा एक या ग्रधिक संस्थाओं में एक या ग्रधिक प्रस्ताबित पाठ्यकम पहले से ही चलाए जा रहे हैं?

यदि हों, तो मलग-मलग स्वीकृति वार्षिक प्रवेशों सहित उपयाओं के नामों और चलाए जा रहे पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का उल्लेख करें।

संस्थाकानाम	पाठ्यक्रम का नाम	जिले में कुल स्वीकृत प्रवेश
कोई भी	यांत्रिक इंजीनियरी	120
	सिवित इंजीनियरी	60

7.2 गत शैक्षिक	वर्ष के दौरान	प्रत्येक प्रस्तावित	पाठ्यकम (पाठ्य-
कमों) में राज्य के	तिगंत कुल उपल	च्य सीटों का उल	तेख की जिए।

पाट्यकम का नाम	राज्य में कुल स्वीकृत प्रवेश
इंतैक्ट्रानिक्स संचार, इंत्रीनियरी :	240
यांत्रिक इजीनियरी	480

टिप्पणी : कालमों में दिए गए विषय ग्रीर मंक्याएं केवल उदाहरण के लिए हैं।

- 7.3 उपर्युक्त 7.1 मौर 7.2 को ध्यान में रखते हुए प्रक्षिप्त जनगनित मांग मीर मौद्योगिक स्थिति तथा स्व-रोजगार की संमावनामों की तुलना में प्रस्तावित विषयों एवं प्रवेशों को लाग करने के सबंध में विस्तृत विवरण दीजिए।
- 7.4 प्रस्तावित संस्था के शैक्षिक माधार यथा प्रवेत में वृद्धि, नए पाठ्यकम शुरू करता, मनुवर्ती शिक्षा कार्यकम मादि के विस्तार के लिए बर्गवार भावी योजना का उल्लेख कीजिए । कृपया इस बात का ब्यान रखें की भावी प्रनुमोदन यहां दी गई सूचना के प्राधार पर ही दिए जाएंगे :

प्रस्तावित पाठयकम	पू र्णकालिक/ ग्रंशकालिक/ सतत	प्रस्तावित प्रवेश	प्रारंभ करने का प्रस्ताबित वर्ष

टिप्पणी : विभिन्न कालमों में दिए गए विषय मौर संख्याएं केवल

8.1 संस्थान की स्थापना के लिए कब्बागत भू-सेत (हेक्टेयर्स में) उल्लेख कीजिए (बांछित भू-सेत के निर्धारण के लिए कृपया प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के संगत मानक ग्रीर मानदंड देखें)।

कृपया पंजीकरण प्रलेखों की एक प्रति संलग्न कीजिए।

यह भी बताए कि क्या भू-क्षेत्र में केवल एक भू-खंड है या प्रधिक ।
एक से मधिक भू-खंड हैं तो एक नक्ता प्रस्तुत करें जिसमें प्रत्येक
ूड का क्षेत्रफल भीर भू-खंडों की मध्य दूरियां दिखाई गई हों।

वैद्य स्वामित्व के लिए कृपया हिदायतें देखें ।

- 8.2 इत्पया जिले की सड़कों का नक्शा संलग्न करें जिममें संस्था का प्रस्तावित स्थल दिखाया गया हो।
- 8.3 क्या भूमि का उपयोग संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है ? कृपया सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोग प्रमाण-पत्न की एक प्रति संलग्न करें।

- 9.0 वित
- 9.1 क्या निकाय निधि/प्रक्षय निधि सुजित कर दी गई है सौर राज्य सरकार के यहां रेहन कर दी गई है। यदि हां, तो उसका प्रमाण संतरन करें।
- 9.2 प्रस्तावित संस्था की स्थापना के लिए निवेश योग्य उपलब्ध शेष निधियों का ब्यौरा दें और उसकी पुष्टि में भ्रदयतन बैक विवरणों, साविध जमा रसीदों भ्रादि की प्रतियां संलग्न करें। बचनपत्नों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- 9.3 कृपया सूचित करें कि सगले 3—4 वर्षों के दौरान भवनों, उपस्करों सादि में निवेशार्य सतिरिक्त निश्चियां कैसे जुटाई जाएंगी । कृपया सपने विवरण की पुष्टि में प्रमाणित प्रलेख संलग्न करें।
- 9.4 कृपया निम्नितिखित ढंग से वर्षवार वाधिक प्रत्यागित प्रावर्ती व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करें (संस्था के स्थापना वर्ष से संबंधित 1, 2, 3 प्रोर 4 वर्ष):

निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रत्यागित वार्षिक व्यय व्ययकी मद 2 क. शिक्षण स्टाफ का वेतन भता हितलाभ मादि ख. तकनीकी सहायक स्टाफ का वेतन ग. गैर-तकनोकी सहायक स्टाफ का वेतन घ. प्रशिक्षण लागत इ. उपस्कर और भवनों का धनुरक्षण च. पुस्तकालय छ. विविध माकस्मिकताएं विस्तृत विवरण के लिए कृपया प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के संबंधित मानक एवं मानदंड दे। 9.5 कृपया स्पष्ट कीजिए कि 9.4 में उल्लिखित मावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष निश्चियां किस प्रकार सुजित की जाएंगी। 10.1 यदि संस्था के स्थायी या मस्थायी मावास के लिए भवन पहले से ही उपलब्ध है/हैं तो निम्नलिखित ढंग से उसका/उनका कुरमी 10.0 अवादार-संरचना (वर्गमोटर) दीजिए :---कुल क्षेत्र निवास **छात्रावा**स मुविधाएं प्रशासनिक शिक्षण निर्माण का प्रकार भवन

(क) भारसीसी

(ख) शैड

कोटो सहित न्-खंड पर भगत का नन्गा (ले-भाउट) और प्रत्येक भवत का पत्नोर नक्शा प्रस्तुत करें। टिप्पणी : कृपया निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट प्रमाण संतग्न करें:

- (क) संस्या के प्रयोजनों के लिए भवन (भवनों का उपयोग)।
- (ख) भवन (भवनों) के निर्माणाय स्थानीय उपनियमों के धनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त धनुमोदित नक्से।
- (ग) भवन (भवनों) का समापन/कन्या प्रमाणपद्ध ।
- (च) शहरी विकास प्राधिकारण की घनुमति ।

10.2 यदि संस्था के लिए स्थायी भवन (भवनों) का निर्माण किया जाना हो तो प्रधिस भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों एवं मानवंडों के धनुसार निम्नलिखित के लिए निर्माण की वर्षवार बोजना प्रस्तुत करें :---

शिक्षणात्मक क्षेत्र (कक्षाणं, धनुशिक्षण कक्षाएं, दृाइंग हाल, प्रयोग-नालाएं, कर्मशालाएं, पुस्तकालयं, निक्षणात्मक संसाधन केंद्र, कम्प्यूटर

केंद्र, परीक्षा भवन भादि); प्रशासनिक क्षेत्र (कार्यालय, स्टाफ कक्ष, सम्मेलन कक्ष, गोपनीय कक्ष, सम्पदा कार्यालय मादि) ; सुविधाएं (बिनोद-कक्ष, खेल-कक्ष, एन सी सी, एन एस एस, केंटीन, हाँबी केंद्र, मौषघालय भादि); तथा रिहायशी क्षेत्र (छाताबास, स्टाफ वर्बार्टर, प्रतिथि गृह)।

	निम	ताबित भवन (भवनों) का नक्शा (ले-घाउट) और प्रत्येक भवन का फ्लोर नक्शा दीजिए : निम्नलिखित वर्षों के दौरान निर्माण के लिए कुरसी क्षेत्र					
स्थान का नाम	कक्षाएं प्रारंभ करने से पूर्व की घवधि	संस्था का प्रथम वर्ष	संस्था का दूसरा वर्ष	संस्था का तीसरा वर्ष	संस्थां का चौपा ं वर्ष		
क्षा कव							
- प्रतृशिक्षण कक्ष । इंग हाल			•				
<u>योगमालाए</u>							
कमेशालाएं							
		•					
	के नाम दिए गए हैं वे केवल उदा				-A-A Groun		

के विषय संबंधी मानक एवं मानदंड देखें।

10.3 कृपया 10.2 में उल्लिखित भवनों के निर्माण-व्यय का वर्षवार प्राक्कलन दीजिए: 🔊

	लखित भवनों के निर्माण-व्या 	निम्नलिखित वर्षी व	हे दौरान मितिरिक्त निम	ाण का व्यय	
स्थान का नाम	पाठ्यकर	पाठ्यकम	पाठ्यकम	पाठ्यकम	पाठ्यकम
	(पाठ्यकर्मों)	(पाठ्यकमों)	(पाठ्यकमों)	(पाठ्यकमों)	(पाठ्यकनों)
	प्रवेश में वृद्धि से	प्रवेश में वृद्धि होने	प्रवेश में वृद्धि होने	प्रवेश में वृद्धिका	प्रदेश में दृश्चि
	पहले की स्रवधि	का टूमरा वर्ष	का तीसरा वर्ष	तीसरावर्ष	चौषा दर्प

कक्षा कक्ष ग्रन्शिक्षण कक्ष ड्राइंग हाल प्रयोगशालाएं

कर्म शालाएं

है हे केवल उदाहरण के लिए हैं। घधिक दिवरण के लिए, कृपया घखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के

वेल्डिंग

श्लाक

बिस्तृत विवरण के लिए कृपया मानक एवं मानदंड तथा पाठ्यकम (पाठ्यकमों) की विस्तृत पाठ्यवर्षा देखें।

संदर्भ पुस्तक

पत्निकाएं

10.8 शिक्षण संकाय

कृपया शिक्षण संकाय (प्रिंसिपल, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ लेक्वरार, लेक्वरार) की भर्ती के लिए कार्य योजना दीजिए ।

संकाय काडर	संख्या पहले से उपलब्ध	संकाय का प्रकार (भंगकालिक/	निम्नतिखित वर्षों के दौरान भर्तों किए जाने वानों की संख्या				
·		पूर्णकालिक/ भ्रभ्यागत)	कक्षाएं मारभ होने से पूर्व की मनधि	संस्था का पहला वर्ष	संस्था का दूसरा वर्ष	संस्था का तीसरा वर्ष	संस्था का चौथा वर्ष

प्रिसिपन

प्रोफेसर

सहायक प्रोफेसर विभागाध्यक्ष

वरिष्ठ वेक्चरार

सेक्चरार

कृपमा स्टाफ के प्रत्येक वर्ग की संस्था भी दें, यदि पहले से उपलब्ब हो।

10.9 कर्मशाला स्टाफ :

कृपया कर्मशाला स्टार्फ (कर्मशाला भ्रष्टीक्षक, कोरमैन, इन्स्ट्रक्टर, कर्मशाला इन्स्ट्रक्टर/सहायक इन्स्ट्रक्टर, प्रयोगशाला तकनीशियन/सहायक, कुंचल सहायक मादि) को भर्ती के लिए वापिक कार्ययोजना प्रस्तुत की कृपया स्टाफ के प्रत्येक वर्ग की संख्या भी दीजिए, यदि पहले से उप हो।

संकाय काडर	संख्या पहले से उपलब्ध	संकाय का प्रकार (भंजकालिक/	निम्नलिखित वर्षों के दौरान भर्ती किए जाने वालों की संख्या					
	- 1,4- -	पूर्णकालिक <i>।</i> ग्रभ्यागत)	कक्षाएं भारंभ होने से पूर्व की स्रवधि	संस्था का पहला वर्ष	संस्था का टूसरा वर्ष	मंस्या का तीसरा वर्ष	संस्था का चौध वर्ष	

कर्मशाला

मधीक्षक

फोरमैन

इन्स्ट्रवटर

रुमंगाला

इन्स्ट्रक्टर

प्रशासनिक भिष्ठकारी

दिस प्रधिकारी

लेखाकार

10.12 विभिन्न प्रयोगशालाओं/कर्मशालाओं में उपलब्ध कराए जाने वाले वर्षवार मुख्य उपस्करों (प्रति यूनिट হ. 5000/- या घधिक लागत बाले) की सूची तथा निम्नलिखित फार्मेंट में संक्षिप्त विशिष्टियां :

प्रयोगशाला/कर्मशाला	उपस्कर का नाम	संक्षिप्त विशिष्टियां	उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा			
			I	II	III	IV
			वर्प	वर्षं	वर्ष	वपं

11. कृपया बताएं कि क्या पीने के पानी की मप्ताई नगर पालिका द्वारा नियमित रूप से की जाती है और प्रयोगणालाओं कर्मणालाओं कादि के लिए भावश्यक पानी उपलब्ध हैं। यदि नहीं तो यह बताएं कि पानी की नियमित पूर्ति के लिए क्या बैकल्यक व्यवस्था होगी ?

12. ग्रुपया बताएं कि क्या बिजली की नियमित सम्लाई उएलच्य हैं होगी। इसकी पुष्टि में प्रलेख संलग्न करें।

कामबंदी/खरादियों (बेकडाउन) के दौरान क्या आपाती व्यवस्था की जाएगी ?

- 13. यदि संस्था नगरपालिका सीमाओं के अंतर्गत स्थित नहीं है तो यह बताएं कि प्रहर से संस्था तक जाने-प्राने के लिए परिवहन को क्या व्यवस्था की जाएगी ?
- 14. प्रधिसंख्य संस्थाओं में संकाय की किमया पाई गई हैं और प्रर्ध-शहरी तथा गैर-गहरों क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में ये किमयां और भी प्रधिक होंगी।

यह भी देखा गया है कि कुछ विषयों के लिए विभिन्न कारणों से सीमित संकाय उपलब्ध है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, संकाय संज्ञाधन माधार बजाएं, यदि उपलब्ध हो और यह भी सूबित करें कि घावेदक प्रस्ताबित पाठ्यकमों के लिए किस व्यक्ति को संकाय के लिए प्रस्तावित करना चाहता है।

15. यह देखा गया है कि सभी भावेदकों के पास इतने विशेषत नहीं होते कि वे किसी तकनीको संस्था की स्थापना समयबद्ध ढंग तथा उचित प्रित्रिया (भीतिक एवं गैंजिक रूप से) के भ्रमुसार कर सकें। इस प्रयोजन के लिए यह प्रावक्ष्यक हो गया है कि एक वरिष्ठ भ्रमुसबी व्यक्ति को मुख्य परानर्शदाता रखा जाए जिसकी सहायता के लिए विषय के विशेषत्त हों ताकि प्रस्तावित संस्था को स्थापना करने में प्रबंधकवर्ग को सहायता और सजाह दी जा सके। जतः यह भी भावक्ष्यक हो गया है कि परामर्शदाता और विकानिक्षियों का पता लगाया आए और उनके साथ कम से कम पहले चार बार्ज के लिए एक करार निष्पादित किया जाए जिसके दौरान संस्था की स्थापना की जाएगी।

जप्रयुंक्त की दृष्टि से कृपया परामशंदाताओं और दिवय-विशेषकों की नाम और उनकी योग्यताएं तथा गुष्कभूषि दें। इसके प्रतिरिक्त परामशंदातः और विषय विशेषक के साथ हस्ताक्षर किए गए कर।र पत्नों की प्रतियां भी संसन्न करें। 16. तक्तनिकी शिक्षा में प्रभाविकता लाते और छात्रों तथा शिक्षकां, के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करने हेतु तथा उद्योग के वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा चुनिदा व्याख्यान और सलाह दिलवाने के लिए यह प्रावश्यक है कि संस्था के प्राप्तपास संगत उद्योगों के साथ सम्पर्क स्वाधित किया जाए !

उरवेक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कृत्या उन उद्योगों के नाम और उनकी भवस्थिति दें जिन्कि साथ सन्दर्भ रवापित जिए जारे हों। साथ ही, उनके सहमति-पद्म भी संतरन करें।

17. प्रतया, प्रपत्ते वैंकरों के नाम दें। ताथ ही, प्रस्तावित संख्या के लिए उन बैंकों में खोले गए विभिन्न खातों के नम्बर सी दें।

18. कृपमा उन शेखापरीक्षकों के नाम और पते दें जिन्हें प्रस्तावित संस्था के लिए नियुक्त किया गया है या नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है।

19. कृतया न्यायिकेतर स्टांग कागज पर एक बचनवंध संलग्न करें जो संज्ञान फार्मेंट के प्रनुपार उप-पंजीयक या किसी समझ्झ सदाम प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत हो (सरकार/विश्वतिद्यालय पर लागू नहीं है) ।

> संस्थाओं/प्रबंध न्यासी/सोसाइटो/न्यास के भ्रव्यक्ष का तान और हस्ताक्षर

प्रवित भारतीय तकताकी शिक्षा परिषद्

फार्म II

[देखिए, विनियम 5(2)(छ)]

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, बास्तुकला, फार्मेंसी, प्रनुप्रयुक्त कलाओं ग्रादि में प्रतिरिक्ता पाठ्यकन (पाठ्यकपों) प्रौर/या प्रतिरिक्त प्रवेश (प्रवेशों) के विना प्रयिव भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का प्रनुमोदन पाहने वाली वर्तमान डिग्नो संस्या (संस्थाओं) के लिए ग्रावेदन

इंजीतियरो/त्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मेसी, मनुत्रयुक्त कलाओं मादि में मितिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) बोर/मा मितिरिक्त ग्रवेश (प्रवेगों) के बिना मिखल भारतीय तकनीकी गिक्षा परिषद् मनुमोदन चाहने वाली वर्तमान डिग्री संस्था (संस्थाओं) के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु हिदायतें। (क) निर्धारित फार्न में तथा विहित प्रकिश के धनुनार पूर्ण धावेदन-पत्र की सात प्रतिया परिषद के ब्यूरो(धार.सो.) को 31 दिसम्बर, तक ध्रवस्य प्रस्तुत की जानी बाहिये।

了是人。(1)

- (ख) धपूर्ण एवं निर्धारित फार्मेंट में प्रस्तुत न किये मये प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - (ग) जो प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होंगे किन्तु जो व्यवस्थित रूप में होंगे उन पर धनुवर्ती शक्षिक वर्ष में कार्रवाई की जायेगी।
- (घ) प्रस्ताव केवल ए-4 माकार में प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

 पढ़े माकार वाले प्रलेखों का माकार घटाकर ए-4 कर
 दिया जाना चाहिये।
- (इ) यदि प्रावेदक द्वारा दी गई सूबनाओं और विवरणों को गलत पाया जायेगा तो प्रावेदनपत्न को ग्रस्वीकार कर दियाजायेगा ।
- 2. (क) प्रस्तावित संस्था के उपयोगार्थ घरेक्षित भूक्षेत्र होता चाहिये जिस पर राज्य प्राधिकरणों के नियमों के धनुसार सोताइटी/ज्यास/संस्था के नाम में स्पष्ट हकनामा या पंजोकृत पर्टानामा होता चाहिये।
- (ख) यदि सोसाइटो/न्यास/प्रस्तावित संस्था के पास प्रपेक्षित भू-क्षेत्र नहीं होगा तो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 3. धावेदक/मोसाइटो/न्यास/संस्था को मिलकर संस्था और संबंधित राज्य प्राधिकरण के नाम में एक घ्रक्षपनिवि सृतित करनी चाहिये जिसकी राशि प्रधिकतम वार्षिक प्रक्षिप्त घावर्ती बाय के 30 प्रतिशत या राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा निर्धारित राशि या क. 10 साख (इनमें जो भी घ्रविक हो) हो।
- 4. (क) प्रावेदन के समय, प्रावेदक/सोसाइटो/न्यास/संस्थान के पात किसी धनुसूचित बैंक में संस्था के नाम कम से कम 9 महीने से चानू बचत या सावधि जमा खाता (खाते) में परियोजना को कुल पनु-मानित लागत के 10 प्रतिशत राशि जमा होनी चाहिये।
- (ज्ञ) म्रावेदक/सोसाइटो/न्यात/संस्था की कुल परिसम्पत्तियों को प्रस्तान को वित्तीय व्यवहार्यता के प्रमाणस्वरूप स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (ग) वचन-पत्रों को प्रस्तावित संस्था की स्थापना के लिये उपनब्ध राशि के प्रमाण के रूप में स्त्रीकार नहीं किया जाता है।
- 5. विशेषतः दूरवर्ती क्षेत्रों में यदि कोई संस्था स्थापित की जाती है तो इसके संबंध में स्वामायिक कठिनाइयां ये होती हैं कि वहां शिक्षण संकाय और तकनीको सहायक स्टाक जाने को तैयार नहीं होता । इसलिये, मावेदक/सोसाइटो/न्यास/संस्थान को यह दिश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि संस्था के लिये स्टाफ उपलब्ध है और उसकी ब्रायस्था की जा सकती है।
- ् संलम्न किये जाने वाले प्रतेखों की सूची

ं प्रावेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निम्नितिखित प्रतेख संलग्न किये जा रहे हैं:

- (क) सोसाइटो/न्यास ग्रादि के पंजीकरण प्रतेख का एक प्रति । उसके साथ सोसाइटो/न्यास ग्रादि के गठन की प्रति भी संत्रान करें।
- (ख) संस्था खोलने के लिये प्रति बैठक संगत सरकारी प्रादेशों की एक प्रति।
 - (ग) संस्थात/बर्तमान बाठयकम (पाठयकमों) के संबंधन की प्रति

- (इ) निम्नतितित दस्तावेजों के स्पष्ट प्रमाण में सक्षण प्राधिकारियों के पत्न :
- (1) नक्शे की एक प्रति जिसमें भू-खंड पर वर्तमान तथा प्रस्तावित भवन (भवनों) का नक्शा (ले-प्राउट) दिद्याया गया हो और फोटो सहित प्रत्येक भवन का फ्लोर नक्शा।
- (2) संस्था के भवन निर्माण के लिये स्थानीय उपनियमां के भनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा धनुमोदित नक्की।
- (3) भवनों का समापन/कन्ना प्रमाणपत्र।
- (4) शहरी मूरि विकास प्राधिकरण की ग्रनुमित।
- (च) भूमि पंजीकृरण कागजों/पंजीकृत पट्टानामा की एक प्रति (जो लागू हो)।
- (छ) संक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोग प्रमाणपत्र की एक प्रति जिसमें संस्था के प्रयोजनों के लिये उपयोग करने की अनुमति दी गई हो।
- (ज) ग्रावेदक के ग्रिक्षशासी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस ग्राशय का एक प्रमांग-पत्र कि भूनि और सुनिवाओं का उपयोग किसी अन्य संस्था/गतिविधि के लिये नहीं किया जा रहा है।
- (ज्ञ) एक रेखाचित्र जिसमें प्रत्येक भू-खंड का क्षेत्र दिखाया गया हो और भू-खंडों की मध्य दूरिया दी गई हों, यदि भूमि क्षेत्र में एक से ग्रधिक भू-खंड शामित हों।
- (ञा) शहर की सड़कों के नक्शे की एक प्रतिजिसमें संस्था की प्रवस्थिति दिखाई गई हो।
- (ट) निकाय निधि/प्रक्षय निधि सावधि जमा रसीदों की फोटो प्रतियां।
- (ठ) शेष निधियों की उपतब्बता के संबंध में अद्यतन वैक विवरणों, सार्वाश जना रसीदों म्रादि की फोटो प्रतियां।
- (ड) संस्थान के पिछले तीन वर्षों के ग्राय/न्यय के विधिवत् परीक्षित विवरणों, तुलतपत्र और लेखापरीक्षित रिपोटों की फोटो प्रतियां।
- (ढ) ग्रतिरिक्त निधियां जुटाये जाने की पुष्टि में ग्रजिप्रमाणित प्रलेख।
- (ण) भवन (भवनों) के निर्माण के लिये स्थानीय उपनियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित भवन (भवनों) के अनुमोदित पदोर नक्शे (अर्थात् सिविल ड्राइंग)।
 - (त) ग्रनादर्ती खर्च को पूरा करने के निये दाये की पुष्टि में ग्रधिप्रमाणित प्रलेख।
 - (थ) वार्षिक ग्रावर्ती व्यय को पूरा करने के लिये संबंधित दावे के समर्थन में ग्रधिप्रमाणित प्रतेख।

-

करने के लिये एक वचनबध जो संलग्न फार्मेंट के धनुसार उप-पंजीयक या भन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां विधिवत् पंजीकृत हो।

(ध) संस्थान के प्रबंध के लिये जिम्मेदार निकाय/ परिषद्/समिति की गत तीन बैठकों का कार्यवृत्त ।

भनुवंध-I

न्यायिकेतर स्टांप कागज पर वचनवध प्रस्तुत किया जाना चाहिये जो उप-पंजीयक या किसी भ्रन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां पंजीकृत हो।

मैं/हम (कालेज/संस्था/मंडल/न्यास/सोसाइटी मादि के न्यासी/मध्यक्ष/प्रिसिपल/निदेशक का नाम) एतद्दारा वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम सत से (पाठ्यक्रम/कालेज का नाम) मारंभ कर/स्थापित करने/सीटों की प्रवेश क्षमता से संबंधित म्रपने मावेदन (पत्र) के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे:

- प्रबंधकवर्ग (इसमें संस्थान/कालेज का शासी निकाय भी शामिल है) का गठन तथा निकाय/परिषद् के ग्रध्यक्ष की नियुक्ति परिषद् मार्गनिर्देशों के ग्रैनुसार की जायेगी (ग्रनुवंध-Ⅱ)।
- 2. प्रवंधकवर्ग म्रावर्ती व्यय को पूरा करने के लिये परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानकों एवं मानदंडों के मनुसार विकसित भूमि में निवेश करने संबंधित भाधार-संरचनात्मक, शिक्षणात्मक एवं म्रन्य सुविधाएं, प्रदान करने के लिये निधियां उपलब्ध कराएगा।
- उ. पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों का संचालन तकनीकी कार्मिकों की निर्धारित मांगों के प्रनुसार किया जायेगा।
- 4. (क) दाखिले संबंधित तकनीकी संस्याओं में प्रवेशार्थ परिषद के विनियम एवं निर्देशिका के प्रनुसार किये जोयेंगे।
- (ख) पाठ्यक्रमों में केवल तभी दाखिले दिये जायेंगे जब न्यूनतम प्रयेक्षित/विहित सुविधायें सृजित कर दी गई होंगी और संदंधक विश्वविद्यालय/राज्य बोर्ड ने पाठ्यक्रम ग्रारंभ करने की प्रनुमति देदी होगी।
- (ग) संस्था परिषद् की पूर्व-सहमित के बिना किसी संस्या को बंद नहीं करायेगी या बंद कराने की स्रनुमित नहीं देगी या पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को बंद नहीं करायेगी। स्रयवा सीटों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन नहीं करेगी।
- 5. शिक्षा तथा भ्रन्य शुल्क परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानदंडों के अनुसार निये जायेंगे। छात्रों/अभिभावकों से किसी भी रूप में कोई भी प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जायेगी।
 - 6. संस्था के लेखाओं की परीक्षा प्रतिवर्ष किसी सनदी

उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उनका कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा।

- 7. शिक्षण तथा मन्य स्टाफ का चयन परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्रक्रियाओं, मर्हताओं, एवं मनुभव के प्रनुसार किया जायेगा।
- 8. प्रवंधकवर्ग भन्य उन शर्ती का भी पूरा पालन करेगा जो परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जायेंगी।
- 9. यदि (सोमाइटी/न्यास/मंडल/कालेज/संस्था प्राटिका नाम) परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित/बिहिल किये गये मार्ग-निर्देशों, मानकों तथा शर्तों का पालन नहीं करेगा तो परिषद् या कोई निकाय या उसके द्वार प्राधिकृत व्यक्ति को किन्हीं भी संबद्ध मुद्दों पर विचार किये बिना संस्था से प्रनुमोदन या मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी, और प्रनुमोदन या मान्यता वापस लेने की पूरी जिम्मेदारी उस (सोसाइटो संस्थान/कालेज) पर होगी।
- 10. कोई भी कालेज/संस्थान केवल, इस म्राधार प कि उसे परिषद का मनुमोदन प्राप्त है, संस्थान या मावती स्थय मादि के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार से स्वन सहायता मनुदान प्राप्त करने का दावेदार नहीं बनेगा।

(वचन देने वाले प्राधिकृत व्यक्ति नाम और उसका पद)

(सील)

स्थान : दिनांक

- कोष्टकों में संगत विवरण दिया जाना चाहिये
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि स्टिं कागज तथा वचनबद्य का ग्रधिप्रमाणन उचित रूप से ि गया है।

प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं के शासी निकाय का माँडल गड़

शासी निकाय में ग्रध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहि कम सें कम 11 सदस्य होंगे। पंजीकृत सोसाइट न्यास ग्रध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित 6 सदस्यों को नामि करेगा और वाकी 5 सदस्यों का नामन इस प्रकार किया जायेगा:—

- ग्रध्यक्ष : ग्रध्यक्ष का नामन पंजीकृत सोसाइटं न्यास द्वारा किया जायेगा।
- 2-5. सदस्यों का नामन पंजीकृत सोसाइटी न्य द्वारा किया जायेगा।
- 6. म्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

7. क्षेत्र से एक उद्योगपित/प्रौद्योगिकीविद्/शिक्षाविद् का नामन परिषद के प्रध्यक्ष द्वारा प्रनुमोदित पेनल से परिपद् ु के नामिती के रूप में संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा किया

जायेगा ।

3

Ä

8. संबंधक निकाय/विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का नामिती।

, 9. राज्य सरकार का नामिती—तकनीकी शिक्षा निदेशक (पदेन)।

10. राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया क्षेत्र से ुँ एक उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविद्/शिक्षाविद्।

11 संबंधित तकनीकी संस्था का प्रिसिपल/निदेशक सोसाइटी/न्यास के नामिती के रूप में) —सदस्य-सचिव।

्रतकनीकी संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत सोसाइटी के नामितियों और संबंधित क्षेत्र के शिक्ष्वविदों की इतनी ही संख्या जोड़कर सदस्यों संख्या में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन शासी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या 21 से ग्रधिक नहीं होगी।

ं शासी निकाय के ग्रध्यक्ष की नियुक्ति

शासी निकाय का ग्रध्यक्ष मुख्यतः एक तकनीकी व्यक्ति प्रयति कोई उद्यमी या उद्योगपति या विख्यात शिक्षाविद् होगा जो तकनीकी शिक्षा के विकास में रुचि ः रखता हो और समूल सोसाइटी /न्यास का सदस्य हो तथा विशेषतः उच्च कोटि की शिक्षा को बढ़ावा देने जिसने में रुचि प्रदिशित की हो।

वर्तमान डिग्री संस्था के बारे में सूचना

(इंजीनियरी, वास्तुकला, फार्मेसी, मनुप्रयुक्त कलाएं मादि)

1.0 सामान्य

1.1 (क) संस्था का नामः

(ख) डाक पता:

(पिनकोड सहित)

(ग) तार पता:

(घ) फैक्स और फोन नं.

ं (कोष्ठक में एस टी डी कोड सहित)

1:2 संस्था के ग्रध्यक्ष का नाम

और पद तथा निवास

और कार्यालय का टेलीफोन

नं (कोष्ठक में एस टी डी कोड सहित) 1.3 संस्था का प्रकार (निम्नलिखित में से किसी एक को निर्दिप्ट करें)

एक ८ प्राइवेट गैर घनुदान प्राप्त

सरकारी (केन्द्रीय/राज्य/संघ मासित क्षेत्र)

भ्रन्य (निर्दिष्ट करें)

1.4 प्राइवेट संस्थाओं के मामले में प्रबंध एजेंसी का पूरा डाक पता और तार पता, फैन्स और फोन नं. (कोब्टक में एम टी डी कोड महित) 🏏 प्राइवेट/सहायता प्राप्त

1.5 संस्या की स्थापना की तारीख (कृपया सरकार के मंगत मादेश की प्रति संलग्न करें)। 1.6 संबंधक विश्वविद्यालय का नाम और पूरा डाक पता लिखिए। कुलपति और कुलसनिव यासनकन्न प्रधिकारियों के नामऔर फोन नम्बर भी दें।

2.0 शैक्षिक सूचना

2.1 वर्ष 1992-93 के दौरान संचालित किये जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमः

2.1 at 1992-93 at 4150 04000		•					
		पूर्ण/अंशकः।तिक	मबधि (नर्ष)	स्वीकृत प्रवेश वा दा	स्त्रविक खिले	ग्रारंभ वर्ष	
पूर्व-स्नातक		पुर्णं-कालिक	4	60	50	1972	
सी. टेक.	िवित इंजीनियरी	पूर्यन्तारसः अंश-कालिक	4	30	28	198	
बी.ई.	यांद्रि ३ इंजीतियरी	पर्ण-कालिक	5	60	5.5	1985	
बी, भार्की. बी. फार्मे.	नास्तु हला फार्मेमी	पूर्ण-कालिक	4	60	53	1985	
स्नातकोत्तर		पूर्ण कालिक	1.5	. 10	10	198.	
एम.टेक. हम €	मशीन डिजाइन ताप इंजीनियरी	पूर्णकालक अंशकालिक	3	19	10	1984	

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

- 2.2 क्या संस्था और संवालित किया गया/किये गए पाठ्यक्रम अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषव् द्वारा धनुमोदित हैं?
- -- यदि हो, तो श्रवित भारतीय तकनी शै शिक्षा परिषव् के सभी धनुमोदन पत्नों की प्रति सलग्न कीजिये।
- --यदि संचालित किये चारहे किसी पाठ्यकम (पाठ्यकमों) को प्रखिल भारतीय तकनीकी जिल्ला परिषद् ने प्रनुमोदन प्रदान नहीं किया है तो उसका कारण बताएं।

[PART III—Sec. 4]

2.3 प्रवेश : ,

प्रवेश के लिये प्रवेश विधि को पर्हता पाट्यकम का नाम

कृपया यह बताएं कि क्या प्रवेश परीक्षा का प्राधार प्रहें के परीक्षा में प्राप्त अंक हैं?

2.4 यदि दाखिले ग्रह्क परीक्षा (यथा 10 + 2 जादि) में प्राप्त अंकों के गाधार पर किरे जाते हैं तो भौतिकी, रमापन और गणिन विजयों में निर्धारित न्यूनतम -कुल प्रतिकत अंकों और न्यूनतम अक्षित प्रतिकत अंकों के संबंध में सभी दाखितों का क्योरा दीजिए।

2.5 स्वीकृत एवं बास्तविक दाखिले :

स्वीकृत (स्वी.) और वास्तविक (वा.) प्रवेश 1991-92 1992-93 1988-89 1989-90 1990-91 स्वी.वा.

2.6 विगत परे 5 गैक्षिक वर्षों के दौरान

प्रथम वर्ष छात्र नामांकन का न्यौरा (5 वर्षों का जोड़)

छ।ब्रों का प्रकार	कुंल स्वीकृत	कुल प्रवेश	कुल प्रवेशों का प्रतिशत		कुल प्रवेशों का प्रतिकत	कुत उतीः र्शव
	प्रवेश		मनु.जा. / प्रामीण और प्रनु.ज.जा. जन-जातीय	लड़कियां	मनु.जा./ ग्रामीण और ग्रनु.ज.जा. जन-जातीय	लड़कियां

- (क) पूर्व-स्नातक पूर्णकालिक अंशकालिक प्रन्य (निर्दिष्ट करें)
- (ध) स्नातकोत्तर पूर्णकालिक, अंशकालिक ग्रन्य (निरिष्ट करें)
- (ग) डाक्टोरल या समकक्ष
- (ध) ग्रन्य

[🕂] यदि संस्था का काम करते हुए 5 वर्षों से कम हुए हैं तो वर्षों की संख्या बताएं जिनके लिये झांकड़े दिये गये हैं।

2.7. विगत पूरे 5 मी								
्राञ्चों का प्रकार कुल स्वीकृत प्रवेत्र	कुल कुल प्रवेशों का प्रति प्रवेश	ागत	कु ल ~- इाप	कुत ड्राप	-माउटों का प्रति	สสส •		্ৰুৰ বল ভার
भवत जिल्ला	धनु.जा./ ग्रामीण औ		माउट		ग्रामीण और	सङ्कियां	पारिवर्ग प्रवेशक	
	धनु . जं . ' जन-जातीय	प्रवेशक		मनु.ज. —	जन-जाताय		अष्यक	
The second secon	जा ति _			जा. 				
क्षिक) पूर्व-स्नातक								
्रिक्∑ाः पूर्णकातिक	•							
्रिक्टिक अंशकालिक अस्ति कर्मा								
किटेंड प्रत्य (निदिष्ट करें)					~.			
(ब) नातकोत्तर		-						
पूर्ण कालिक	• 🛊							
बंशकालिक								
हिस्ति ग्रन्य (निर्दिप्ट करें)								
(ग) डास्टोरल या समकक्ष	•							
86 .09 ६३ ३.(च)्य न्य	•							
प्रवेश के लिये प्रवेश के लिये प्रवेश के	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल मारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंडर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे	त तथा पास्थिक प्रवेश रंभ और बंद करने क	तो पारिव हों की न्यू ो तारीखें।	नतम दाखिल	की प्रवेश म महंताक	है्ता का बिवरण व	≖यौरा अ दोजिए।	ोर पारि
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंडर के ग्रनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छात्रों	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पास्थिक प्रवेशः रंभ और बंद करने कं	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शिंदिक	मों में पाश्विक प्रवेश द्वारा भी कुल घारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंडर के घनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणाग	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पार्कि हों की न्यू ो तारीखें। काओंड़)	नतम दाखिल 	महेता क	विवरण र	दाजए। 	
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शिंदिक छाता का प्रकार	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंडर के ग्रनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छात्रों	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शिंदाक छातों का प्रकार	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंडर के ग्रनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छात्रों	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शिंदाक छातों का प्रकार	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंडर के ग्रनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छात्रों	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शिंदाक कार्य का प्रकार	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंडर के ग्रनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छात्रों	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शंदिक छातों का प्रकार (क) पूर्व स्नातक पूर्वकालिक बंगकालिक	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंद्वर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छातों की संख्या	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शंदिक छातों का प्रकार हैं। (क) पूर्व स्नातक पूर्वकालिक बंगकालिक बंगकालिक प्रवेदा (निर्दिष्ट करें)	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंद्वर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छातों की संख्या	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये श्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शंदिक छातों का प्रकार (क) प्यूबं स्नातक पूर्णकालिक बंशकालिक प्राप्य (निरिष्ट करें) (ब) स्नातकोत्तर पूर्णकालिक	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंद्वर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छातों की संख्या	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शिंदाक छातों का प्रकार होते (क) पूर्व स्नातक पूर्वकालिक बंगकालिक बंगकालिक पूर्वकालिक	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंद्वर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छातों की संख्या	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शिंदिक कार्य का प्रकार कार्य का प्रकार कार्य का प्रकार का प्रकारिक का का का प्रकारिक का का क	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंद्वर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छातों की संख्या	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये प्र 2.9 सबंघक संस्था के 2.10 विगत दो शंदिक कार्या का प्रकार कार्या का प्रकार कार्या का प्रकार कार्या का प्रकार कार्या (निर्दिष्ट करें) (क) स्नातकोत्तर प्रकातिक कार्या (निर्दिष्ट करें) कार्या (निर्दिष्ट करें)	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंद्वर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छातों की संख्या	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पाहिन हों की न्यू ो तारीखें। किं। जोड़े) विशेष	नतम दाखिल 	पहेता क प्रयम श्रेगी स	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये श्र 2.9 सबंघक संस्या के 2.10 विगत दो शंसिक कार्या का प्रकार कार्या का प्रकार कार्या का स्वातक कार्या का स्वातक कार्या का सिक्ट करें) (क) स्नातकोत्तर पूर्णकालिक कार्या (निर्दिष्ट करें) (क) स्नातकोत्तर पूर्णकालिक कार्या (निर्दिष्ट करें) (क) हावटोरल या समकक्ष	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंडर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्चिक प्रवेश रंभ और बंद करने की किता विदरण (दों वर्ष	तो पादिव हों की न्यू ो तारीखें। का जोड़) विशेष	नतम दाखिल योग्यतासहित छात्र	प्रहेता क प्रयम श्रेगी में छात	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये 2.9 सबंघक संस्या के 2.10 विगत दो शंसिक (क) एपूर्व स्नातक (क) एपूर्व स्नातकोत्तर (क) स्नातकोत्तर (क) इंग्लिटोर्स या समकक्ष (क) इंग्लिटोर्स या समकक्ष (क) प्राप्त	मों में पाध्विक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कैरेंडर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्यिक प्रवेश रंभ और बंद करने की का विवरण (दों वर्ष कुल उत्तीर्ण छ।व	तो पादिव हों की न्यू ो तारीखें। का जोड़) विशेष	नतम दाखिल योग्यतासहित छात्र	प्रहेता क प्रयम श्रेगी में छात	विवरण र	दाजिए। डितोग्रेथेग	
प्रवेश के लिये 2.9 सबंघक संस्या के 2.10 विगत दो शंसिक (क) एपूर्व स्नातक (क) एपूर्व स्नातकोत्तर (क) स्नातकोत्तर (क) इंग्लिटोर्स या समकक्ष (क) इंग्लिटोर्स या समकक्ष (क) प्राप्त	स्मां में पाध्यिक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कै नेंडर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छात्रों को संख्या वर्षों के दौरान संस्था के कार्य दिवसों प्रतिगेमेस्टर/वर्ष	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्विक प्रवेश रंभ और बंद करने कें ों का विवरण (दों वये कुल उत्तीर्ण छात्र समय का क्यारा (अ	तो पादिव हों की न्यू ो तारीखें। किंग जोंड़) विशेष उत्तीर्ण प्रतिसे	नतम दाखिल योग्यता सहित छात्र	प्रहेता क प्रयम श्रेगी से छाल	विवरण र में उतीर्ग	दी(जिए । दिती र श्रेण छात्र	ा में उतीय
प्रवेश के लिये 2.9 सबंघक संस्या के 2.10 विगत दो शंदिक (क) प्युं स्नातक (क) प्युं स्नातक पूर्णकालिक बंगकालिक बंगकालिक बंगकालिक बंगकालिक बंगकालिक बंगकालिक बंगकालिक बंगकालिक वंगकालिक	स्मां में पाध्यिक प्रवेश द्वारा भी कुल ग्रारक्षित सीटों का प्रतिश कै नेंडर के मनुसार दाखिले आ वर्षों के दौरान परीक्षा परिणागे परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	ा दाखिले किये जाते हैं त तथा पाश्विक प्रवेश रंभ और बंद करने कें ों का विवरण (दों वये कुल उत्तीर्ण छात्र समय का क्यारा (अ	तो पादिव हों की न्यू ो तारीखें। किंग जोंड़) विशेष उत्तीर्ण प्रतिसे	नतम दाखिल योग्यता सहित छात्र	प्रहेता क प्रयम श्रेगी स् छात	विवरण र में उतीर्ग	दी(जिए । दिती र श्रेण छात्र	ा में उतीय

. उतीण छात्रों की संख्या

भीतर नौकरी दिलवाई गई

.12 दिगत दो मीक्षिक वर्षों के दौरान उत्तीण छात्रों के नौकरी दिलवाने का व्यीरा(2 वर्ष का जोड़)

के मतर्गत नौकरी दिलवाई गई

उन छातों की संख्या जिन्हें 3 महीने के उन छातों का संख्या जिन्हें 3-6 महीने उन छातों की संख्या जिन्हें 6-12 महीते के भन्तर्गंत नौहरी दित राई गई

(क) पाठ्य पुस्तके

🍹 (ब) संदर्भ पुस्तक

कृति। विश्वकोश

π

विवरण	पत्रिकाओं की वर्तमान संख्या	
(क) सहायक विभाग : भारतीय		
–- विदेश (छ) इंजीनियरी विभाग –- भारतीय		
भारताय विदेश		
(ग) प्रन्य विभाग भारतीय विदेश		
6.0 प्रयोगशालाएं		
विभाग	विभिन्न प्रयोगशालाओं के न	(म गत 3 वर्षों के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश
	ाला के लिये वर्तमान कीमतों पर रु. 1000 या मधिक लागतवाले उपस्कर	की सदी संजन्त को जिए।
कृषया प्रत्यक प्रयागण 6.1 कर्नेशाला	ाला के लिय बतानाम नामधा वर ४. 1000 मामा स्थापन स	
6.1 फरीशाला	विभिन्न शापों के नाम	गत 3 वर्षों⊥के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश
6.1 कर्नेशाला विभाग उ	विभिन्न शापों के नाम	गत 3 वर्षों∟के दौरान उपस्कर त⊲ा उपकरणों पर कुल निवेश
6.1 कर्नेशाला विभाग उ	विभिन्न शापों के नाम रीक्षा इकीम सहित संस्या द्वारा ग्रपनाई गई पाठ्यचर्या की एक प्रतिसंलान व	गत 3 वर्षों∟के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश
6.1 कर्नेगाला विभाग 7.0 शिक्षण और प 8.0 कुरसी क्षेत्र (वर्	विभिन्न शापों के नाम रीक्षा इकीम सहित संस्या द्वारा ग्रपनाई गई पाठ्यचर्या की एक प्रतिसंलान व	गत अवप्रें∟के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश कीजिए।
6.1 कर्नेशाता विभाग 7.0 शिक्षकं और पर 8.0 कुरसी क्षेत्र (वर्ग निर्माण का प्रकार (क) ग्रार सी सी	विभिन्त शापों के नाम रीक्षा इकोम सहित संस्या द्वारा ग्रपनाई गई पाठ्यचर्या की एक प्रतिसंत्रंत व र्ग मीटर)	गत 3 वर्षोंके दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश कीजिए।
6.1 कर्नेशाला विभाग 	विभिन्न शापों के नाम रीक्षा इकीम सहित संस्या द्वारा ग्रपनाई गई पाठ्यचर्या की एक प्रतिसंलग्न व र्ग मीटर) शिक्षण भवन प्रशासनिक भवन सुविधाएं छात्राव	गत 3 वर्षों_के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश कीजिए।

कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कीजिये कि भूमि पर संस्था का कब्जा है और भूमि उपयोग की धनुमित है तथा यह गारंटी है कि उल्लिखित भूमि केवल संस्था के उपयोग के लिये उपलब्ध है और इसका उपयोग किसी प्रत्य संस्था/गतिविधि के लिये नहीं किया जायेगा । कृपया यह भी उल्लेख करें कि भूमि क्षेत्र में एक या प्रधिक भृष्टंड शामिल हैं।

10.0 छात्र विकास, ग्राचार तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण:

उन मनसरों का उल्लेख कीजिये जो विभाग में छात्रों की संगत तकतीकी/ध्यावसाधिक सोसाइटियों में सहभागिता और सदस्यता के लिये उपलब्ध हैं। ये अवसर विभाग द्वारा कैसे उपलब्ध कराये जाते हैं।

- 11.0 गत 5 वर्षों के दौरान परामर्श, प्रायोजित धनुसंधान, व्यावशायिक विकास धादि ।
- 11.1 पराम्यां दत्तकायं और ब्राहक मंगठनों के नामों सहित कुल बाय तया प्रत्येक दत्तकार्य की ब्रवत्रि और नाम, कुल बाय बादि का स्वीरा दीजिए।
- 11.2 परियोजना के प्रायोजक संगठनों के नाम, परियोजना के नाम तथा कुल मूल्य सहित प्रायोजित धनुसंधान परियोजनाओं तथा कुल प्राय का व्यौरा दीजिये।
 - 11.3 मैक्षिक प्रह्ताओं, शिक्षण कौशलों मादि के सुधार के लिये महतन प्रायोजित संकाय संख्या।

कृपया संकाय के नाम, पदनाम, विक्षित प्रहेताओं के नाम/उन्नत कीशलों सादि का उल्लेख कीजिये।

11.4 सम्मेलनों तथा घन्य व्यावसायिक बैंटकों में भाग लेने के लिये भाज तक प्रायोजित संकायों की संख्या और इस प्रयोजन के लिये छवं की गई कुल रागि।

कृपया संकाय का नाम, पदनाम, सहभागिता सम्मेलन/बैठकों का नाम दोत्रिये और स्थान और तारीख प्रादि का उत्लेख करें।

11.5 प्रापकी संस्था द्वारा संवाधित धनुवर्ती इंजीनियरी शिक्षा कार्यकर्मों की संख्या तथा सहमानियों की कुल संख्या। इपया कार्यक्रम का नाम, तारीख और प्रवधि, सहमानियों की संख्या, ग्रादि दीजिये।

ुर्म 14 कृपया यह बतायें कि क्या प्रस्तावक कोई ऐसा कार्यक्रम या घ्रन्य तकनीकी संस्था का संचालन और/या प्रवंब कर रहा है जो घडिल ां भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् इत्तरा धनुमोदित नहीं है।

्राह्म सदि हां, तो कार्यकम/संस्था का⊹नाम, उसका पता तथा संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। ्বীক্ষিত 15. क्या प्रस्तावक के विरुद्ध राज्य सरकार या ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ग्रधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के संबंध मेंच्या का वर्ष दे । इस्कोई प्रदासती मुकदमा चल रहा है ।

क्या गुरुष क्रिकिमियों (यहि हों) में ग्राघार-संरचनात्मक/विस्तार संबंधी सुधार के तिये भावी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दें।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

म्रविल भारतीय तकनीको सिशा परिपद् फार्म--∐[[

[देखिए, विनियम 5(2)(ग)]

इंजीनियरं/प्रौद्योगिकी , बास्तुकला, कार्मेसी, भन्प्रयुक्त करात्रों मादि में मितिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) और/या मितिरिक्त प्रवेगों के विना मिखिल भारतीय तकनीकी जिल्ला परिषद् का मृतुमोदन चाहने वाली वर्तमान जिल्लोमा संस्था (संस्थाओं) के लिए मोबेदन

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मेंसी. प्रमुप्रयुक्त कलाओं प्रादि में ग्रतिरिक्त पाठ्यकम (पाठ्यकमों) और/या प्रतिरिक्त प्रवेश (प्रवेशों) के बिना प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का प्रमुमोदन चाहने वाली वर्तमान डिप्लोमा मंस्या (संस्थाओं) के लिए प्रस्ताव प्रस्तुन करने हेत् हिदायतें

- (क) निर्धारित फार्म में तथा विहित प्रकिश के प्रतुसार पूर्ण ग्रावेदन पत्र की सात प्रतियां परिषव के ब्यूरें। (प्रार सी) की 3। दिसम्बर तक प्रवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (त्र) प्रपूर्ण एवं निर्धारित फार्मेंट में प्रस्तुत न किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ग) जो प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त हैं।गें किन्तु जो व्यवस्थित रूप में होंगे उन पर मनुवर्ती शैक्षिक वर्ष में कार्रश्र की जाएगी।
- (घ) प्रस्ताव केवल ए-४ धाकार में प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। बड़े प्राकार वाले प्रतेखों का भाकार घटाकर ए-४ कर दिया जाना चाहिए।
- (ह) यदि भावेदक द्वारा दी गई सूचनाओं और विवरणों को गला पाया जाएगा तो भावेदनपत को प्रस्वोकार कर दिवा जाएगा।
- 2. (क) प्रस्तावित संस्था के उपयोगार्थ प्रपेक्षित भू-धन्न होना चाहिए जिस पर राज्य प्राधिकरणों के नियमों के प्रनमार सोसायटी/न्यास/संस्था के नाम में स्पष्ट हकनामा या पंजीकृत पट्टानामा होना चाहिए ।
- (ख) यदि सोमाइटी/न्यास/प्रस्तावित संस्था के पास प्रपेक्षित भू-क्षेत्र नहीं होगा तो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- 3. माबेदक/मोसाइटी/न्यास/संस्था को मिलकर संस्था और संबंधित राज्य प्राधिकरण के नाम में एक मक्षयनिधि मृणित करनी चाहिए जिसकी राशि मधिकतम वार्षिक प्रेक्षिप्त मावर्ती व्यय के 30 प्रतिशत या राज्य सरकार/संघ मासित क्षेत्र द्वारा निर्धारित राशि या ६. 10 तास (इनमं जो भी मधिक हो) हो।
- 4. (क) प्राचेदन के समय, प्रखेदक/मोशाइ दो/न्यास/नंध्यान के पाम किसी प्रनुपूचित बैंक में संस्था के नाम कप में कप 9 महीने से चालू बचत या सावधि जमा खाता (खारे) में परियोजना की कुन प्रनुपानित लागत के 10 प्रतिशत राशि जमा होती बाहिए।
- (ख) ग्रावेदक/सोमाइटो/स्थात/संस्था को कुल परिमानियाँ को प्रस्ताव की विलीय व्यवहायेंगा के प्रमाणस्वरूप स्वीकार गही किया जाएगा।
- (ग) बचन-गत्नों को प्रस्ताबित संस्था की स्थापना के लिए उपलब्ध राजि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।
- 5. विशेषतः दूरवर्ती क्षेत्रों में यदि कोई संस्था स्थापित की जाती है तो इसके संवंध में स्वामाविक कठिनाइयां ये होती हैं कि वहां शिक्षण

माबेदक/सोसाइटो/न्याम/संस्थान को यह विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत ₹ होगा कि संस्था के लिए स्टाफ उपलब्ध है और उपनी व्यवस्था ने सकती है।

संसम्न किए जाने वाले प्रतेखों की सूबी

धावेदक को यह सुनिध्वित करना चाहिए कि निम्नलिखित संतम किए जा रहे हैं:

- (क) सोसाइटी/त्यास मादि के पंजीकरण प्रतेख की एक प्रति । साथ सोसाइटी/त्याम मादि के गठन की प्रति भी संतरत
- (ग्र) संस्था खोतन के लिए प्रति बैठक संगत सरकारी भारे एक प्रति।
- (ग) संस्थान/वर्तभान पाठ्यकम (पाठ्यकमा) के संबंधन की प्रति संबंधक निकास के पत्न की एक प्रति।
- (घ) शिक्षण और परोक्षा स्कीमों सहित वर्तमान पाठ्यक्रम कमों) की पाठ्यचर्श एवं पाठ्यविवरण की प्रतियां।
- (ङ) निम्निनिखित दस्तावेत्रों के स्पष्ट प्रमाण में सक्षम प्राधिर केपव :
 - (i) नक्से की एक प्रति जिनमें भूखंड पर वर्गमान हु प्रस्ताबित भवन (भग्मों) का नम्या (ले बा दिखादा गग हो और फोटो महित प्रत्येक भव≾ें फ्लोर नक्सा।
 - (ii) संस्था के भवन निर्णाण के लिए स्थानीय उपि के सनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा मनुसोदित तक
 - (iii) भवतों का समापन/कब्जा प्रमाणपद्र।
 - (i√) शहरी भूमि विकास प्राधिकरण को प्रनुमिता
- (च) भ्रमि पंजीकरण कागजों/पंजीकृत पटटानामा की एक (जो लागू हो)।
- (छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूगि उपयोग प्रमाणपाप प्रति जिलमें संस्था के प्रयोजनों के लिए उपयोग करन प्रापृमति दी गई हो।
- (ज) झत्वेदक के मधिनासी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस छ का एक प्रतासानात्र कि मृति भीर पुरितायों का उपयोग रि स्रत्य संन्ता/मनिविधि के निष् नहीं किस जा रहा है भ्रा
- (अ) एक रेखाचित्र त्रियमें प्रत्येक भू-मंद्र का औन दिखागा कर घोर भू-मंद्रों की मध्य दृश्यिं दो गई हों, रेटि भूमि के में एक से प्रक्षिक भू-मण्ड शामिल हों।
- (प्र) गहर की सङ्कों के नश्मे की एक प्रति जिसमें संस्कृत प्रवस्थित दिखाई मई हो।
- (ट) निराद निवि/कृत्व निवि सामी जनः ंगोरी की. प्रतियो ।
- (ठ) शेष विश्विशों की उलल्खना के संबंध में सहयता बैंक विष्टा संबंधि जमा रसोटों छादि की फोटो प्रतिमां।
- (इ) संस्थान के निळने तीन वर्षों के याय/त्या के विधित्तन् पर्विक्त निवस्मार, तुलनगब धीर निवासीतित स्थिती की . ६ प्रतिस्थार
- (द) ग्रतिरिक्त तिथियां जुटाए जाने की गुप्टि में प्रधिप्रति प्रकेश
- (ण) भवत (भवतों) के निर्माण के लिए स्थानीय उपनिया भनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रयत्न प्रस्ताबित

-

25

- (त) प्रतावर्ती खर्न को पूरा करने के लिए दावे की पुष्टि में प्रधि-प्रमाणित प्रलेख !
- (प) वाधिक प्रावर्ती य्यप को पूरा करने के लिए संबंधित दावे के समर्थन में प्रधिप्रमाणित प्रलेख।
- (द) न्यायिकेतर स्टांप कागज पर प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिचय् की सामान्य शर्ता का धनुपालन करने के लिए एक बचनबंध जो संलग्न फार्येट के धनुसार उप-पंजीयक या प्रत्य सक्षम प्राधिकारी के यहां विधिवत पंजीकृत हो।
- ः (ध) संस्थान के प्रबंध के लिए जिल्लेदार निकाय/परिषद/सभिति की सत तीन बैठकों का कार्यकृत ।

मन्बंध- I

क्यापिकेतर स्टांप कागज पर वचनवंद्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो क्यापिकेतर स्टांप कागज पर वचनवंद्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो क्यापिकेतर या किसी मन्य संसम प्राधिकारी के यहां पंजीकृत हो।

मैं/हम (कालेज/संस्था/मंडल/न्यास/सोसाइटी मादि के न्यासो/मध्यक्ष/ प्रिम्थिपल/निदेशक का नाम) एतदृहारा वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम... सत्र से (पाठ्यक्रम/कालेज का नाम) म्रारम्भ करने/स्थापित कि करने/सीटों की प्रवेश क्षमता से संबंधित माने मावेदन (पत्र) के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे:

- 1. प्रबंधक वर्ग (इसमें संस्थान/कालेज का शासी निकाय भी शामिल है) का गठन तथा निकाय/परिषद् के प्रध्यक्ष की नियुक्ति परिषद् मार्गनिर्देशों के प्रनुसार की जाएगी (यनुबंध-II)।
- 2. प्रबंधक वर्ग मावती ब्यय को पूरा करने के लिए परिषद् द्वारा कि समय-समय पर निर्धारित किए गए मानको एवं मानदंडों के भनुसार विकसित भिम में निवेश करने तथा संबंधित माधार-संरचनात्मक, शिक्षणात्मक एवं भ्रत्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निधियां उपलब्ध कराएगा।
- उ पाट्यकमों या कार्यकमों का संचालन तकनीकी कार्मिकों की किस्ति कार्मिकों की किस्ति कार्मिकों के प्रतिसार किया जाएगा।
- 4. (क) दाखिले सर्वधित तकनीकी संस्थामों में प्रवेशार्थ परिषद् के विनियम एव निर्देशिका के मनुसार दिए जाएंगे।
- (ख) पाठ्यक्रमों में केयत तमी दाखिले दिए जाएंगे जब न्यनतम क्षेत्र धपेसित/विहित मुविधाएं सृजित कर दी गई होंगी धौर संबंधक विश्व-विद्यालय/राज्य बोर्ड ने पाठ्यकम घारम्भ करने की धनुमति दे दी होगी
 - (ग) संस्था परिषद की पूर्व-सहमति के बिना किसी संस्था को बंद नहीं कराएगी या बंद कराने की मनुमति नहीं देगी या पाठ्यकम (पाठ्यकमों) को बंद नहीं कराएगी ग्रयवा शीटों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन नहीं करेगी।
 - 5. शिक्षा तथा भ्रन्य गुल्क परिषय् द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए मानदंदों के भ्रनुसार लिए जाएंगे। छात्रों/प्रिभिमावकों सं किसी भी रूप में कोई भी प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी।
- 6. संस्था के लेखामों की परीक्षा प्रतिवर्ष किसी राजदी लेखाकार हिस्स की आएगी प्रौर परिषद् मा ओड या उसके द्वारा प्रधिकृत किसी क्षेत्र हिस्स होरा उनका कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा।
- 7. शिक्षण तथा प्रत्य स्टाफ का चयत परिषय् द्वारा समय-समय पर िनिर्वारित की गई प्रतियास्रों, महतास्रों एवं सनमत्र के सनुसार किय।
 - प्रबंधकवर्गं ग्रन्थ उन शर्तों का भी पूरा पासन करेगा जो परिषद् रिकेट पिरुक्षमय-समय पर निर्दिष्ट की जाएंगी।

मानकों तथा शतीं का पालन नहीं करेगा तो परिषय या कोई निकाय या उसके द्वारा प्रधिकृत व्यक्ति को किन्हों भी संबद्ध मट्डे पर विवार किए बिना संस्था से भनुमोदन या मान्यता वापस लेने को कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी, भीर भनमोदन या मान्यता वापस लेने को पूरी जिम्मेदारी उस (सोसाइटी/संस्थान/कालेज) पर होगी।

10. कोई भी कालेज/संस्थान केवल इस ग्राधार पर कि उसे परिषय का ग्रनुमोदन प्राप्त है, गंस्थान या ग्रावर्ती ध्यय ग्रादि के लिए केटीय या राज्य सरकार से स्वतः सहायता-भनदान प्राप्त करने का दावंदार नहीं बनेगा ।

(बचन देने वाले प्राविकृत व्यक्ति का नाम भौर उतका पद)

स्यानः

(सील)ः

- [इनांक:1. कोष्ठकों में संगत विवरण दिया जाना चाहिए ।
- 2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्टांप कागज तथा वजनबंध का मधिप्रमाणन उचित रूप से किया गया है।

प्राइवेट तकनीकी संस्याध्यों के शांसी निकाय का माँडल गटन

शासी निकाय में प्रध्यक्ष भीर सदस्य-सचिव राहित कम से कम 11 सदस्य होंगे। पंजीकृत सोसाइटी/न्यास मध्यक्ष भीर सदस्य-स्वि^व सहित 6 सदस्यों की नामित करेगा भीर बाकी 5 सदस्यों का नामत इस प्रकार किया जाएगा :---

- प्रघ्यक्ष : प्रघ्यक्ष का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जाएगा।
- 2.5. सदस्यों का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जाएगा।
- मिखल भारतीय तकनोकी शिक्षा परिषद का नामिती—क्षेत्रीय मधिकारी (पदेन)।
- 7. क्षेत्र से एक उद्योगपित/प्रौद्योगिकीबिद/शिक्षाबिद का नामन परिषद् के प्रध्यक्ष द्वारा मनुमोदित पेनल से परिषद् के नामिती के रूप में संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जाएगा !
- 8. संबंधक निकाय/विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का नामिती।
 - राज्य सरकार का नामिती—तकनोकी शिक्षा निदेशक (पदेन) ।
- राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया क्षेत्र से एक उद्योग-पति/प्रोद्योगिकीविय्द्/शिक्षावि ।
- 11. संबंधित तकनीकी संस्या का प्रिसिपल/निदेशक (सोमाइटी/ न्यास के नामिती के रूप में)—सदस्य—सचिव।

तकनीकी संस्या के हित को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत सोसाइटो के नामितियों मौर संबंधित क्षेत्र के शिक्षाविदों की इतनी ही संख्या जोड़ कर सदस्यों की संख्या में बृद्धि की जा सकती है। लेकिन शासी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या 21 से मिब्रक नहीं होगी।

शासी निकाय के प्रध्यक्ष की नियुक्ति

शासी निकाय का ग्रध्यक्ष मुख्यतः एक तकतीकी व्यक्ति प्रयति कोई उद्यमी या उद्योगपतिया विज्यात शिक्षाविद होगा जो तकतीकी शिक्षा के विकास में रुचि रखता हो भीर मूल सोसाइटी/न्यास का सदस्य हो तथा जिसने विशेषतः उच्च कोटि की शिक्षा को बढ़ावा देने में

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

बर्तमान डिप्लोमा संस्थाओं के बारे में सूचना (इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, फार्मेंसी पादि)

1.0 सामान्यः

- 1.1 (क) संस्थाका नाम:
 - (ख) डाक पता: (पिन कोड सहित)
 - (ग) तार पता:
 - (घ) फैक्स और फोन नं.: े (कोष्टक में एस टी डी कोड सहित)
- 1.2 संस्था के ग्रन्थल का नाम और पद तथा निवास और कार्यालय का टेलीफोन नं. (कोप्टिक में एस टी डी कोड (सिहत)
- 1.3 संस्था का प्रकार (निम्नितिखित में से किसी एक को निर्दिष्ट कर):
 प्रदृष्टेट गर मनुदान प्राप्त
 प्राइवट/सहायता प्राप्त

1.4 प्राइवेट संस्थाओं के मामले में प्रबंध एजेंसी का पूरा डाक पता और तार पता, फैक्स और फोन नं. (कोष्ठक में एस टी डी कोड सहित) दिया जाए।

- फ्रींस्था की स्थापना की तारीख (कृषया सरकार के संगत भादेश की प्रति संलग्न करें)
- 1.6 संबंधक विश्वविद्यालय का नाम और पूरा डाक पता लिखिए। कुलपित और कुलसचिव या समकक्ष ग्रिधिकारियों के नाम और फोन नम्बर भी दें।
- 2.0 शैक्षिक सूचना

2.1 वर्ष 1992-93 के दीरान संचालित किए जा रहे गैक्षिक कार्यक्रम:

सरकारी (केन्द्रोय/राज्य/संघ-मासित क्षेत्र) प्रन्य (निर्दिष्ट करें)

कार्यक्रम स्तर/ प्रदत्त डिप्लोमा	से व/विशेपज	पूर्ण/अंशकालिक	भवधि (वर्ष)	म्राटम्भ वर्ष
<u> </u>	सिविल इंजीनियरी	पूर्णकालिक	3	1989
डिप्लोमा	इलैंक्ट्रानिक इंजीनियरी	अंशकालिक	4	1990
	•	पूर्णकालिक	1.5	1990
उत्तर डिप्लोमा	कम्प्यूटर मनुप्रयोग प्रशीतन और वातानुकूलन	्र अंशकालिक	1.5	1980
	कामिक सचिवालय पद्धति	पूर्णंकालिक	1	1979
	औशर इंजीनियरी	पूर्णकालिक	2	1989
उन्न डिप्लोमा	आधारिक इलैन्ट्रानिवस आधारिक इलैन्ट्रानिवस	पूर्ण कालिक	1.5	1995
्र टिप्पणी : विभिन्न कालम	ों में दिए गए विषय और मांकड़े केवल उदाहर	(ण		
के लिए है।				

- 2.2 क्या संस्था और संचालित किया गया/किए गए पाठ्यकम मखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मनुमोदित है/हैं?
 - यदि हां, मखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सभी मनुमोदन पत्रों की प्रति संलग्न कीजिए।
 - यदि संचालित किए जारहै किसी पाठ्यकम (पाठ्यकमों) को मखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने भनुमोदन प्रदान नहीं किया है तो उसका कारण बताएं।

27

1992-93

स्वी०

प्रन्य

स्वी० वा० स्वी० बा०

विगत पूरे 5 शैक्षिक वर्षों के दौरान प्रथम वर्ष छात्र नामांकन का ब्योरा (5 वर्षों का जोड़)

कृत उतीण कुल प्रवेशों का प्रतिशत पाधिक पाश्विक कुल हाप कुत प्रवेशों का प्रतिशत ভার प्रवेशक **कु**ल कुल छात्रों का प्रकार प्राउट प्रवेशक (3 ··· धनुःजाः/ प्रामोण लड़कियां प्रवेश स्वोकृत ग्रनु.जा./ ग्रामीण लड्कियां *** और जन-ग्रनु.ज. प्रवेश और जन-ग्रन्.ज. जातीय जातीय जा.

(क) डिप्लोमा पूर्णकालिक अंशकातिक

≈क

- (ब) उत्तर डिप्लोमा: पूर्णकालिक अंशकालिक
- (ग) उन्व डिप्लोमा TEX. पूर्णकालिक ×4-

 विद संस्था का काम करते हुए 5 वर्षों से कम हुए हैं तो वर्षों की संख्या बताएं जिनके लिए मांकड़े दिए गए हैं। 415 77 M.L

किर्दे 2.7 विगत पूरे 5 शीक्षक वर्षों के दौरान दितीय वर्ष छात्र नामांकन का न्योरा (5 वर्षों का जोड़)

ाबगत पूर उसार		द्वितीय वर्ष छात्र नामांकन का व्यारा (३ वर्ष ————————————————————————————————————	कुल कुल ड्राप	पाउटों का प्रतिशत उतीर्ण छ
छात्रों का प्रकार	कुल कुल स्वीकृत प्रवेश प्रवेश		्रहाप ग्रनु,जा ग्राअट ग्रनु,ज. जाति	ग्रामीण लड़िकयां पाश्विक और जन लड़िकयां प्रवेशक जातीय

- (क) डिप्लोमाः पूर्णकालिक ग्रंशकालिक
- (ख) अत्तर डिप्लोमाः वृणंकातिक ग्रंगकातिक
- (ग) उच्च डिप्लोमा पूर्णकालिक

- [PART]II-SEC. 4]
- 2.8 यदि कुछ पाट्यकर्मों में प्रवेश हारा भी दाखिले किए जाते हैं तो पाश्विक दाखिले की प्रवेश महैता का न्योरा भीर पाश्विक प्रन्येश के लिए कुल भारक्षित सीटों का प्रतिशत तथा पाश्विक प्रवेशकों की न्यूनतम दाखिला प्रहेता का वितरण दीजिए।
- 2.9 संबंधक संस्था के कैलेण्डर के मनुसार दाखिले आरम्भ भीर बन्द करने की तारीखें।
- 2.10 विगत दो मैक्षिक बर्पों के दौरान परीक्षा परिणामों का विवरण (दो वर्पों का जोड़)

छात्रों 	का प्रकार	परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	कुल उत्तीर्ण छात्र	विशेष योग्यता सहित उत्तीर्ण छात्र	प्रयम श्रेणी में उतीर्ण छात्र	द्वितीय श्रेणी में उत्तीष छात्र
•	डिप्लोमा पूर्णकालिक मंशकालिक					
	अंतर दिप्लोमा: पूर्णकालिक भंशकालिक					
•	उच्च डिप्लोमा पूर्णं कालिक प्रंपकालिक					

2.11 विगत दो मैक्षिक वर्षों के दौरान संस्था के कार्य समय का व्योरा (ग्रीसत)

_					
प्रति सेमेस्टर/वर्षे प्रत्याशित कार्येदिवसों की संख्या	प्रति सेमेस्टर/वर्ष वास्तविक कार्यदिवसों की संख्या	प्रति सेमेस्टर/वर्ष बिक्षण संबंधी काम के घंटों की संख्या	प्रति सेमेस्टर/वर्ष वास्तविक संपर्क घटे	षवकाश के दिनों को संख्या	परोक्षा के लिए व्यतीत किए गए दिनों की संख्या
					1431 40 (1441)

2.12 विगत दो शंक्षिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण छात्रों के नौकरी दिलवाने का स्थोरा (2 वर्ष का जोड़)

पीठयकम	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 3 महीने के भीतर नौकरी दिलवाई गई	उन छात्रों की मंख्या जिन्हें 3-6 महीने के भन्तगत नौकरी दिलवाई गई	उन छात्रों की संख्या जिन्हें 6-12 महीने के मन्तर्गत नौकरी दिलवाई गई

- 3.0 शिक्षण संकाय के बारे में सूचना
- 3.1 कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के लिए संकाय की संख्या

संकाय का प्रकार		स्वीकृत संख्या			स्यानों की संद्या		
	डिप्लोमा	उ न्व डिप्लोमा	———— जोड़	 डिप्लोमा	उत्तर डिप्लोमा	 जोड़	
पूर्ण कालिक प्रंशकालिक		उच्च डिप्लोमा			उच्च डिप्लोमा		
ग्रम्यागत							

प्रसासन संस्थान पासिटेकनिक विकास मागदर्शन एवं उपनोधन

गत 5 बर्षी के दौरान

पर कुल निवेश

उपस्कर तथा उपकरण

विभिन्न प्रयोगगालाओं

के नाम

6.0 प्रयोगशालाएं

विभाग

		. 		• • •		
		भारत का	राजपत्र : मसाम्रार	π ,		31
IIIgrs 4]						
1 कर्मज्ञाला विभाग				ৰিদির	सापों के नाम	गत 5 वर्षों के दौरान उपस्कर तथा उपकरणों पर कुल निवेश
		•				
्• कुरसी क्षेत्र (वर्ग मीटर)				छात्रावास	 निवास	 कुत क्षेत्र
निमृश्यिका प्रकार	शिक्षण भवन	प्रशासनिक भवन	मुविधाएं 			
क्रिकेटी क्रिकेट सी सी है) इंप्रोट सी सी						
and a						
0 भूमि उपलब्धता (बगमीटर)	·					जोड़
ग्रीसिक और प्रशासन		खेल के मैं दान	छात्रावास	1		
कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमा इल्लिखित भूमि केवल संस्था के उपयोग को कि भूमि क्षेत्र में एक या भ्रधिक भूष	i का लिए जेरा पर is शामिल हैं।	_	c -			
कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमा लिलंबित मूमि केवल संस्था के उपयोग करें कि भूमि क्षेत्र में एक या मधिक भूड 9.0 गत 5 वर्षों के दौरान परामगं, 9.1 परामग्री दत्तकार्यों और प्राहक 9.2 ग्रैक्षिक प्रहंताओं, शिक्षण कौशल कृपया संकाय के नाम, पद नाम 9.3 सम्मेलनों तथा प्रन्य व्यावसायि राशि ।	क शिल्यु जाता व इंड शामिल हैं। प्रायोजित मनुसंघान, संगठनों के नाम सा प्रादि के सुघार त, बधित महैताओं के क बैठक में भाग हैं त, सहभागिता सम्मेल मनवर्ती इंजीनियरी	व्यावसायिक विकास हित कुल भाय तथा के लिए भट्यतन प्र के नाम/उन्नत कौशल सेने के लिए भाज तब सन/बैठकों का नाम बी शिक्षा कार्यक्रमों की स	मादि प्रत्येक दत्तकार्य की प्रोजित संकाय संव प्रादि का उल्लेख प्रायोजित संकायो जिए और स्थान व	ग्रवधि और नाम, त्या। कीजिए। की संख्या और	कुल माय मा इस प्रायोजन का उल्लेख कॉ	दिका स्पौरा दीजिए। के लिए खबंकी गई कु
कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमा दिलखित भूमि केवल संस्था के उपयोग करें कि भूमि क्षेत्र में एक या मधिक भूक 9.0 गत 5 वर्षों के दौरान परामगं, 9.1 परामग्री दत्तकार्यों और प्राहक 9.2 ग्रैंक्षिक महंताओं, शिक्षण कौगल कृपया संकाय के नाम, पद नाम 9.3 सम्मेलनों तथा प्रन्य व्यावसायि राशि । कृपया संकाय का नाम, पदनाम 9.4 प्रापको संस्था द्वारा संचालित कृपया कार्यक्रम का नाम, तारी 10.0 वित्ताय 10.1 गत 2 ग्रैंक्षिक वर्षों (1990	क शिल्यु जिल्ला के हैं। प्रायोजित मनुसंघान, संगठनों के नाम सा ा मादि के सुँघार ा, बधित महंताओं के क बैठक में भाग है न, सहभागिता सम्मेल मनुबर्ती इंजीनियरी	व्यावसायिक विकास हित कुल भाय तथा के लिए भद्यतन प्र के नाम/उन्तत कौशल सेने के लिए भाव तक त/बैठकों का नाम बी शिक्षा कार्यक्रमों की स	धादि प्रत्येक दत्तकार्य की प्रोजित संकाय संव धादि का उल्लेख प्रायोजित संकायो जिए और स्थान व द्या तथा सहभागि दे दीजिए।	ग्रवधि और नाम, त्या। कीजिए। को संख्या और और तारीख ग्रादिः यों की कुल संख्या	कुल माय मा इस प्रायोजन का उल्लेख की	दिका भ्यौरादीजिए। केलिए खर्वकी गई कु
कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमा लिलंखित मूमि केवल संस्था के उपयोग हरें कि मूमि क्षेत्र में एक या घांछक मूख 9.0 गत 5 वर्षों के दौरान परामगं, 9.1 परामगीं दत्तकारों और प्राहक 9.2 ग्रैंक्षिक प्रहुंताओं, शिक्षण कौशल कृपया संकाय के नाम, पद नाम पर्या संकाय के नाम, पद नाम पर्या संकाय का नाम, पदनाम 9.4 प्रापको संस्था द्वारा संचालित कृपया कार्यक्रम का नाम, तारी	क शिल्यु जिल्ला के हैं। प्रायोजित मनुसंघान, संगठनों के नाम सा ा मादि के सुँघार ा, बधित महंताओं के क बैठक में भाग है न, सहभागिता सम्मेल मनुबर्ती इंजीनियरी	व्यावसायिक विकास हित कुल भाय तथा के लिए भद्यतन प्र के नाम/उन्तत कौशल सेने के लिए भाव तक त/बैठकों का नाम बी शिक्षा कार्यक्रमों की स	धादि प्रत्येक दत्तकार्य की प्रोजित संकाय संव धादि का उल्लेख प्रायोजित संकायो जिए और स्थान व द्या तथा सहभागि दे दीजिए।	ग्रवधि और नाम, त्या। कीजिए। को संख्या और और तारीख ग्रादिः यों की कुल संख्या	कुल माय मा इस प्रायोजन का उल्लेख की	दिका स्पौरा दीजिए। के लिए खबंकी गई कु

दान

छातों से फीस प्रातुरिक राजम्ब

का नाम तथा हस्ताक्ष

10.3 निम्नलिखित र शामिल है लेवि	वर्षों के दौरान प्रति छात केन छात्रावास फीस और	त्र बसूल की गई कुल वार्षिक खाद्य प्रभार ज्ञामिल नहीं है)।	पीत का उत्लेख	कोजिए (इसमें	शिक्षा, पुस्तकालय	, प्रयोगशाला	पादि को
1990-1	9 1						
1991-	9 2						
1992-	93						
10.4 प्रतिरिक्त नि	ि धि की मावश्यकता, यदि	हो।					
विवरण						र ः	ख में
मा वर्ती		-					· · · · · · · · ·
(क) शिक्षण कर्मचारिक	यों का वेतन			• .'		•	
(ख) शिक्षणेतरस्टाफ	का वेतन						i
(ग) छात्रवृत्तियां							
(घ) यात्रास्ययः	••						
(ङ) मन्य मावर्ती व्यय					~		4
मावर्ती का जोड़:							
प्र नावर्ती							
(क) भ्रतिरिक्त भवन							d d
(ख) भतिरिकत उपस्कर	τ						I
(ग) भ्रन्य							
धनावर्ती का जोड़							
·							
							- Bank
10.5 कृपया यह बताए	एंकि म्रतिरिक्त निधियों	(जैसा 10.3 में धनुमान स	ागाया है) का सूज	न किया प्रकार	किया जाएगा।	• .	
11.0 वर्ष 1990-91,	, 1.991-92, बीर 19	92-93 के दौरान प्राप्त किए	गए मखित भारती	य तकनोकी शिव	ता परिषद के भनु	मोदन	
गठ्यकम/पाठ्यकर्गो	वार्षिक प्रवेश	प्रारम्म करने का वर्ष	अखित म	ारतीय तकनोको	शिक्षा परिषद् का ग्र	नुषोदन की सं	च्या बोर ताएँ
	कि क्या प्रस्तावक कोई त्य भनुमोदित नहीं है।	ऐसा कार्यक्रम या ग्रन्यतकनी क	गेसंस्था क ≀ संवा∉	त भोर/प⊨प्रबंब	कर रहाहै जो	मखित भार	तीय तकनी
•	•	पता तथा संचालित किए जा	रहे पाठ्यकमों का	उल्लेख कीजिए	1		1
	•						
3.0 वया प्रस्तावक के मुकदमा चल रहा है		म्रखिल भारतीय तकनीकी शि	क्षा पारप य् ग धिनि	यम के उपवंधी	का उल्लंघन करते	के संबंध में ग	नोई ग्रदा
4 0 शैक्षिक तथा मन्य	गतिविधियों (यदि हों)	में आधार-संरचनात्मक/विस्तार	संबंधी सुधार के	तिए भावी योज	नाओं का संजिप्त	विदरण दें।	
(सील)						संस्वा	के मध्यत

33

नामहरू के

\$ 277.42

बौर तकनीकी सहायक स्टाफ जाने को दैयार नहीं होता । इसलिए, मार्वेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्थान को यह विश्वसनीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संस्था के लिए स्टाफ उपलब्ध है और उसकी व्यवस्था की जा

संलग्न किए जाने वाले प्रलेखों की सूची

ग्रावेदक को यह मुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित प्रलेख संतान किए जा रहे हैं:

- (क) सोसाइटी न्यास मादि के पंजीकरण प्रतेख की एक प्रति । उसके माय सोसाइटी न्यास मादि के गठन को प्रति भी संलग्न करें।
- (ख) संस्था खोलने के लिए प्रति बैठक संगत सरकारी मादेशों की एक प्रति । 🗀
- (ग) संस्थान/वर्तमान पाठ्यकम (पाठ्यकमों) के संबंधन की प्रति सहित संबंधक निकाय के पत्र की एक प्रति ।
- (घ) प्रक्रिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रनुमीटन पत्नों (प्रत्येक) की एक प्रति।
- (ङ) शिक्षण और परीक्षा स्कीमों सहित वर्तमान पाठ्यकम (पाठ्य-कमों) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण की प्रतियों।
- [∮](च) निम्नलिखित दस्तायेजों के स्पप्ट प्रमाण में सक्षम प्राधिकारियों
 - ()) नक्शों की एक प्रति जिसमें भू-खंडपर वर्तमान तथा प्रस्तावित भवत (भवतों) का नक्का (ले-माउट) दिखाया गया हो और फोटो सहित प्रत्येक भवन का पलोर नक्शा।
 - (2) संस्था के भवन निर्माण के लिए स्थानीय उपनियमों के मनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा मनुमोधित नक्षो ।
 - (3) भवनों का समापन/कब्जा प्रमाणपत्र ।
 - (4) शहरी भूमि विकास प्राधिकरण की मन्मित ।
 - (छ) मूमि पंजीकरण कागजों/पंजीकृत पट्टानामा की एक प्रति (जो लागू हो ।।
 - (ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोग प्रमाणपत्न को एक प्रति जिसमें संस्था के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करने की मनुमति दी गई हो ।
 - (१) प्रावेदक के घिषशासी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस प्राशय का प्रमाण-पत्र कि मूमि और सुविधाओं का उपयोग किसी मन्य संस्था। गतिविधि के लिए नहीं किया जा रहा है।
 - (গ) एक रेखाचित्र जिसमें प्रत्येक मू-खंड का शेत्र दिखाया गया हो और भू-खंशें की मध्य दूरियां दी गई हों, यदि भूमि क्षेत्र में एक से मधिक मृन्छंड शामिल हो।
 - (ट) शहर की सड़कों के नक्यों की एक प्रति जिसमें संस्था की प्रवस्थिति दिखाई गई हो।
 - (ठ) शिक्षण तथा परीक्षा स्कीमों सहित प्रस्तावित पाठ्यकम (पाट्य-कमों) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण की प्रतियां।
 - (इ) म्रतिरिक्त पाठ्यकम (पाठ्यकमों)/प्रवेश (प्रवेशों) में बृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के सिफारिशी/प्रग्रेषण पत्न की एक प्रति ।
 - (४) प्रस्ताबित पाट्यकम (पाट्यकमों)/प्रवेश (प्रवेशों) में बृद्धि करने से संबंधित संबंधक निकाय के रजामंदी पत्र की एक प्रति ।

जिल्ला जिल्लामा निष्य सार्वीध उमा रसीदों की कोटो

प्रा**खल**्भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् Amerik कामं IV

Property and

ः इंजीनियरी/प्रीद्योगिकी, बास्तुकला फार्मेंसी, मनुप्रयुक्त कलाओं मादि

हिम्मि हिन्ते वर्तमान पाठ्यकम (पाठ्यकमों) में रंड म्बतिरिक्त डिपो पाठ्यकम (पाठ्यकर्गो) तथा प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने हेतु मुखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मनुमोदनार्ष

Mariel f क्तिनिरी/प्रौद्योगिकी, बास्तुकला, फार्मेसी, सुनुष्युक्त कलाओं प्रादि के बर्तमान पाठ्यकम (पाठ्यकमों)

प्राप्ति एवं के मनुमोदनार्य प्रावेदन

मावेदन-पत्र की सात प्रतियां परिषद् के व्यरो (प्रार.सी.) को 31 दिसम्बर तक ग्रवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

विचार नहीं किया जाएमा ।

(ब) बो प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होंगे किंतु जो स्पवस्थित रूप में

(व) प्रस्ताव केवल ए--4 प्राकार में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

किंदि (इ) यदि बावेदक द्वारा दी गई सूचनाओं और विवरणों को गलत

্ৰিক্তিত (क्र) प्रस्तावित संस्था के उपयोगार्च धपेक्षित भू-सेंब होना चाहिए जिस पर राज्य प्राधिकरणों के नियमों के प्रनुसार सोसाइटी क्रिक्निनेत स्थास/संस्था के नाम में स्थष्ट हक्तनामा या पंजीकृत पट्टानामा ्राह्म का होना चाहिए।

विक्रिक मिर्माइटी न्याम प्रस्तावित संस्था के यास प्रपेक्षित मू-क्षेत्र क्षिक्रिकाने नहीं होगा तो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

कि कि कि मासिक मासिक के मिलकर संस्था और संबंधित शुर्श्वीर प्राधिकरण के नाम में एक प्रक्षयनिधि सुजित करनी चाहिए जिसकी रिफ्रीवां अधिकेतम वार्षिक प्रक्षिप्त मार्वर्ती रूपय के 30 प्रतिशत या राज्य हरकाएंसंय शासित क्षेत्र द्वारा निर्वारित राशि या र. 10 लाख (इनमें जो र्मी प्रश्विक हो) हो।

क पास के पास के समय, धावेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था के पास किसी घनुसूचित बैंक में संस्था के नाम कम से कम 9 महीने से चालू बचत या सावधि जमा खाता (खाने) में परियोजना की कुल

क्षा प्रावेदक/सोसाइटी न्यास/संस्था की कुल परिसम्पतियों की प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता के प्रमाणस्वरूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

राज्ञि के प्रमाण के ६प में स्वीकार नहीं किया जाता है।

145

[देखिए, विनियम 5 (2)(घ)]

घावे दन

कि है त्यतिरिक्त डिग्री पाठ्यकम (पाठ्यकमों) तथा प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने हेतू मखिल मारतीय तकनीकी शिक्षा

कि हैं। (क) निर्धारित फार्म में तथा विहित प्रतिया के पनुसार पूर्ण

किंदी (व) हमपूर्ण एवं निर्वारित फामेंट में प्रस्तुत न किए गए प्रस्तावों पर

क्राइटिंट होंगे उन पर मनुवर्ती शैक्षिक वर्ष में कार्रवाई की जाएगी ।

कार्तिकार जाना चाहिए।

क्षिमी क्षेत्री स्पाया जाएगा तो मावेदनपत्न को मस्वीकार कर दिया जाएगा।

भ्रतुमानित लागत के 10 प्रतिशत राशि जमा होनी चाहिए।

क्रीस (ग) दचन-पत्नों को प्रस्तावित संस्था की स्थापना के लिए उपलब्ध

शोर वार्

ेत हनी

- (त) शेष निधियों की उपलब्धता के संबंध में भद्यतन बैंक विवरणों, साविध जमा रसीदों भादि की फोटो प्रतियां।
- (य) संस्थान के पिछले तीन वर्षों के ग्राय-व्यय के विधिवत् परीक्षित विवरणों, तुलनपत्न और लेखापरीक्षित रिपोर्टों की फोटो प्रतियां।
- (द) प्रतिरिक्त निधियां जुटायें जाने की पुष्टि में प्रधिप्रमाणित प्रलेख।
- (ध) मधिप्रमाणित दस्तावेज जिनमे प्रक्षिप्त जनशक्ति मांग और प्रस्तावित विषयों के स्व-रोजगार की संभावनाओं का औचित्य सिद्ध किया गया हो।
- (न) भवन (भवनों) के निर्माण के लिये स्थानीय उपनियमों के मनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित भवन (भवनों) के मनुमोदित प्लोर नक्शे (मर्थात् सिविल ड्राइँग)।
- (प) भनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिये दावे की पुब्टि में मधिप्रमाणित प्रलेख।
- (फ) वार्षिक म्रावर्ती व्यय को पूरा करने के लिये संबंधित दावें के समर्थन में म्रधिप्रमाणित प्रलेख ।
- (ब) न्यायिकेतर स्टांप कागंज पर ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सामान्य भर्तो का ग्रनुपालन करने के लिये एक वचनबंध जो संलग्न फार्मेंट के ग्रनुसार इप-पंजीयक या ग्रन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां विधिवत् पंजीकृत हो।
- (भ) संस्थान के प्रबंध के लिये जिम्मेदार निकाय/ परिषद्/समिति की गत तीन बैठकों का कार्यवृत्त ।

मन्बंध---I

न्यायिकेतर स्टांप कागज पर वचनबंध प्रस्तुत किया जाना चाहिये जो उप-पंजीयक या किसी ग्रन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां पंजीकृत हो।

मैं/हम (कालेज/संस्थान/मंडल/न्यास/सोसाइटी ग्रादि के न्यासी/ग्रध्यक्ष/प्रिसिपल/निदेशक का नाम) एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम———सत्र से (पाठ्यक्रम/कालेज का नाम) ग्रारंभ करने/स्थापित करने/सीटों की प्रवेश क्षमता से संवधित ग्रपने ग्रावेदन (पत्र) के संवध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करूगा/करेंगे:

- 1. प्रवंधक वर्ग (इसमें संस्थान/कालेज का शासी निकाय भी शामिल है) का गठन तथा निकाय/परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति परिषद् के मार्गनिर्देशों के अनुसार की जायेगी (अनुबंध-II) ।
- 2. प्रबंधक वर्गं ग्रावर्ती व्यय को पूरा करने के लिये परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानकों एवं मानदंडों के प्रनुसार विकसित भूमि में निवेश करने तथा संबंधित ग्राधार-संरचनात्मक, शिक्षणात्मक एवं ग्रन्य सुविवाएं, प्रदान करने के लिये निधियां उपलब्ध करायेगा।

- पाठ्यकमों या कार्यकमों का संचालन तक कार्मिकों की निर्धारित मांगों के ग्रनुसार किया जायेगाः
- 4. (क) दाखिले संबंधित तकनीकी संस्थाओं प्रवेशार्य परिषद् के विनियम एवं निर्देशिका के प्रनु दिये जायेंगे।
- (ख) पाठ्यक्रमों में केवल तभी दाखिले दिये जा जब न्यूनतम प्रपेक्षित/विहित सुविधाये सृजित कर दी होंगी और संबंधक विश्वविद्यालय /राज्य बोर्ड ने पाठ्य प्रारंभ करने की प्रनुमति दे दी होगी।
- (ग) संस्था परिषद् की पूर्व सहमित के विना वि संस्था को बंद नहीं करायेगी या बंद कराने की अनुम् नहीं देंगी या पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को बंद नहीं कराये अथवा सीटों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन नहीं करेगे
- 5. शिक्षा तथा भ्रन्य शुल्क परिषद् द्वारा समय-पर निर्धारित किये गये मानदंडों के भ्रनुसार लिये ज छालों/प्रभिभावकों से किसी भी रूप में कोई भी प्रति हर, फीस नहीं सी जायेगी।
- 6. संस्था के लेखाग्रों की परीक्षा प्रति वर्ष हि सनदी लेखाकार द्वारा की जायेगी और परिषद्∤ या ट या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उनका कभ भी निरीक्षण किया जा सकेगा।
- 7. शिक्षण तथा भ्रन्य स्टाफ, का चयन परिषद् समय-समय पर निर्धारित की गई प्रक्रियाओं, महंताओं भनुभव के भ्रनुसार किया जायेगा।
- 8. प्रबंधक वर्ग भ्रन्य उन शर्तों का भी पूरा पा करेगा जो परिषद् द्वारासमय-समय पर निर्दिष्ट की जायेंा
- 9. यदि (सोसाइटी/न्यास/मंडल/कालेज/संस्था म्रादि का नाम) परिषद द्वारा समय-समय पर निर्घारित/विहित किये गये मार्ग-निर्देशों, मानकों तथा शतों का पालन नहीं करेगा तो परि या कोई निकाय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तिको किन्हों भी संबद्ध मुद्दों पर विचार किये बिना संस्था से मनुमोदन या मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी और मनुमोदन या मान्यता वापस लेने की पूरी जिम्मेदा उस (सोसाइटी/संस्थान/कालेज) पर होगी।
- 10. कोई भी कालेज/संस्थान केवल इस ग्राधार पर कि उसे परिषद् का मनुमोदन प्राप्त है, संस्थान या मावर्ती व्यय ग्रादि के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार से स्वतः सहायता-मनुदान प्राप्त करने का दावेंदार नहीं बनेगा।

(वचन देने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का . नाम और उसका पद)

स्थान:

दिनांक:

(सील)

1. कोष्ठकों में संगत विवरण दिया जाना चाहिये।

बेह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि स्टाप कार्यज तथा स्तरमहर्का प्रधिप्रमाणन उचित रूप से किया गया है।

क्षिप्रदिवेंट तकनीकी संस्थाओं के शासी निकाय का माडल गठन

हित्काय में प्रध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित कम से सदस्य होंगे । पंजीकृत सोसाइटी/न्यास मध्यक्ष और ार्ट्स रिवं ... सहित 6 सदस्यों को नामित करेगा और बाकी उद्दर्शिका नामन इस प्रकार किया जायगा:---

Elst: 1 र्दुसुद्धाः प्रध्यक्ष का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा किया जायगा।

🚈 सुदुद्धों का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा ानगुर श्रीयेगा ।

ुद्धिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नामिती--द्विए पाधिकारी (पटेन)

 तृह्मीएक उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविद/शिक्षाविद का नामन तुर्द्राह है अध्यक्ष द्वारा प्रनुमोदित पैनल से परिषद के नामिती किया अंबीय समिति द्वारा किया जायगा।

- 8. संबंधक निकाय/विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा वोडं का नामिती।
- नामिती-तकनीकी शिक्षा निर्देशक 9. राज्य सरकार का (पदन)।
- 10. राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया क्षेत्र से एक उद्योगपति/प्रौद्योगिकोविद/शिक्षाविद ।
- तकनीकी संस्या का प्रिसिपल/निर्देशक 11. संबंधित (सोसाइटी/न्यास के नामिती केरूप में) --सदस्य-सचिव।

तकनीकी संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत सोसाइटी के नामितियों और सर्वधित क्षेत्र के शिक्षाविदों की इतनी ही संख्या जोड़कर सदस्यों की संख्यामें वृद्धि की जा सकती है। लेकिन शासी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या 21 से ग्रधिक नहीं होगी।

शासी निकाय के ग्रध्यक्ष की नियुक्ति

शासी निकाय का मध्यक्ष मुख्यतः एक तकनीकी व्यक्ति मर्पात् कोई उद्यमी या उद्योगपति या विख्यात शिक्षाविद होगा जो तकनीकी शिक्षा के यिकास में रुचि रखता हो और मूल सीसाइटी/न्यास का सदस्य हो तथा जिसने विशेषतः उच्च कोटि की शिक्षा की बढ़ावा देने में धिच प्रदर्शित की हो।

म्स्साम्य भूवना

किसी

शयेगी

यी ।

नमय

ायेंगे

k वित

कसी

कभी

ा एवं

पालन

ाम)

ग्रह्मा को तीम और पता तथा तार पता, फैनस और फोन नंबर

(एस टी डी कोड सहित)

क्षी के प्रध्यक्ष का नाम और पद तथा निवास और कार्यालय का क्रीफोर्च नं

किएटें में एस टी ही कोड सहित)

क्रिक्य स्वा स्वा का प्रकार (निम्नलिखित में से किसी एक को निर्दिष्ट करें)

हार्देट-दैर-मनुदान प्राप्त/प्राह्वेट/सहायता प्राप्त सरकारी (केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित क्षेत्र) घन्य (निर्दिष्ट करें)

किंदी आहेरेट संस्था के मामले में न्यास/सोसाइटी घादि का पूरा ढाक पता और घध्यक्ष का नाम, और तार पता, फैक्स और फोन नं. (कोब्डक) में र्स ही ही कोड सहित) दिया जाए।

हिंदीहरू स्थापना की तारीख (कृपया सरकार के संगत ग्रादेश की प्रति संलग्न करें)।

💽 ह्यांक दिश्वविद्यालय/निकाय का नाम सीर पूरा डाक पता लिखिए। कुलपति और कुल सचिव या समकक्ष घधिकारियों के नाम और फोन नम्बर घी

म्बद्धिम् स्वर् (इ.स.च.	क्षेत्र/विशेषज्ञा	पूर्णं/ अंशकालिक	मवधि (वर्ष)	स्वीकृत प्रवेश	धारंभ वर्ष
Talenderi				<i>e</i> 0	1972
	सिवित इंजीनियरी यांत्रिक इंजीनियरी	पूर्णकालिक अंशकालिक	4	60 30	1980
	यात्रक ६णानयरा बास्तुकला	पूर्ण कालिक	5	60	1989
	फार्मेस <u>ी</u>	पूर्णकालिक	4	60	1985
न्यावकावर है					
TE TO THE TOTAL PROPERTY.	मशीन डिजाइन	पूर्णं कालिक	1.5	10	1982
	ताप इंजीनियरी	अंशकालिक	. 3	10	1984

THE GAZETTE OF, INDIA 2.2 क्या ग्रंट्या और ग्रंबातित किया क्या/किए गए पाट्यक्रम ग्रांबत भ यह मा ग्रंपा और ग्रंबातित किया क्या/किए गए पाट्यक्रम ग्रांबत भ पाट्या ग्रंपा ग्रंपा कीर ग्रंबातित किया क्या/किए गए पाट्यक्रम ग्रंपादन पट्टा ग्रंपादन पट्टा किसी पाट्यक्रम (पाट्यक्रमों) को ग्रांबत	तरतीय तकृतीकी शिक्षा परिषद् हारा भन्ना	देत हैं () । । । । हो	ा । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
यदि संचालित किए जो रहे किसी पार्थिक (पार्थिक) स्वापन कारण वृत्तारी, शिक्तान व्यक्तिरीयाः	graph the office of	: ਨਿਸ਼ ! •	
2.3 बर्तमान पाठ्यकर्मी में प्रवेत :	त के निष्क्षिति भूति अभाग अन्य	प्रवेश वि	দিরেগ সেন
प्रवेश उ. मार्थिक स्थितिक का नाम का नाम का मार्थिक का नाम का		r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
केंद्र केंद्र केंद्र के अनुवार के किया है। के किया के क	the second second	. yt. 1√3 - ^(1,2)	-
विकारिक में अस्ति में अपने के किया है कि किय	न उन्नाहन भीमाइटान्याम	And Andrews	g on the Mode a
ाँ ए ए एक एक स्थान से के मित्राबिदों को एक से ने नेवाम में बीद्र हो के के सिंह एक स्थान के मुख्या की मेरक	err Biratzan (ar. 1.a	- √F ⁽¹⁾	पूरकार की वी **'e : 1¶ **
La Company of the Com			era i e i i i
2 5 स्वीकृत एवं बास्तविक दावित	Contract State 5		वेबयों में निर्धार
कृपया यह बताएं कि क्या प्रवेश परीक्षा का माधार महुँक परीक्षा में प्र 2.4 यदि दाखिल महुँक परीक्षा (यथा 10+2 मादि) में प्राप्त अंको न्यानतम कुल प्रतिशत अंको और न्यानतम असित प्रतिशत अंको के संबंध में सभी 2.5 स्वीकृत एवं बास्त्विक दाखिले :	स्वीकृत (स्वी) और बास्त		वेबयों में निर्धार
म्यूनतम् कुल प्रतिशत अंको और न्यनतम असत प्रतिशत अंको के सबस म सना	Contract State 5		वेदयों में नि≃िर
म्यूनतम् कुल प्रतिशत अंको और न्यनतम असत प्रतिशत अंको के सबस म सना	स्वीकृत (स्वी) और वास्त 199-9 199-		वेदयों में नि≃िर
म्यूनतम् कुल प्रतिशत अंको और न्यनतम असत प्रतिशत अंको के सबस म सना	स्वीकृत (स्वी) और वास्त 199-9 199-		वेदयों में नि≃िर
म्यूनतम् कुल प्रतिशत अंको और न्यनतम असत प्रतिशत अंको के सबस म सना	स्वीकृत (स्वी) और वास्त 199-9 199-		विवयों में नि≃िर : 199-9 स्वी. वा
म्यूनतम् कुल प्रतिशत अंको और न्यनतम असत प्रतिशत अंको के सबस म सना	स्वीकृत (स्वी) और बास्त 199-9 199- स्वी. बा.		वेदयों में नि≃िर
म्यूनतम् कुल प्रतिशत अंको और न्यनतम असत प्रतिशत अंको के सबस म सना	स्वीकृत (स्वी) और बास्त 199-9 199- स्वी. बा.		विवयों में नि≃िर : 199-9 स्वी. वा
म्यूनतम् कुल प्रतिशत अंको और न्यनतम असत प्रतिशत अंको के सबस म सना	स्वीकृत (स्वी) और बास्त 199-9 199- स्वी. बा.		विवयों में नि≃िर : 199-9 स्वी. वा
म्यूनतम् कुल प्रतिशत अको और न्युनतम् असत् प्रतिशत अका कस्य प्रतिश् 2.5 स्वीकृत एवं बास्त्विक दाखिले : पाठ्यकम	स्वीकृत (स्वी) और बास्त 199-9 स्वी. बा. स्वी.		विवयों में नि≃िर : 199-9 स्वी. वा
न्यानतम् कृतं प्रतिशत अको और न्यानतम् असत् प्रतिशत अको कस्य प्रतिश्रातः । 2.5 स्वीकृत एवं बास्तविक दाखिले : पाठ्यकम । पाठ्यकम ।	स्वीकृत (स्वी) और बास्त 199-9 स्वी. बा. स्वी.		विवयों में नि≃िर 199-9 स्वी. वा
म्यूनतम् कुल प्रतिशत अको और न्यूनतम् असत् प्रतिशत अका कस्य प्रति । 2.5 स्वीकृत एवं बास्त्विक दाखिले । पाठ्यकम	स्वीकृत (स्वी) और बास्त 199-9 स्वी. बा. स्वी.		वेश्यों में नि≒िर 199-9 स्वी. बा.,
न्यानतम् कृतं प्रतिशत अको और न्यानतम् असत् प्रतिशत अको कस्य प्रतिश्रातः । 2.5 स्वीकृत एवं बास्तविक दाखिले : पाठ्यकम । पाठ्यकम ।	स्वीकृत (स्वी) और बास्त 199-9 स्वी. बा. स्वी.	तिक (बा.) प्रवेश - 9 बा	वेडवों में नि±िर 199-9 स्वी. वा.

3

6-3 M. . .

\$ **1** . •

उत्तीणं हावों

की संस्था

उत्तोर्ण

संख्या

छात्रों

प्रवेशक

लडिकयां

क्षिक प्रकार कार्या का प्रकार	परीक्षा में बैठे	कूल उत्तीर्ण छात्र	विशेष योग्यता	प्रथम श्रेणी में	द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण	
्रिकेट छात्रों का प्रकार कर्म	छात्रों की संख्या	•	सहित उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण छात्र	ভার	
一种国际	5.47 4. 651					

क) पूर्व स्नातक **बृध्यू वं**कालिक **अस्मावकोत्तर** र्पञ्जित्क

पंचकासिक जितिय करें)

सहायक प्रोफेसर

बरिष्ठ तेक्चरार

तेक्चरार

पन्य

† "समाति तप" -- समिल मारतीय तकनीको सिक्षा परिषद्।

		•		¥	ر د ر		
maili-fra 4]			भारत का राज	स्त्रः ससाधार	्ष		
3.3 परिलब्धियों और प	।।युका स्थीरा						
				 सहायक	वरिष्ट	लेक्बरार	धन्य
वरण	प्रोफेसर	सह-प्रोफेसर		प्रोफेस र	लेक्चरार		
ति की संक्या							
तुष्य पायुं (वर्ष) विकतम परि-		• •					
क्षिकतम परि-							
ब्धिया							
तीसुत परि-					4.		
7 (08 4)							
मून्तम परि-							
न विद्या							
संस्था में सेवा की							
विकार यनतम् सर्वधि							
हिंची में सेवा की प्रशिक्तम धर्वाध							
बाह्यक्रतम् धवाय सर्वे							
प्राप्त में हेवा की			₹				
मिन्न मन्धि							
Dir.							
A contract of the contract of							
				rien			
3.4 मत 2 वर्षों के व	रीरान कर्मशाला, पुर	तकालय तथा भ्रन्य सहार	यक स्टाफ का वंगवार	तक्या			
							को प्रपेक्षित संख्य
प्रमुख्य कावर		निम्नलि	निवत तारीखों की संग	या	निम्नलिखित के म	नुसार (तारी ख)	
						(01714)	
WAY				1, 199	राज्य/विश्वविद्याल	यके ग्रस्थि	ल भारतीय तकनीर्क
क्रिका को जिल्ला इस्केटिक को जिल्ला		बन. 1, 199	, બાગ.	1, 199	मानक		ा परिवद् के मान
* W. 97-G							
कर्मशासा धरीसक कर्मशासा धरीसक							
कोरमेन इन्द्रस्टर इ.स.सासा इन्द्रस्टर/							
1 ⁻							
सहायक इन्स्ट्रक्टर							
कत्तम् सहायक							
कुत्रसं सहायक नाम (हिन्स	. 1						
प्रयोगशाला तकनीशियन स्टिंग	1/						
- सहायक							
18							
पुस्तकालयाध्यक्ष		,					

श्रतकासय सहायक सिस्टम मैनेजर मिस्टम विश्लेषक मिस्टम विश्लेषक मिस्टम मोग्रामर

40	TH	E GAZETTE	OF INI	IA :EXTRAORI	DINAKI	[FARI	
3.5 निम्नलिखित का (एक सप्ताह में	र्थ-कलापों के लिए प्र इयुटी के कुल घंटों की						
 कार्यकलाप	प्रोफेसर	सह- प्रोफेसर-		सहायक ब्रोफेसर	वरिष्ठ हेस्बरार	तेश्वरार	घ्रन्य
 शिक्षण							
धनुसंधान							
प्रशासन							.,,
संस्थान/कालेज							
विकास मार्ग-							
दर्शन एवं							ःसर
उपबोधन •							. (2)
परामर्गं ०							
प्रशिक्षण एवं स्थानन							: 1 <u>- 1</u>
स्थानन धन्य							. 75
							; p
3.6 संकाय का स्यौरा	। (नाम, महैताएं औ	र मनुभव ग्रादि)					<u> </u>
नाम प्रह्ताएं	कुल प्रनृभव	जिक्षण का कुल प्रनृत्व	तियुक्ति को तारीख	तियुक्ति का <i>−</i> स्तर†	वर्तमान बेतनमान तथा तारीख जिससे यह बेतनमान दिया गया है	इस तारोजको 🗼 मृत वेतन	कुत परिलन्धियाँ
				<u>.</u> .			d <u>.</u>
3.7 कृपया व गई प्रक्रिया, धनुभव ब 3.8 कृपया व	ौर घहुँताओं के घनुस बताएं कि शिक्षण संव सरस्यामी की जा रहें	बर्तमान संकायों को गर की गई है। _{काय} के कितने प्रतिष्	भर्ती मिखिल ' सत संकाय सव	भारतीय तकनीकी शिक्षा । इस्यों को यत दो व कै	क्षिक वर्ष से भविज	: भारतीय तकनीकी	तिज्ञा परिवर् के स
का विवरण दीजिए।				िरयायत, चिकित्सा, व्यव	का मायपूर्वा नागर	a -41041/ 4 W	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
	सदस्यों को प्रदत्त सेव		र्व संवानवृत्ति	हितलाम ।			
4.0 कम्पूट	र हार्डवेयर और सो	पटवेयर मुविधाएं				ret ithkæ(itl	औरसंद्या) का
कृपया वर्तमान स्योरा दीजिए ।	त सुविधाओं (टर्मिन	ालों की संक्या, क	क्ष्यूटरो का	प्रकार) औरस्टाफ (शि	झ्रथ रटाफ का छ।	ing communicati	,
	लय की सुविधाएं						
5,1 पुस्तकों							
वर्ग		गत 3 वर्षों के द पुस्तकों की कुल		गत वर्ष के दौरान प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या	मात्र की तारी। में पुस्तकों की		

⁽क) पाट्य पुस्तकें (त) संदर्भ पुस्तकें

⁽ग) विश्वकोष

हें— (ग) भदनों का जुजापन/कर्जा प्रमाणपत । भै-के-(क) शतरी जिल्लाक प्रशासनम् की सन्तर्गत ।

9.0 भूमि उपलम्बता (वर्गमीटर) जोड़ : खेल के मैदान छावावास गैक्षिक और प्रशासन

कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कीजिये कि भूमि पर संस्या/न्यास का कब्जा है और भूमि उपयोग को घनुमित है तथाया गारंटी है कि उत्तिखित भूमि केवल संस्था के उपयोग के लिये उपलब्ब है और इसका उपयोग किसी भ्रन्य संस्था/गतिविधि के लिये नहीं किया आयेगा ह कृपया यह भी उल्लेख करें कि किक्या भूमि क्षेत्र में एक या प्रधिक भूखंड शामिल हैं।

उन ग्रवसरों का उल्लेख कीजिये जो विभाग में छात्रों को संगत तकनीकी/क्यावसायिक सोसाइटियों में महुभागिता और मदस्पता के लिये उपनन्ध हूँ ! में धवसर विभाग द्वारा कैसे उपलब्द कराये जाते हैं।

- 11.0 गत 3 वर्षों के दौरान, परामर्श, प्रायोजित प्रनुसंघान, व्यावसायिक विकास प्रादि ।
- 11.1 परामर्शी दत्तकार्यों और प्राहक संगठनों के नामों सहित कुल भाष तथा प्रत्येक दत्तकार्य की प्रविध और नाम, कुल प्राव पादि व
- 11.2 परियोजना के प्रायोजक संगठनों के नाम, परियोजना के नाम तथा कुल मूल्य सहित प्रायोजित धनुसंवान परियोजनाओं नथा कुल घ न्वौरा दीजिये । का स्थीरा दीजिये।
 - 11.3 शैक्षिक महताओं, शिक्षण कौशल मादि के मुधार के लिये मधतन प्रायोजित संकाप संख्या।

कृपया संकाय के नाम, पदनाम, विधित महैताओं के नाम उन्नत कौशल मादि का उल्लेख कीजिये।

11.4 सम्भेलनों तथा ग्रन्थ व्यावसायिक बैठकों में माग लेने के लिये भाव तक प्रायोजिन संकायों की मंत्र्या और इस प्रयोजन के ि बर्च की गई कुल राजि ।

कृपया संकाय का नाम, पदनामं, सहभागिता सम्मेलन/बैठकों का नाम दीजिये और स्थान और तारीख ग्रादि का उन्वेख कीजिये।

- 11.5 भाषकी संस्था द्वारा संवालित अनुवर्ती इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या तथा सहमागियों की कृत संवरा। कृपयः, कार्यक्रम का नाम, तारीख और ग्रवधि, सहनागिषों की संख्या ग्रादि दीजिये।
- 12.1 गत 2 शैक्षिक वर्षों के दौरान भावर्ती व्यय तथा धनावर्ती व्यय के हप में कुल व्यय।
- 12.2 विसीय सहायता के स्रोत :

मावर्ती व्यय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सीछे प्राप्ति) राज्य सरकार विश्वविद्यालय मनुदान भाषीय केन्द्रीय/राज्य सरकार के मन्य क्रोत निजी न्यास दान

छालों से फीस

मांतरिक राजस्व

उत्पादन

मन्य (इपया निदिष्ट करें)

12.3 गत 2 वर्षों के दौरान प्रति छात्र बसूल की गर्ड कुल वापिक फीस का उल्लेख कीजिये (इसमें गिला, पुस्तकातय, प्रदोगकाला फीस श्रामिल है लेकिन छातावास फीम मीर खाद्य प्रभार शामिल नहीं है)।

13.0 गत 2 वर्षों के दौरान प्राप्त किये गये अधिन भारतीय तकतीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन

पाट्यकम/(पाट्यकमी) संस्थाओं का नाम

वाणिक प्रवेश

प्रारंभ करने का बर्प

प्रवित्व भारतीय तर निधा परिषद ंमोदन की सं≂

বাহীৰ

भारत का राजपतः प्रसाधारण

43

र्वा । प्रस्तावित पाठ्यकम (पाठ्यकमों) प्रतिरिक्त छात्रों से संबंधित सूचनाः

कि कि किये जाने बाले प्रस्तावित शैक्षिक कार्यकम:

The state of the s	the attendance of the second						
निर्माण का नाम	ग्रवधि (वर्षी में)	प्रवेश छात्र संख्या	प्रारंभ करने का प्रस्तावित वर्ष	प्रवेश स्तर/निम्नतम योग्यता			
बाल्यकम का नाम		60	1993-94	12+			
	•	. 60	1993-94	12+			
संस्थानक क्याराय सम्युटर-विज्ञान एवं इंजीनियरी गविकी इंजीनियरी	4	60	1993-94	12+			
गविकी इंजीनियरा							

टिप्पणी : विभिन्न कालमों में दिये गये विषय एवं संख्याएं केवल उदाहरण के रूप में हैं।

कार्यक्षा 14.2 शिक्षण ग्रीर परीक्षा स्कीम के साथ प्रशावित प्रत्येक पाठ्यकम के लिये संस्था द्वारा ग्रयनाये जानेवाले पाठ्यचर्या ग्रीर पाठ्य विवरण ्रवियां साथ सगाएं। •

14 3 शैक्षिक कार्यक्रम जिनमें छात्र प्रवेश संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है

ार्थ । अ शिक्षक कायत्रम् । अ स्थानम् का नाम	संस्वीकृत छात्र संच्या	प्रस्तावित छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि	भवधि (बर्थों में)	प्रस्तावित वर्ष जिसमें छात प्रवेश संख्या में वृद्धि करनी है	प्रवेश स्तर/निग्नतम योग्यता
		1.5	4	1993-94	12+
करोतिक एवं सचार इंजीनियरी दिने इंजीनियरी	45 30	115	4	1993-94 1993-94	12+ 12+
दिस देवीनियरी	30	15			

----- टिप्पणी : विभिन्न कालमों में दिये गये विषय एवं संख्यायें केवल उदाहरण के लिये हैं।

15.0 क्या प्रस्ताव संबंधित राज्यं सरकार द्वारा समर्थित है? यदि हां, तो राज्य सरकार के पत्न की प्रति संनन्न करें।

16.0 क्या संबद्ध करने वाले निकाय (प्रस्तावित पाठ्यकमों को संबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय) से प्रश्चिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ारा स्वीकृति दिये जाने की शर्त के भ्राधार पर सहमति प्राप्त कर सी गई है, यदि हा, तो सहमति पत्नकी प्रतिसंतान करें।

17.1 क्या निकाय निधि/ग्रक्षय निधि स्थापित कर हो गई है और उसे राज्यसरकार के पास बंधक रखदिया गया है? यदि हां, दो उसका

17.2 पाठ्यकम (पाठ्यकमों)/ छात्र प्रवेशं संख्या में दृद्धि के संबंध में होने वाते प्रावर्ती और प्रनावर्ती व्ययों को परा करने के लिये उपलब्ध नाण संलग्न करें। रिधियों का स्थीरा प्रस्तुत करें और इसके समर्थन में नवीनतम वैक-विवरणिकार्थे एक डी मार की रसीदें मादि संलग्न करें । बचत-पद्म स्वीकार्य नहीं

17.3 प्रस्तावित अतिरिक्त पार्यक्रमों छात्र प्रयेश संख्या में वृद्धि के तिये अतिरिक्त निधि जरूरतों का मूदि कोई हों, स्यौध दें:

17.3 प्रस्तावित	प्रतिरिक्त पार्यकमा छात्र प्रवश संख्या म	पश्चि	रुपयों में	-
वित्ररण		العلى كينوب ومنسيطة وي إلك والمستول والمال المستول المالية والمستولة والمستولة والمستولة والمستولة والمستولة والمستولة		_

गर्वी

- क) शिक्षण कर्मवारियों का वेतन
- खं) गैर-शिक्षण कर्मचारियों का बेतन
- ग) छात्रवृत्तियां
- ष) यात्रा व्यय
- 🕏) प्रन्य ग्रावर्ती व्यय

भादि भौगवतीं व्यय का जोड़:

प्रनावर्ती े

- क) मितिरिक्त भवन
- ष) प्रतिरिक्त उपस्कर
- ग) प्रत्य ा प्रन्-
- यनावर्ती व्यय का जोड़ ा झौर

चनुतिक्षण क्ष दर्भग हाल

छात प्रदेश तंस्या वे

बुद्धि का चौवा वर्ष

हात प्रवेग संस्या में

बृद्धि का तोतरा वर्ष

छात्र प्रवेश तंस्या में

वृद्धि का दूसरा वर्ष

छात्र प्रवेश संख्या में

बुद्धि का प्रथम वर्ष

छात्र प्रवेश संस्था में

बृद्धिकाँ गुरुमात से पूर्वकी मदद्रि

19.7. पुस्तकालय:

कृषया लागत के प्राक्कतनों के साथ पुस्तकों (पाट्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों विश्वकोश तथा ग्रन्थ), के मतिरिक्त स्टाफ पत्रिकामों (३शी एकं प्रन्तर्राष्ट्रीयं कर्नीचर, जुडनार, फिटिंग मादि को प्राप्त करने के लिए वर्षवार कार्यायोजना प्रस्तुत करें।

मद

पार्यकम (पार्यकमों) पार्यकम (पार्यकमों) पार्यकम(पार्यकमों) पार्यकम (पार्यकमों) पार्यकम(पार्यकमों) । छात प्रवेस संख्या में छात प्रवेश संख्या में छात प्रवेश संख्या में छात प्रवेश संख्या में छात्र प्रवेश संख्या में बढ़ि की शुरुषात से वृद्धि का प्रथम वर्षे कृद्धि का दूसरा वर्षे वृद्धि का तीसरा वर्षे वृद्धि का चौथा बर् पुर्व की प्रविधि

पाटयपुस्तकें संदर्भ पुस्तकें पविकाए

स्पारे के लिए कृपया मानकों भार मानदण्डों तथा पाठ्यकम (पाठ्यकमों की विस्तत पाठयचर्या को देखें)

19.8 शिक्षण संकाय :

कृपया प्रतिरिक्त शिक्षण संकाय (प्रोक्तेसर, सहायक प्रोक्तेसर, वरिष्ठ लेक्बरार) की पतों के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें। यदि पहले से ही उपलब्ब के है तो कृपया प्रत्येक वर्ग के स्टाफ की संख्या का भी उल्लेख करें।

संकाष काडर	पहले ते ही उपलब्ध संकाय का प्रभार की संद्या प्रदेशकालिक/पूर्णका		वर्षों के दौरान भत	ों किए जाने वाले	ों की संबग	
	तिक/ग्रध्यागतः	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्रप्रवेग	पाठ्वक्रम (पाठ्यक्रमो) छात्रप्रवेस,	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमी) ভারসবীম	गाड्यक्त (पाठ्यत्रमा) हातप्रवेत	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमीं) छात्रप्रवेश
•		संख्या में वृद्धिकी शुरुमात से पूर्व की संबंधि	गंजरा में वृद्धिका प्रथम वर्ष	संघ्या में वृद्धि <i>या</i> दुसरा वर्ष	संख्या में बृद्धिका तीसचा वर्ष	हेंच्या में वृद्धि हैता चौथा वर्ष

स्पौरे के लिए कृपया ग्रभातिभिष के सम्बद्ध मानक भ्रौर मानदण्डों को देखें।

19.9 तकनीकी सहायक और भन्य स्टाफ

कृपया मितिरिक्त तकनीको सहायक तथा वर्कभाग धनुदेशक, फोरमैन मनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकाध्यक्ष, वर्कणी सहायक प्रादि जैते प्रत्य स्टाप को मर्ती के लिए वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करें। यदि पहले में ही उपलब्द है तो प्रत्येक वर्ग के स्टाफ की संक्राका मी उस्लेख करें

संकाय काढर	पहले से विश्वमान की संख्या	संगय का प्रकार संगकातिक	निम्निवि	त दर्भों के दीरान	मर्दी किए जाते ——————	बारों की संबग	
	•	पृचेकातिक श्रम्यागत	पाठ्यभम (पाठ्यभमों) छात्रप्रवेश	्पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमा) छात्रप्रवेग	पाठ्यक्स (पाठ्यक्सों) छात्रप्रदेश	पाड्यकार) (पाड्यप्रकों छात्रप्रकेश	पाठ्यकम (पाट्यकमो) छात्रप्रवेश
			संख्या में वृद्धि की	संख्या में बृद्धि का	संख्या में वृद्धि का	संख्या में वृद्धि का	नंद्या में वृद्धिका
· .	W2	+1	णुष्यात से पूर्व की श्रविव	प्रधम वर्षः	दुत्तरा वर्ष	नीसरा वर्ष	चौया बर्ष

न्योरे के लिए कपया प्रभातिषय के संबंध मातको और मानकारों हो।

(0)

[[2]4w[4]-#]	79, 3000	भारत का				<u> </u>	
D माद्र रापहते से ही उपतब्ध	है तो प्रतिस्ति ।	विक्षण संकाय । 		<u> </u>		-	
महिता	कुल प्रनृपव	शिक्षण का कृत धनुभव	नियुक्ति की नारी य	तियुक्ति का स्तर	वर्तमान वेतनमान चौर तारीख जब से	नेखा तारी य को मूल बेतन	कृत परि- लब्धियां
मान्यक्रिक् रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्			·•		दिया गया है		
Sarri De e	-						
PERSON	•*						
	* 11 * *						
विक्रियार, प्रविष्ठि सेक्चपर, क	•			•			
कि गाँगी विभिन्न प्रयोगमालामों विभिन्न प्रयोगमालामों प्राप्त के पाठ्यकर्म (पाठ्यकर्मों	/वर्कशाप में उपलब्ध)/छात्र प्रवेश संख्या	कराये जाने के ि में बृद्धि को लागू	तिए मुक्य उप करते के लिए	करों की वर्षता तिक्रत स्पत्रंस के	(सूची दें। इं.संभिष्त स्योग	साय ही विद्या भी दें।	गान गाठ्यक
विश्वासा/वर्तशाप - उपस्कर	का ताम	संक्षित्र सौरा	<u>-</u>		ध किए जाने व		
क्रमा अस्ति ।		_	िवर्ष	II वर्ष	III वर्ष	IV	बर्प
क्षा निर्मा कर कि क्या नगरप	गतिका के पैय जुन क	ी निषमित मण्ताई	तया प्रयोगशाला	/तर्कशाप प्रादि	के लिए भ्रषेक्षित	पानी उपतस्य	है। यदि न
किएमा । विकल्पिक न्यवस्था	का उल्लेख कर।						
करिक नभाग । कर्पमा चल्लेष कर कि नवा	पंयप्ति और नियमि	त दिजनी की स	प्तारं उपत्य	र्∤उपलब्ध हो ज	ाएसी इतके सम	र्शन में देश्ताबज	झलाल कर
्राप्तास/सोसाईटी द्वारा संवासित	। पुरुवंधित तक्तीकी	सं <u>स्</u> वाएं					
ा स्थात/सासाइटा इंग्ले संयोगना इंग्लेडिंग				· ·			
प्रकार प्रवस्थिति (को गाम प्रवस्थिति को गिन्नीम क	त शहर और राज्य	मंचालित पाठ्	य ऋमें	नया प्रभात है या	_	सी टी ई) द	ारा बनुमोदि
Reserved to the second							
						· .	
क्षेत्र हो या गाउँ				•			
2016 के बार अस्तावक का राज्य	सरकार या श्रभातशिप	के विरद्ध कोई अ	दातती मामला	है। यदि हो त	ते के प्रयासं	क्षिप्त दिवरण द	1
24.0 हुपया संतम्न फार्मेट	में उपपंजीयक या	केमी अन्य समकक्ष	मक्षम् प्राविकारी	से पंजीकृत न	यायिकेतर स्टांप	पर इतनपत्रः	प्तान कर
प्रिप्रेट:0 प्रमाणित किया जाता	_			•			
		- G-	_				
The state of the s	ात सभा करमया प	त दूर कर १२४	ागमाहै।				
(है) पिछले पत्र में उल्लिचि	ति तमा कान्या न ति मार्नदर्शी तिदाली	त दूर कर १६४ के भ्रतुसार शॉर्ट	ा गया है। ती निकास गरि	प्र _{तिया} गग	है ।		
(क) पिछले पत्र में उस्तिषि (क) मनातशिष द्वारा निर्धारि (क) मनातशिष वेतनमान शि	स्त ^{्र} मार्नदर्शी सिद्धाती राण संकाय और १	ेके भ्रतुसार गार प्रत्य स्टाफ को टे	ती निकाय गरि ' दिए गए हैं	t			
(क) पिछले पत्र में उस्तिषि (क) समातशिप द्वारा निर्धारि (क) समातशिप वेतनमान शि	स्त ^{्र} मार्नदर्शी सिद्धाती राण संकाय और १	ेके भ्रतुसार गार प्रत्य स्टाफ को टे	ती निकाय गरि ' दिए गए हैं	t		ति गुल्कमा	केसी प्रशास
(क) पिछते पत्र में उस्तिषि (क) मनातिषिप द्वारा तिर्धारि (ग) मनातिषिप वेतनमान पि (ग) मुणकम के माधार पर म	त्तः मार्भदर्शी सिद्धाती राण संकाय और १ भावशिष के प्रवेश संवे हैं।	े के भनुसार गार प्रत्य स्टाफ को टे भी मार्गदर्शी सिदास	ती निकास गरि दिए गए हैं पेंके सन्हरस्य प्र	्। वेश किए जाते	है भ्रौर प्रतिब्यवि		
(क) पिछले पत्र में उस्तिषि (ख) मनातिशिप द्वारा निर्धारि (ग) मनातिशिप वेतनमान शि (क) मुणकन के माधार पर भ पदा नहीं निया जाता (क) ममातिशिप द्वारा निर्धारि	ति मार्नदर्शी तिद्वाती सण संकाय और प भाविधिप के प्रवेश संव है। त ग्रहुँताओं ग्रीर प्र	ं के भ्रनुसार गांट बन्य स्टाफ को टे धी मार्गदर्भी सिद्धात वृत्सद के भ्रोधा	ती निकास गर्नि 'दिए गए हैं पेंके भन् ट प प्र र पर शिक्षण	्। वेश किए जाते - संकाय भौर	है भ्रोर प्र तिब्यवि टाफ नि प् कत		
(क) पिछले पत्र में उल्लिखि (ख) मनातशिप द्वारा निर्वापि (ग) मनातशिप बेतनमान शि (ब) मुणकम के माधार पर म प्राप्त नहीं लिया जाता (क) मनातशिप द्वारा निर्वापि (क) मनातशिप द्वारा निर्वापि	ति मार्नदर्शी तिद्वाती सण संकाय और प भाविधिप के प्रवेश संव है। त ग्रहुताओं शीर ह रेत समय प्रक्रिया	के भनुसार गार प्रत्य स्टाफ को टे धी मार्गदर्शी निद्धात प्रतृश्य के भाषा के भंतर्गत शिक्षा	ती निकाय गर्नि ' दिए गए है पें के मन्हरूप प्र र पर शिक्षण गुक्क भीर स	्। वेश किए जाते - संकाय भीर व्या शुल्का विए	है ग्रोट प्रतिय्यक्टि टाफ नियुक्त जाते हैं।		
(क) पिछले पत्र में उल्लिखि (ख) मनातिशप द्वारा निर्वापि (ग) मनातिशप बेतनमान शि (ब) मुणकम के माधार पर म देश पदा नहीं लिया जाता (क) मनातिशप द्वारा निर्वापि	ति मार्नदर्शी तिद्वाती सण संकाय और प भाविधिप के प्रवेश संव है। त ग्रहुताओं शीर ह रेत समय प्रक्रिया	के भनुसार गार प्रत्य स्टाफ को टे धी मार्गदर्शी निद्धात प्रतृश्य के भाषा के भंतर्गत शिक्षा	ती निकाय गर्नि ' दिए गए है पें के मन्हरूप प्र र पर शिक्षण गुक्क भीर स	्। वेश किए जाते - संकाय भीर व्या शुल्का विए	है ग्रोट प्रतिय्यक्टि टाफ नियुक्त जाते हैं।		
(क) पिछते पत्र में उल्लिखि (क) ममातिशप द्वारा निर्वाधि (ग) ममातिशप केतनमान शि (क) मुणकुम के माधार पर म प्रेंड पंदा नहीं लिया जाता (इ) ममातिशप द्वारा निर्वाधि (इ) ममातिशप द्वारा निर्वाधि (क) राज्य सरकार की नीर्धि	ति मार्गदर्शी तिद्वाती सण संकाय और १ ।प्राविधिय के प्रवेश संवे हैं। त प्रहुँताओं धीर ह रेत समय प्रकिया ित के प्रतृसार स्टा रा संस्था के लेखा	के भनुसार गांग प्रत्य स्टाफ को टे धी मार्गदर्शी मिद्रात तनुभव के भाषा के भंतर्गत शिक्षा ! फ भौर छाद्यों स	ती निकास गरि दिए गए है में के सन्ध्य प्र र पर शिक्षण शुक्क स्रोर स को स्रारक्षण । किया जाता	ं। वेश किए जाते - मंकाय सीर ' त्य गुल्क लिए दिया जाता है है।	है ग्रीट प्रतिब्यक्ति स्टाफ निष्कत जाते है। ।	किया गया है	
(क) पिछले पत्र में उल्लिखि (ख) मनातिशप द्वारा निर्धापि (ग) मनातिशप बेतनमान शि प्राप्त के माधार पर में प्राप्त निर्धापि (क) मनातिशप द्वारा निर्धापि (क) मनातिशप द्वारा निर्धापि (क) प्राप्त संस्थानार द्वारा निर्धापित संस्थानार संस्थानार द्वारा निर्धापित संस्थानार संस्थाना	ति मार्भदर्शी तिद्धाती सण संकाय और १ भाविधिप के प्रवेश संव है। ति प्रकृताओं धीर १ रेत समय प्रकिया ति के प्रतृतार स्टा रा संस्था के लेखा	के भ्रतुसार गांट ब्रन्य स्टाफ को टे भ्री मार्गदर्शी सिडात तनुभव के भ्राधा के भ्रतगत शिक्षा ! फ भ्रीर छार्झी ! से को परीक्षित प के पिछले ग्रतुमी	ती निकाय गरि दिए गए हैं में के भन्देष प्र र पर शिक्षण गुल्क भीर भ की भारक्षण किया जाता दन से) इसमें	ं। वेश किए जाते - संकाय भीर ग् त्य शुल्क लिए दिया जाता है है। - कोई नया पा	है ग्रोट प्रतिय्यान टाफ नियुक्त जाते हैं। । इयक्रम नहीं दि	किया गया है। बा गया है।	
(क) पिछले पत्र में उस्लिखि (ब) मजातशिप द्वारा निर्धापि (ग) मजातशिप बेतनमान शि (ब) गुणकम के माधार पर म चेता नहीं निया जाता (क) ममातिषप द्वारा निर्धापि (ब) ममातिषप द्वारा निर्धापि (ब) समातिषप द्वारा निर्धापि	ति मार्भदर्शी तिद्धाती सण संकाय और १ भाविधिप के प्रवेश संव है। ति प्रकृताओं धीर १ रेत समय प्रकिया ति के प्रतृतार स्टा रा संस्था के लेखा	के भ्रतुसार गांट ब्रन्य स्टाफ को टे भ्री मार्गदर्शी सिडात तनुभव के भ्राधा के भ्रतगत शिक्षा ! फ भ्रीर छार्झी ! से को परीक्षित प के पिछले ग्रतुमी	ती निकाय गरि दिए गए हैं में के भन्देष प्र र पर शिक्षण गुल्क भीर भ की भारक्षण किया जाता दन से) इसमें	ं। वेश किए जाते - संकाय भीर ग् त्य शुल्क लिए दिया जाता है है। - कोई नया पा	है भ्रोट प्रतिय्यवि टाफ नियुक्त जाते हैं। । ह्यक्रम नहीं दि	किया गया है। बा गया है।	। बढ़ायी गर्न है

प्रस्तित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

फार्म V

[देखिए, विनियम, 5 (2) (इ)]

इंजीनियरी/प्रीद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मेसी, प्रनुप्रयुक्त कलाओं ग्रादि

4

वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में भ्रतिरिक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) तथा प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

के ग्रनुमोदनायं

ग्रावैदन

द्दजीनियरी प्रांद्योगिकी, बास्तुकला, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कलाओं ग्रादि के वर्तमान पाठ्पक्रम (पाठ्यक्रमों) में ग्रातिरिक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) तथा प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि करने हेतु, ग्रान्तिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के ग्रनुमोदनार्थ ग्रावेदन

- (क) निर्धारित फार्म में तथा बिहित प्रिक्रिया के प्रनुसार पूर्ण प्रावेदन-पव की सात प्रतियां परिषद् के ब्यूरो (प्रार.सी.) की 31 दिसम्बर तक प्रवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।
 - (ख) स्रपूर्ण एवं निर्धारित कार्मेट में प्रस्तुत न किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - (ग) जो प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होंगा किंतु जो ब्यव-िस्वत रूप में होंगे उन पर अनुवर्ती शैक्षिक वर्ष में कार्रवाई की जाएगी।
 - (घ) प्रस्ताव केवल ए-4 अ.कार में प्रस्तात किए जाने चाहिए। बड़े प्राकार वाले प्रसेखों का आकार घटाकर ए-4 कर दिया जाना चाहिए।
 - (इ.) यदि स्रावेदक द्वारा दी गई सूचनाओं और विवरणों को गलत पाया जाएगा तो स्रावेदनपत्र को सस्वीकार कर दिया जाएगा।
 - २. (क) प्रस्तात्रित संस्था के उपयोगार्थ अपेक्षित भू-झेत्र होता चाहिए जिस पर राज्य प्राधिकरणों के तियमों के अनुसार सोसाइटी/न्यास/संस्था के नाम में स्पष्ट हकनामा या पंजीकृत पट्टानामा होता चाहिए।
 - (च) यदि नोलाइटी न्यास प्रस्तावित संस्था के पाम स्रवेशित भू-क्षेत्र नहीं होगा तो प्रस्ताय को स्थीकार नहीं किया जाएगा।
 - श्रावेदक/मोसाइटी/न्यास/मंस्था को मिलकर संस्था और
 श्रावेदक/मोसाइटी/न्यास/मंस्था को मिलकर संस्था और

भावतीं भ्यय के 30 प्रतिशत या राज्य सरकार संघ शासि सेव द्वारा निर्धारित राशि या ह. 10 लाख (इनमें जो भ ग्रिस हों) हो।

- 4. (क) ग्राबेदन के समय, ग्रावेदक/होसाइटो/न्यास/हंस्याक के पास किसी अनुसूचित बैंक में संस्था के नार कम से कम 9 महीने से चालू बचत या तार्वी जमा खाता (खाते) में परियोजना की कुछ ग्रामानित लागत के 10 प्रतिशत राणि जन होनी चाहिए।
 - (ख) ग्रावेदक/सोसाइटी/न्यास/संस्था की कुल परि मम्पतियों को प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहायंता के प्रमाणस्वरूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - (ग) वचन-पत्नों को प्रस्ताबित संस्था की स्थापना लिए उपलब्ध राशि के प्रमाण के रूप में स्वीका नहीं किया जाता है।
 - 5. विशेषतः दूरवर्ती क्षेत्रों में यदि कोई संस्था स्थापित की जाती है तो इसके संबंध में स्वामाविक कठिनाइमाँ/ ये होती। कि बहां शिक्षण संदाय और तकनीकी सहायक स्टाफ जाते को तैयार नहीं होता। इसिनिए, आवेंदक/सोसाइटी/न्याई/ संस्थान को यह विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि संस्था के लिए स्टाफ उपलब्ध है और उसकी ब्यवस्था की संस्था के लिए स्टाफ उपलब्ध है और उसकी ब्यवस्था की जा सकती है।

संलग्न किए जीने वाले प्रलेखों की सूची

ग्रावेदक को यद्व सुनिश्चित करना चाहिए कि निम् लिखित प्रलेख संतर्ग किए जा उहे हैं:

- (क) सोनाइटी नास ग्रादि के पंजीकरण प्रलेख की एं प्रति। उसके साथ सोसाइटी न्यात ग्रादि के गठन है प्रति भी संज्ञान करें।
- (ख) संस्या खोलने के लिए प्रति बैठक संगत मरकारी ग्रादेशों की एक प्रति ।
- (ग) संस्थात वर्तमान पाठ्यकम (पाठ्यकमों) के संबंधन प्रति सहित संबंधक निकास के पत्र की एक प्रति ।
- (घ) ग्रालेख भारतीय तकतीकी शिक्षा परिषद् के प्रतृमोद्
- (उ.) शिक्षण और परीक्षा स्कीमों सहित वर्तमान पाठ्यक (पाठ्यक्रमों) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य विवरण के प्रतियां।
- (च) तिस्तितिवृत दस्त्रावेजों के स्पष्ट प्रमाण में समग्र प्राधिकारियों के पतः
 - (1) तभे की एक प्रति जिसमें भू-खंड पर वर्तमा तथा प्रस्ताबित भवन (भवनों) का नवशा (ते आउट) दिखाया गया हो और फोटो सर्हि प्रत्येक भवन का पलोर नवशा।

भारत गणात्रातः अवाधारम

ि हिस्सा के भवन निर्माण के लिए स्थानीय उप-नियमों के भनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा भनु-मीदित नक्शे।

(3) भवनों का समापन-कब्जा प्रमाणपत्र।

- र् 🛪 गहरी भूमि विकास प्राधिकरण की भनुमति।
- () पूमि पजीकरण कागजों/पंजीकृत पट्टानामा की एक पति (जो लागू हो)।
- ्री सुसम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोग प्रमाणपत्र हो। एक प्रति जिसमें संस्था के प्रयोजनों के लिए भूमि क्ष्मिं उपयोग करने की प्रनुमति दी गई हो।
- ्रियावेदक के प्रधिशासी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस प्राथित का एक प्रमाण-पत्न कि भूमि और सुविधाओं को उपयोग किसी प्रन्य संस्था/गतिविधि के लिए नहीं किया जा रहा है।
- होतिहरें पुक्_र रेखाचित्र जिसमें प्रत्येक भू-खंड का क्षेत्र दिखाया देशया_ंहो और भू-खंडों की मध्य दूरियां दी गई हों, स्पदि भूमि क्षेत्र में एक से प्रधिक भू-खंड शामिल हों।
- हैं) शहर की सड़कों के नक्शे की एक प्रति जिसमें संस्था हैं की प्रवस्थिति दिखाई गई हो।
- (ठ) शिक्षण तथा परीक्षा स्कीमों सहित प्रस्तावित पाठ्य-क्रिक्स^{र-1}(पाठ्यक्रमों) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य विवरण <u>िक्ती</u> प्रतियां।
- क्रिम्मितिरक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश (प्रवेशों) में वृद्धि क्रिक्तिके के लिए राज्य सरकार के सिफारिशी/प्रग्रेषण पत्रकी एक प्रति।
- प्रिक्ति । प्रदेशकार्यक्रम (पाठ्यक्रमों) प्रवेश (प्रवेशों) में विक्रिक्ति करने से संबंधित संबंधक निकाय के रजामंदी
- (प्र) निकाय निधि प्रक्षय निधि सावधि जमा रसीदों की कि प्रिकासिक प्रतियां।
- ि(त) शेष निधियों की उपलब्धता के संबंध में श्रयतन वैक विक्रान
- रू(प) संस्थान के पिछले तीन वर्षों के ग्राय-व्यय के विधिवत् परीक्षित विवरणों, तुलनपत्र और लेखापरीक्षित रिपोटॉ की फोटो प्रतियां।
- ा (द) प्रतिरिक्त निधियां जुटाए जाने की पुष्टि में प्रधि-निमान प्रमाणित प्रलेख।
- कि(घ) भिष्ठप्रमाणित दस्तावेज जिनमें प्रक्षिप्त जनशक्ति मांग कि और प्रस्तावित विषयों के स्व-रोजगार की सभावनाओं

- (न) भवन (भवनों) के निर्माण के लिए स्थानीय उपनियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित भवन (भवनों) के अनुमोदित क्लोर नक्शे (अर्थात् सिविल ड्राइंग)।
- (प) ग्रनावर्ती खर्चें को पूरा करने के लिए दावें की पुष्टि में ग्राधिप्रमाणित प्रलेख ।
- (फ) वार्षिक ग्रावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित दावे के समर्थन में ग्राधिप्रमाणित प्रलेख।
- (ब) न्यायिकेतर स्टाम्प कागज पर मिंबल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सामान्य शर्तों का मनुपालन करने के लिए एक वचनवंध जो संलग्न फार्मेंट के मनुसार . : उप-पंजीयक या ग्रन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां विधिवत पंजीकृत हो।
- (भ) संस्थान के प्रबंध के लिए जिम्मेदारें निकाय परिषद समिति की गत तीन बैठकों का कार्यवृत्त ।

अनुबन्ध-I

न्यायिकेतर स्टाम्प कागज पर वचनबंध प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उप-पंजीयक या किसी भ्रन्य सक्षम प्राधिकारी के यहां पंजीकृत हो।

मैं/हम (कालेज/संस्था/मंडल/न्यास/सोसाइटी म्रादि के न्यासी/ मध्यक्ष/प्रिंसिपल/निदेशक का नाम) एतद्द्वारा वचन देता हूं/ देते हैं कि मैं/हमसत्र से (पाठ्यक्रम/कालेज का नाम) ग्रारम्भ करने/स्थापित करने/सीटों की प्रवेश क्षमता से संबंधित भ्रपने मावेदन (पत्र) के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे:

प्रबन्धकवर्ग (इसमें संस्थान/कालेज का शासी निकाय भी शामिल है) का गठन तथा निकाय/परिषद् के प्रध्यक्ष की नियुक्ति परिषद् के मार्गनिर्देशों के प्रनुसार की जाएगी। (प्रमुबंध-II)।

- 2. प्रबंधक वर्ग ग्रावर्ती व्यय को पूरा करते के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मानकों एवं मानदंडों के ग्रनुसार विकसित भूमि में नियेश करने तथा संबंधित ग्राधार—संरचनात्मक, शिक्षणात्मक एवं ग्रन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निधियां उपलब्ध कराएगा।
- पाठ्यकतों या कार्यक्रमों का संचालन तकनीकी कार्मिकों की निर्धारित मांगों के अनुनार किया जाएगा।
- 4. (क) दाखिले संबंधित तक्तनीकी संस्थाओं में प्रवेशार्य परिषद् के विनियम एवं निर्देशिका के स्रतृसार दिए जाएंगे।
- (ख) पाठ्यक्रमों में केवल तभी दाखिते दिए जाएंगे जब न्यूनतम ग्रपेक्षित/बिहित मुविधाएं सृजित कर दी गई होंगी ग्रौर सबंधक विश्वविद्यालय/राज्य बोर्ड ने पाठ्यक्रम ग्रारम्भ

1 - 1 :

- (ग) संस्था परिषद् की पूर्व-सहमित के विना किसी संस्था को बंद नहीं कराएगी या बंद कराने की मनुमित नहीं देगी या पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को बंद नहीं कराएगी मथवा शीटों की प्रवेश क्षमता में परिवतन नहीं करेगी।
- 5. शिक्षा तथा अन्य शुल्क परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार लिए जाएंगे । छात्रों | अभिभावकों से किसी भी रूप में कोई भी प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी।
- 6. संस्था के लेखाग्रों की परीक्षा प्रतिवर्ष किसी सनदी लेखाकार द्वारा की जाएगी ग्रीर परिषद् या बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उनका कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा।
- 7. शिक्षण तथा ग्रन्य स्टाफ का चयन परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्रिश्रयामों, महंताम्रों एवं ग्रनुभव के ग्रनुसार किया जाएगा।
- 8. प्रबंधकवर्गं मन्यं उन शतौं का भी पूरा पालन करेगा जो परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाएगी।
- 9. यदि (सोसाइटी/न्यास/मंडल/कालेज/संस्था मादि का नाम) परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित/विहित किए गए मार्ग-निर्देशों, मानकों तथा शतों का पालन नहीं करेगा तो परिषद् या कोई निकाय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को किन्हीं भी संबद्ध मुद्दों पर विचार किए बिना संस्था से भ्रनुमोदन या मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी, श्रीर भ्रनुमोदन या मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करने की पूरी जिम्मेदारी उस (सोसाइटी/संस्थान/कालेज) पर होगी।
- 10. कोई भी कालेज/संस्थान केवल इस म्राघार पर कि उसे परिषद् का मनुमोदन प्राप्त है, संस्थान या म्रावर्ती व्यय म्रादि के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार से स्वतः सहायता-मनुदान प्राप्त करने का दावेदार नहीं बनेगा।

(वचन देने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ग्रौर उसका पद)

स्यान :

(सील)

दिनांक:

- कोष्ठकों में संगत विवरण दिया जाना चाहिए।
- 2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्टांप कागज तथा वचनबंध का अधिप्रमाणन उचित रूप से किया गया है।

प्राइवेट तकनोकी संस्थामों के शासी निकाय का माडल गठन

शासी निकाय में प्रध्यक्ष ग्रीर सदय-सचिव सहित कम् से कम 11 सदस्य होंगे। पंजीकृत सोसाइटी/न्यास प्रध्यक्ष भीर सदस्य-सचिव सहित 6 सदस्यों को नामित करेगा ग्रीर बाकी 5 सदस्यों का नामन इस प्रकार किया जाएगा:—

- ग्रध्यक्ष: ग्रध्यक्ष का नामन पंजीकृत सोसाइटी/न्यास् द्वारा किया जाएगा।
- 2-5. सदस्यों का नामन पंजीकृत सोसाइटी न्यास द्वार किया जाएगा।
- 6 प्रखिल भारतीय तकनीकी जिक्षा परिषद् नामिती—क्षेत्रीय प्रधिकारी (पदेन)।
- 7. क्षेत्र से एक उद्योगपित/प्रौद्योगिकीविद्/शिक्षाविद् के नामन परिषद् के प्रध्यक्ष द्वारा प्रनुमोदित पेन्द् से परिषद् के नामिती के एप में संबंधित के लीय समिति द्वारा किया जाएगा।
- संबंधक निकाय/विश्वविद्यालय/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का नामिती।
- 9. राज्य सरकार का नामिती—तकनीकी शिक्षा निदेश (पदेन)।
- राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया क्षेत्र क्षेत्
- 11. संबंधित तकनीकी संस्था का प्रिंसिपल/निदेश (सोसाइटी/न्यास के नामिती के रूप में)—सदस्य सचिव।

तकनीकी संस्था के हित को घ्यान में रखते हुए पंजीकृत सोसाइटी के नामितियों ग्रीर संबंधित क्षेत्र के शिक्षाविदें की इतनी ही संख्या जोड़कर सदस्यों की संख्या में वृद्धि की प्रस्तिती है। लेकिन शासी निकाय के कुल सदस्यों की संबंधित से ग्री से ग्रीधक नहीं होगी।

शासी निकाय के ग्रध्यक्ष की नियुक्ति:

शासी निकाय का प्रध्यक्ष मुख्यतः एक तकनीकी व्यक्ति प्रयात् कोई उद्यमी या उद्योगपति या विख्यात शिक्षादि होगा जो तकनीकी शिक्षा के विकास में धूरि रखता हो ग्रीर मूल सोसाइटी/न्यास का सस्दय हो तथा जिस्सा विशेषतः उच्च कोटी की शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रदिशत की हो।

भोर

न्यास

कृ श्वामान्य सूचना

क्रिकेस्स-का नाम और पता तथा तार पता, फैक्स और फोन नम्बर किए (एस टी डी कोड सहित)

र्वे । 172 संस्था के ग्रध्यक्ष का नाम और पता तथा निवास कीर कार्यालय का टेलीफ़ोन नं. (कोष्टकों में एस टी डी कोड सहित)

कार की प्रकार (निम्नलिखित में से किसी एक को निर्दिष्ट करें) _प्राइवेट∵गैर मनुदान प्राप्त/प्राइवेट/सहायता प्राप्त सरकारी

किन्द्रीय/राज्य/संघ मासित क्षेत्र) ग्रन्य (निर्दिष्ट करें)

करा किसी प्राइवेट संस्था केमामले में न्यास सोसायटी मादि का पूरा डाक पता और म्रध्यक्ष का नाम और तार र्युक्त पुता, फैक्स और फोन नं. (कोष्ठक में एसटी डी कोड सहित) दिया जाए।

किंदि संस्था की स्थापना की तारीख (कृपमा सरकार के मंगल मादेश की प्रति संलग्न करें)।

है सब्धक विश्वविद्यालय/निकाय का नाम और पूरा डाक पता लिखिए। कुलपति और कुल सचिव या समकक्ष मधिकारियों के नाम और फोन नम्बर भी दें।

्रे:0 मीक्षिक सूचना :

ादा गुरुक्तम् १८ स्तर् प्रदत्त दिस्तोमा	क्षेत्र/विशेषज्ञ	पूर्णं/ अंशकालिक	ग्रवधि (वर्षं) 	ग्रारंभ
म विद्वासा	सिविल इजीनियरी	पूर्ण कालिक	3	1989
	इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी	अंश कालिक	4	1990
्रेस्तर हिप्लोमा अस्टिङ	कम्प्यूटर भनुप्रयोग	पूर्णं कालिक	1.5	1990
	प्रशीतन तथा वातानुकूलन	अं शकालिक	1.5	
देशा है <u>कि कि</u> दस्य के हैं	का. सचिवालय पद्धति	पूर्णं कालिक		1980
. उँच्च डिप्लोमा	औजार इंजीनियरी	पूर्णं कालिक	2	1989
ीकृष 🗼	आजार इजानमध औद्योगिक इलैक्ट्रोनिक्स	पूर्णं कालिक	1.5	
विव	अधि।।यक इलक्ट्राम्यत	,		198
ो जुड़े हिंदू संख्या है हैं		1		

टिप्पणी : विभिन्न कालमों में दिए गए विषय और संख्याएं केवल उदाहरण के लिए हैं।

2.2 क्या संस्था और संचालित किया गया / किए गए पाठ्यकम ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिपद द्वारा चनुमोदित हैं ?

यदि हों, प्रखिल मारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सभी ग्रनुमोदन पत्नों की प्रति संलग्न कीजिए।

यदि संचालित किए जा रहे किसी पाठयक्रम (पाठ्यक्रमों) को ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिपद्

शक्षावि

41	[['\x\f\]	V21.1	no and	ं भार	त का राजपत	:प्रसाधार		·	<u> </u>		53
= 3	्राप्तिक पूरे 2 शक्षिक	वर्षों के व	रौरान प्रथ	म [ं] वर्ष	के छांत्र-ना	मांकन	का स्योरा				
	भारत हो इस उ कुल	निम्न	लिचित के	कुल द	ाधिले	कुल	निम्नलिधि	ति में से	हुल ड्राप म	गउट	उत्तीर्ण छात्रों ⁻
	किएम् स्वीकृत प्रवेश किन्ने-	मनु. जा. मनु. ज. ज.	ं ग्रामीण और जन . जातीय	राज्य के बाहर	लड़किय	ड्राप माउट	मनु. जा. मनु. ज.	प्रामीण और जन जातीय	राज्य के बाहर	लड़िक्यां	
	2 3	4	 5	6	7	8	9	10	11	1 2	13
	(त) दिख्लीमा ३ म्पेकासिक (क्ष्टे अस् वर्षे मेर्कासिक (क्ष्टे अस् वर्षे					-		r: .			
है तो ते रात	चित्रिक्षिक के द्वान नहीं के विकास के किए किए किए किए किए के किए किए के किए किए किए किए किए किए किए किए किए कि	uter e	. •	··					-		
*	्ता स्वाहित्यामा पूर्व साविक पूर्व साविक		<u>-</u> . ·			-				· .	
-91 n.	2.8 विगत पूरे 2 शैक्षि शिक्षोमा पूर्वकालिक जिल्ला लिक () जिल्ला विक्	क् <u>वयाक</u>	दारान । इ	1014 44	4 0.0		·				
12 m	पूर्ण कालिक पूर्वा कालिक					: :- :	লকালি জুলোগ ন	역구 (명도)(1) 		errer En erre	
15	्रा चेड्यू डिप्लोमा प्राटिकालिक विकालिक		·			<u> </u>					
100	2:9 यदि कुछ पाठ्यक का ब्योरा और दाखिला ग्रहेता का 2.10 संबंधक संस्था	पाश्विक प्रव विकारण र्द केकलेण्डा	दश का पेजिए । ट के ग्रन	लए कु ल सार दार्ग	्रिशास विले ग्रा	रंभ औ	र बंद क	रनेकी ता	रीखें ।		विश भहता की न्यूनतम्
	र्युष्ट 11 विगत दो गैक्षि	क वर्षी वे	ं दौरान	अंतिम	परीक्षा प	रिणामों	का विवरण	(दा वर	थ का ज	ोड़) 	
	THE REAL PROPERTY.	परी	भा में बैंठे ांकी संख्य	कुल	उत्ती र्ण	विश	गेष योग्यता हत उत्तीण	प्रथम	श्रणाम	12016	र श्रेणी में गंछाब
	्रिइडिप्लोमा पूर्णकालिक अंशकालिक र्श्वांशकारिक र्श्वांशकारिक										•

जुन हिप्लोमा पूर्ण-कालिक जुनकालिक

[PART III-SEC.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

54		GAZETTE OF		न्योरा (ओसत)		
प्रति	HAKONAMA	प्रतिसमेस्टर/प्रात वर्ष वास्तविक कर्णटिवसों की	प्रतिवर्ष गिक्षण	वर्ष वास्तविक संपर्क षटे	की ਸ਼ੰ	परोक्षा के लिए व्यतीत किए व दिनों की संख्य
	The second secon					

2.13 विगत दो शैक्षिक बर्षों पाठ्य कम	के दौरान उत्तीर्ण उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	छात्रों को नौकरी दिलवाने उन छात्रों की संख्या जिन्हें 3 महीने के भीतर नोकरी दिलवाई गई	जिन्हें 3-6 महीने के अंतर्रं न नौकरी दिलवाई	जोड़) उन छात्रों की संह जिन्हें 6-12 महीके के अंतर्गत नौकरी दिलवाई गई,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- 3.0 शिक्षण संकाय के बारे में सूचना
- 3.1 कार्यंक्रमों के विभिन्न स्तरों के लिए संकाय की संख्या

3.1 कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरा के लिए पना								
			वीकृत संख्या		ŧ	यानों का संख्या		
संकाय का प्रकार					पूर्वस्नातक	स्नातकोत्तर	घ्रन्य	जोड़
		पूर्व स्वातान						
पूर्णं कालिकः अंग्रकालिक	· •		•				•	L:
भ्रम्यागत		• • • • • •						

3.2 विगत दो वर्षों के दौरान वर्तमान शिक्षण संकायों को वर्गवार संख्या दीजिए

3.2 1410 41 44		ज्यानितित के ग्रनसार ग्राज की
संकाय काडर	निम्नलिखित तारीखों को	निम्नलिखित के ग्रनुसार ग्राज की —— (तारीख) को अपेक्षित संख्या
	जन. 1, 199 जन 1. 199	राज्य विश्वविद्यालय प्रभातशिप के† मान के मानक
		1 4111

प्रिसिपल प्रोफसर/विभागाष्यद्व/लेक्चरार (सलैक्शन ग्रेड)

+ ग्रभातिशिप"--ग्रिखल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

यदि हो

मानक

[PART III—SEC.]

3.5 निम्नलिखित कार्यंकलापों के लिए प्रेति सप्ताह कार्यभार (एक सप्ताह में ड्यूटी के कुल घंटों की प्रतिशतता में)

		 			
कार्यंकलाप प्रोफेसर	त्रिसिपल	विभागाध्यक्ष	वरिष्ठ लेक्चरार	लेक्चरार	सह सहायक _ा लेक्चरार
		लेक्चरार (सलेक्शन क्षेत्र)			यदि हो

शिक्षण प्रनुसंधान प्रशासन संस्थान/कालेज विकास मार्ग-दर्शन एवं उपबोधन परामर्श प्रशिक्षण एवं स्थान ग्रन्थ

3 . 6 संकाय का न्यौरा (नाम् ग्रर्हताएं और ग्रन्भव ग्रादि)

नियुक्ति की नियुक्ति का इस तारीख कुल परि वर्तमान कुल ग्रनुभव शिक्षण का नाम ग्रहेतीएं को भूल लन्धियां स्तर† वेतनमान तारीख ग्रन्भव तथा तारीध वेतन जिससे पह वेतनमान दिया गया

^{†--}तेन्बरार, वरिष्ठ लेक्बरार, विभागाध्यक्ष (सलेक्शन ऐंड) प्रिसिपल प्रन्य यदि हों।

^{3.7} कृपया बताएं कि क्या सभी वर्तमान तंकायों को भर्ती ब्रिखल भारतीय तकनोकी क्रिक्षा परिषद दारा इंजीतिया कालोजों के लिए निर्वारित की गई प्रक्रिया, ब्रिनुभव और ब्रह्ताओं के ब्रिनुसार की गई है।

^{3 . 8} कृपया बताएं कि शिक्षण संकाय के कितने प्रतिशत संकाय सदस्यों को गत दो शैक्षिक वर्ष से ग्रबिल भार तकनीकी शिक्षा परिषद के वेतनमानों के ग्रनुसार ग्रदायगी की जा′रही है।

^{3 . 9} कृपया संकाय सदस्यों को प्रदत्त सेवा हितलाभों यथा छट्टी यात्री रियायत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, ग्र[े] व्यवस्था, बच्चों के लिए स्कूल ग्रादि आ दिवरण दीजिए ।

^{3.10} संकार सदस्यों को प्रदत्त सेवा निब्त्ति और समयपूर्व सेवानिवृत्ति हितलाभ । १८०

^{4.0} कम्पूटर हार्डवेयर और सोफ्टवेयर सुविधाएं

कृपया वर्तमान सुविधाओं (टर्मिनलों की संख्या कम्प्यूटरों का प्रकार) और स्टाफ (शिक्षण स्टाफ को छर्टे स्टाफ का स्तर -और संख्या) का ब्योरा दीजिए।

कीजिए।

[PART III-SEC THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

- शिक्षण स्कीम भौर परीक्षा योजना सहित संस्था द्वारा ग्रयनाई गए पाठ्यक्रचर्या की एक प्रति संलग्न की जिए।
- 8.0 कुरसी क्षेत्र (वर्ग मीटर)

कुल क्षेत्र निवास **छात्रावा**स सुविधाएं प्रशासनिक शिक्षण भवन निर्माण का प्रकार भवन

(क) आर. सी. सी.

(ख) शेड

संस्था के भू-खंड पर भवनों का एक नक्शा दीजिए।

टिप्पणी: कृपया निम्नलिखित के विषय में स्पष्ट प्रमाण संलग्न कीजिए।

- (क) संस्था के प्रयोजनों के लिए भवन का उपयोग। (ख) भवन-निर्माण के लिए स्थानीय उप नियमों के प्रनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रनुमोदित नक्षे
- (ग) भवनों का समापन/कब्जा प्रमाणपत्र ।
- (घ) शहरी विकास प्राधिकारण की ग्रनमित ।

9.0 भूमि उपलब्धता (वर्गमीटर) . जोड ग्रन्य स्टाफ क्वार्टर छात्रावास खेल के मैदान गैक्षिक ग्रौर प्रशासन . .

कृपया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कीजिए कि भूमि पर संस्था/न्यास का कब्जा है ग्रौर भूमि उपयोग की ग्रन्यू है तथा यह गारंटी है कि उल्लिखित भृमि केवल संस्था के उपयोग के लिए उपलब्ध है भीर इसका उपयोग किसी अन्य संस्था/गतिर्ि के लिए नहीं किया जाएगा। कृपया यह भी उल्लेख करें कि क्या भूमि क्षेत्र में एक या अधिक भ्खंड शामिल हैं।

- 10.0 गत 3 वर्षों के दौरान परामर्श, प्रायोजित मनुसंधान व्यावसायिक विकास म्रादि
- 10.1 परामर्शी दत्तकार्यों ग्रीर ग्राह्क संगठनों के नामों सहित कुल ग्राय तथा प्रत्येक दत्तकार्य की श्रविध ग्रीर नाम, कुल ग्राय ग्री . का व्यौरा दीजिए।
- 10.2 शैक्षिक ग्रहंताग्रों, शिक्षण कौशल ग्रादि के मुधार के लिए ग्रद्यतन प्रायोजित संकाय संख्या। कृपया संकाय के नाम, पदनाम, विधत महंताम्रों के नाम, उन्नत कीशल मादि का उल्लेख कीजिए।
- 10.3 सम्मेलनों तया ग्रन्य व्यावसायिक वैठकों में भाग लेने के लिए म्राज तक प्रायोजित संकायों की संख्या ग्रीर इस अयोजन के वि

कृपया संकाय का नाम, पदनाम, सहभागिता सम्मेलन/बैटकों का नाम दीजिए ग्रौर स्थान ग्रौर तारोख ग्रादि का उत्व खर्न की गई कुल राशि। (S

पाद् 🗥

- 10.4 ग्रापकी संस्था द्वारा संचालित ग्रनुवर्ती इंजीनियरी शिक्षा कार्यत्रमों की संख्या तथा सहभागियों की कुल संख्या। कृपया कार्यक्रम का नाम, तारीख ग्रीर ग्रवधि, सहभागियों की संख्या ग्रादि दीजिए।
- 11.0 वितीयः

प्यावर्ती व्यय के रूप में कृत व्यय।

(Tellistant 4)

वितीय सहायता के स्रोत:

प्रावर्ती व्यय

मनावर्ती व्यय

हल क्षेत्र

-Sec

ानव संसाधन कास मंत्रालय तार्वाप्त)

ज्यं सरकार विद्यालय त्वान प्रायोग

नीय राज्य सरकार के

पार्तकः वाक्षिया निर्दिष्ट करें)

क्स्म (पाठ्यकर्मो)/संस्थाओं का नाम

क्या 2 वर्षों के दौरान प्रति छात्र वसूल की गई कुल वार्षिक फीस का उल्लेख कीजिए (इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोग-हिंगाला ग्रादि की फीस शामिल है लेकिन छात्रावास फीस और खाद्य प्रभार शामिल नहीं हैं।)

किट्टा 990-91, 91-92 और 1992-93 के दौरान प्राप्त किए गए ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के ग्रनुमोदन

ोदित नरी

वार्षिक प्रवेश

प्रारम्भ करने का वर्ष

प्रारम्भ करने का

ग्रखिल भारतीय तकनीको शिक्षा परिषद् का मनुमोदन की संख्या ग्रीर तारीख

प्रवेश स्तर/निम्नतम

🕡 प्रस्तावित पाठ्यकम (पाठ्यकमों)/ग्रतिरिक्त छात्रों से संबंधित सूचनाः

विष्मारम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित गैक्षिक कार्यक्रमः

प्रयोजन 🐧

दि का

भेका पुरुष्कृता नाम प्रवेश प्रवधि योग्यता प्रस्तावित वर्ष (वर्षों में) छात्र संख्या 10+ 1993-94 द्रौतिक इंजीनियरी 3 10+ 1993-94 दुर्दे विज्ञान एवं इंजीनियरी 60 3 10+ 1993-94 र्शिनियरी 60 3

रपणी: विभिन्न कॉलमों में दिए गए विषय एवं ग्रांकड़े केवल उदाहरण के रूप में हैं। पिंगुं और परीक्षा स्कीम के साथ प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यकम के लिए संस्था द्वारा ग्रपनाए जाने वाले पाठ्यचर्या और प्रियः विवरण की प्रतियां साथ लगाएं।

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

 				_			
 कार्यक्रम जिन	में छात्र	प्रवेश	संख्या	बढ़ाने	वः।	प्रस्ताव	₹:

पाठ्यक्रम का नाम	संस्वीकृत छात्र संख्या	प्रस्तावित छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि	ग्रवधि (वर्षों में)	प्रस्तावित वर्ग जिसमें छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि करना	प्रवेश निम्नतः
इलेक्ट्रोनिक एवं संचार इंजीनियरों	60	15	3	1993-94	10+
दलक्ट्रानिक एवं सचार इजानियरा यांत्रिक इंजीनियरी	60	1 5	3	1993-94	10+
सिविल इंजीनियरी	60	15	3	1993-94	10+

टिप्पणी: विभिन्न कॉलमों में दिए गए विषय एवं संख्याएं केवल उदाहरण के लिए हैं।

- 14.0 क्या प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार द्वारा समर्थित है? यदि हां, तो राज्य सरकार के पत्र की प्रति संलग्न करें।
- 15.0 क्या संबद्ध करने वाले निकाय (प्रस्तावित पाठ्यकर्मों को संबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय) से भ्रखिल भारतीय धा शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृति दिए जाने की शर्त के आधार पर सहमित प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो सहमित पु प्रति संलग्न करें।
- 16.0 वित्त:
- 16.1 क्या निकाय निधि/प्रक्षय निधि स्थापित कर ली गई है और उसे राज्य सरकार के पास बंधक रख दिया गया है 🗓 🖛 तो उसका प्रमाण संलग्न करें।
- 16.2 पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) / छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि के संबंध में हो वाले भावर्ती और ध्रनावर्ती व्ययों को पूरा लिए उपलब्ध निधियों का ब्योरा प्रस्तुत करें और इसके समर्थन में नवीनतम बैंक-विवरणिकाएं, एफडीमार म्रादि संलग्न करें। बचत-पत्न स्वीकार्य नहीं होंगे।
- 16.3 प्रस्तावित प्रतिरिक्त पाठ्यक्रमों छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि के लिए ग्रतिरिक्त निधि जरूरतों का यदि कोई हों, ब्यौरी

राशि रुपयों में विवरण

मावर्ती

- (क) शिक्षण कर्मचारियों का वेतन
- (ख्र) गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन
- (ग) छात्रवृत्तियां
- (घ) यात्रा व्यय
- इ. ग्रन्य ग्रावर्ती व्यय ग्रावर्ती कम का जोड़ प्रनावर्वी
 - क. म्रतिरिक्त भवन
 - ख. ग्रतिरिक्त उपस्कर
 - ग. ग्रन्य

ग्रनावर्ती व्यय का जोड़

16.4 कृपया बताएं कि उपर्यंक्त 17.3 में दर्शाए गए म्रतिरिक्त व्यय के लिए भगते 3 से 4 वर्षों में निधियों की

🗱 🔭 अविन्य

17.1 क्या एक या प्रधिक प्रस्तावित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में छात्र प्रवेश संख्या में प्रस्तावित विद्व वाले पाठ्यक्रम जिले के

पाठ्यक्रम

द्मिष्ठिक संस्थानों में पहले से चलाए जा रहे हैं जहां कालेज स्थित है ? यदि हां, तो संस्थाओं, चलाए जा रहे पाठ्यकमों हें और साथ में वर्ष में स्वीकृत छात्र प्रवेश संख्या का विवरण दें ।

स्वीकृत प्रवेश

10 +

10+

10 +

ा करने

टुर्पणी : जो लागू न हो उसे काट दें।

हरें। हैं 17.2 पिछले शैक्षिक वर्ष में, प्रत्येक प्रस्तावित पाठ्यक्रम (क्रमों)/पाठ्यक्रम (क्रमों) में छात्र प्रवश संब्या में प्रस्तावित ्रिवाले पाठ्यक्रमों राज्य में कुल छात्र प्रवण संख्या का उल्लेख करें : ारतीय तू सहमति पु

युंक्रम कानाम

कुल , छात प्रवेश संख्या

ट्रेप्पणी: जो लागून हो उसे काट दें। ं है ? यह

17.3 17.1 एवं 17.2 को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विषयों और प्रवेश/वर्तमान विषयों में छात्र प्रवेश संख्या में **बुद्ध**्का औचित्य प्रसंपित जनशक्ति-मांग एवं औद्योगिक दश्यावली और स्वरोजगार की संभावना की तुलना में दें।

17.4 वर्तमान प्रस्ताव के ग्रलावा, संस्था के शैक्षिक-ग्राधार के विस्तार, यथा-प्रवश में वृद्धि, नए पाठ्यक्रमों को शुरू करना, **पृतुवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन, ग्रादि की वर्षवार योजना का उल्लेख करें** :

पाठ्यकम का नाम ब्योरा है

पूर्णकालिक/अंशकालिक अनुवर्ती

प्रस्तावित छात्र

प्रारंभ करने का

प्रवेश संख्या कावर्ष

18. प्रतिरिक्त ग्राधार-संरचना

18.1 यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) ग्रतिरिक्त/प्रवेश के लिए भवन स्थान उपलब्ध हैं तो निम्नानुसार कुर्सी क्षव

(वर्ग मीटर) में दें।

निर्माण का प्रकार

शिक्षण भवन

प्रशासनिक भवन

सुविधाएं

छातावास

निवास कुल क्षेत्र

(क) प्रार सी सी

-्(व) शंह

18.2 यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों/प्रतिरिक्त छात्र प्रवेश के लिए प्रतिरिक्त भवन स्थान के निर्माण की आवश्यकता 🕵 में प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों और मानदंडों के ग्रनुसार वर्षवार ग्रतिरिक्त शिक्षण क्षत्र 🏥 🗓 আর্থা কম্ল, हार्डग हाल प्रयोगणालाएं प्राटि । प्रशासनिक क्षेत्र । (कार्यालयः स्टाफ कक्ष, प्रादि) , सविधाएं विनोद कक्ष, खेल-कूद

प्रयम वर्ष

कक्ष, एन सी सी, एन एस एस, कैंटीन, हाँबी केंद्र, स्नादि) और स्नावासीय क्षेत्र, छात्नावास स्ईाफ क्वार्टर स्नादि) का उल्लेख करें। संस्था के पास उपलब्ध भूखंड में वर्तमान भवन के मामले में स्नितिरक्त भवन के निर्माण का लेसाउट प्रस्तुत करें।

स्थान का नाम

वर्षं के दौरान निर्माण पाठ्यक्रमं (पाठ्यक्रमों/छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि से पूर्वं समय ग्रवधि किया जाने वाला क्षेत्र कुरसी पाठ्यकम (पाठ्यकमों/ छात्र प्रवश संख्या में वृद्धि का

द्वितीय वर्ष त्तीय वर्ष च

चतुर्य वर्ष

1 4 1×9

कक्षा प्रनुशिक्षण कक्ष ड्राईंग हाल प्रयोगशालाए कर्मशाला

स्थानों के नाम केवल उदाहरण हैं। विवरण के लिए प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् संबंधित मानकों और मानदंड देखें।

1.8. 3 क. सं. 18. 2 में उल्लिखित ग्रतिरिक्त भवनों के निर्माण पर हुए व्यय का वर्ष प्राक्तलन दीजिए।

स्थान का नाम	निम्नलिखित वर्षो	के दौरान म्रतिरिक्त	स्यान के निर्माण का व्यय	7
पाठ्यकम/पाठ्यकमों)	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	पाठ्यझम
(पाठ्यक्रमों)	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/	(पाठ्यक्रमों)/
प्रवेश में वृद्धि शुरू होने से पहले की	प्रवेश में वृद्धि का	प्रवश में वृद्धि का	प्रवेश में वृद्धि का	प्रवेश में वृद्धि का
ग्रवधि	प्रयम वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष

कक्षाएं यनुशिक्षा कक्षाएं ड्राइंग हाल प्रयोगशालाएं कमंशालाएं

स्यानों के नाम केवल उदाहरण के लिए हैं। ग्रधिक विवरण के लिए "ग्रमानिशप" के संबंधित मानव एवं मानर्दडों का ग्रव-लोकन करें।

18.4 प्रयोगशालाएं: कृपया विभिन्न प्रयोगशालाओं के स्थापना, (ग्रर्थात् प्रयोगशालाओं के उपस्करों से लैस करने तथा उनका उपयोग ग्रारंभ करना) की वर्षवार कार्य योजना दीजिए। साथ हो, वर्तमान पाठ्यक्रम [पाठ्यक्रमों में ग्रतिरिक्त पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/प्रस्तावित प्रवेशों को लागू करने के लिए उपस्करों, उपकरणों, जुड़ना और फिटिंग, फर्नीचर ग्रादि की ग्रिधिप्रास्ति के लिए ग्रमुमानित लागत भी दीजिए।]

प्रयोगशाला का नाम	निम्नलिखित	वर्षों के दौरान	विभिन्न प्रयोगशालाओं	को स्थापना के	लिए व्यय
:	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि शुरू होने से पहले की ग्रवधि	पाठ्यकम (पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि का प्रथम वर्ष	पाठ्यकम (पाठ्यकमो)/ प्रवेश में वृद्धि का दूसरा वर्ष	पाठ्यकम (पाठ्यकमों)/ प्रवेश में वृद्धिः, का तीसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि का चौया वर्ष

18.5 कार्यणालाएं

ंक्रुपया ग्रतिरिक्त कर्मशालाओं यदि हों की वर्षवार कार्ययोजना दीजिए । साय ही वर्तमान पाठ्यत्रमों में ग्रतिरिक्त पाठ्यत्रम प्रोठ्यकमों) |लागू करने |प्रवेशों में प्रस्तावित वृद्धि करने के लिए उपस्कर, औजार, मशीनें, फर्नीवर, जुडनार तथा फिटिंग ग्रादि र्ति करने के लिए प्रनुमानित लागत भी प्रस्तुत कीजिए।

पाठ्यक्रम पाठ्यक्रमों) (पाठ्यक्रमों) (पाठ्यक्रमों) (पाठ्यक्रमों) (पाठ्यक्रमों) (पाठ्यक्रमों) (पाठ्यक्रमों) (पाठ्यक्रमों) प्रवेश में वृद्धि प्रवेश	्रिकें प्रशास का नाम अस्टिक	निम्नतिखित वर्ष	के दौरान विभिन्	त्त कर्मशालाओं की —————	स्यापना के लिए व	ध्यय
	The state of the s	(पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि शुरू होते से	(पाठ्यक्रमों)/ प्रवेण में वृद्धि	(पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि	(पाठ्यक्रमों)/ प्रवेश में वृद्धि	(पाठ्यकर्मों)/ प्रवेश में वृद्धि

के लिए मानक एवं मानदंड तथा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की विस्तृत पाठ्यचर्या दीजिए ।

18.6 ग्रभिकलन सुविधाएं कृपया हार्डवेयर और सापटवेयर मृदों, फर्नोचर, फिटिंग और जुड़नार ग्रादि की प्राप्ति के लिए र्वुवार कार्ययोजना प्रस्तुत करें ताकि लागत प्राक्कलनों के साथ विद्यमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में म्रतिरिक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों/ क्रिकावित छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि को लागू करने के लिए कम्प्यूटर केंद्रों को मजबूत बनाया जा सके।

1. 1 (d)					
्र संविधाएं	निम्नलिखित वर्षो	के दौरान विभिन्न	कम्प्यूटर सुविधाओं	की स्थापना के लि	ाए खर्च
	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि की शुक्यात से पूर्व की ग्रवधि	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्न प्रवेश संख्या में वृद्धि का प्रथम वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का दूसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का तीसरा वर्ष	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या वृद्धिका चौथा वर्ष

ब्यौरे के लिए कृपया मानकों और मानदण्डों तथा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की विस्तृत पाठ्यचर्या को देखें।

18.7 पुस्तकालय: कृपया लागत के प्रायकलनों के साथ पुस्तकों (पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकें, विश्वकोप तथा अत्य), के मितिरिक्त स्टाफ पत्निकाओं (देरो एवं ग्रन्तर्राष्ट्रीय फर्नीचर, जुड़नार, फिटिंग ग्रादि को प्राप्त करने के लिए वर्षवार कार्ययोजना प्रस्तुत करें।

् मद	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या	पाठ्यकम (पाठ्यकमो) छाद्र प्रवेश संस्या
運 (2007) (4007)	में वृद्धि को शुरुग्रात में पूर्व	में वृद्धि का प्रथम वर्ष	में वृद्धि का दूसरा वर्ष	में वृद्धि का तीसरा वर्ष	में वृद्धि का चौथा वर्ष
检1	की ग्रवधि				

र्गृद्धि **,पाठ्**यपुस्तकें वर्ष **पुंद्भं** पुस्तकें

तया 5्यऋम त्तं के

i)/

[PART III-SEC. 4]

18.8 शिक्षण संकाय: कृपया अतिरिक्त शिक्षण संकाय (श्रोफेसर, सहायक, श्रोफेसर, वरिष्ठ लेक्चरार) की भर्ती के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें। यदि पहले से ही उपलब्ध है तो कृपया प्रत्येक वर्ग के स्टाफ की संख्या का भी उल्लेख करें।

A Prince of the Control of the Contr	पहले से ही	संकाय का	निम्न वर्षो	के दौरान भर्ती	किए जाने वा	तों की संख्या	
	उपलब्ध की संख्या	प्रभार अंग- कालिक/पूर्ण- पाठ्यक्रमों) ग्रभ्यागत	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संस्था में वृद्धि की शुरूमात से पूर्व की सवधि	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धि का प्रथम पर्य	पाठ्यकम (पाठ्यकमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धिका दूसरा वर्ष	पाट्यक्रप (पाट्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धिका तीसरा वर्ष	पाठ्यकमं (पाठ्यकमों) छात प्रवेश संख्या में वृद्धिका चौया वर्ष
							N

ब्यौरे के लिए कृपया 'ग्रभातिशप' के सम्बद्ध मानक और मानदण्डों को देखें।

18.9 तकनीकी सहायक और ग्रन्य स्टाफ: कृष्या ग्रुतिरिक्त तकनीकी सहायक तथा वर्कशाप ग्रनुदेशक, फोरमैन ग्रनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकाध्यक्ष, वर्कशाप सहायक, पुस्तकालय सहायक ग्रादि जैसे ग्रन्य स्टाफ की भर्ती के लिए वापिक कार्ययोजनी प्रस्तुत करें। यदि पहले से ही उपलब्ध है तो प्रत्येक वर्ग के स्टाफ की संख्या का भी उल्लेख करें।

संकाय काडर	पहले से	संकाय का	निम्न वर्ष	र्ती के दौर _ा न भर्त	िकिए जाने वा	तों की संख्या	
	विद्यमान की संख्या	प्रकार अंशकालिक/ पूर्णकालिक ग्रभ्यागत	पाठ्यकम (पाठ्यकमों) छात प्रवेश संख्या में वृद्धि की शुरुष्रात से पूर्व की ग्रवधि	पाठ्यकम (पाठ्यकमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धिका प्रथम वर्ष	पाठ्यकम (पाठ्यकमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धिका दूसरा वर्ष	पाठ्यकम (पाठ्यकमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धिका तोसरा वर्ग	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) छात्र प्रवेश संख्या में वृद्धिकाः चोगा वर्ष

ब्यीरे के लिए कृपया समातिशिप के संबंद मानकों और मानदण्डों को देखें।

18.10 यदि पहने से ही उपलब्ध हैं तो ग्रतिरिकत शिक्षण संकाय ।

								_ '
नाम	म्रह्ता	कुल ग्रनुभव	शिक्षण का भुल मनुभव	नियुक्ति को तारोख	तियुनित कः स्तर	वेतनमान और तारीख जब से दिया	वैतन	कुल परि- लब्धियां
						गया है।		

	Section 1		, , ,
			65
. 41		ा राजपतः प्रसाधारम	चे चांतर मबी हैं। साथ ही
लिए विभिन्न प्रयोगमा हिंदी विभिन्न प्रयोगमा (पाठ्यक्रमों में	ालाओं /वर्कशाप में उपलब्ध कराये । पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों /छात्र प्रवेश स	जाने के लिए मुख्य उपस्करी दंख्या में वृद्धि को लागू करने	के लिए निम्न रूपवंध में संक्षिप्त
of college			
नामान्यासा (वक्षा)	करकानाम संक्षिप्त न्यौरा	1 वर्ष 2 वर्ष	3 99
कर्मों)		→ रिक्तित मद्र ाई तथा प्र	पोगशाला /वकंशाप मा दि के लिए
में पार्विक्याती उपलब्ध है। यदि न	रें कि क्या नगरपालिका के पेय जल हीं तो कृपया वैकल्पिक व्यवस्था का उल् कि क्या पर्याप्त और नियमित बिजा	का नियानस संसार स्थान लेख करें। नी की सप्लाई उपलब्ध है/उप	लब्ध हो जाएगी/उसके समर्थन में
हैं 0 कृपया उल्लेख कर	कि क्या प्याप्त आर ।नयामुल प्याप्त		
लेसलम करे।		—— के जाम्मी ।	
ज्ञामबदी/खराबी (वेकडा	उन) की स्थिति में क्या म्रापाता । नगर प।लिका सीमा में स्थित नहीं	है तो शहर से संस्था तक ज	नि-प्राने परिवहन की व्यवस्था क
	नगर पालिका सामा न १८५० गर		·· -
ा ग्रेंबताएं।	रा संचालित/प्रवंधित तकनीकी संस्याएं		
22. न्यास/सोसाइटी द्वा			क्या प्रखिल भारतीय तकनीकी
र विज्ञानाम	ग्रवस्थिति शहर और राज्य स	चिति पाठ्यकम	शिक्षा परिषद् द्वारा ग्रनुमोदित
100 1111	•		है।
ान्देशक,			
योजना है है ।			
			•
		المتور فيرنب والمستقد فيستنان والمن والمستنون والمتدا	
	क का राज्य सरकार या म्रखिल भा	रतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	का कोई भ्रदालती केस चल रह
प्रदूष २३.00 क्या प्रस्ताव क	का राज्य सरकार या भाखल ना		·;
कमों) विवरण द	ोजिए। कागज पर एक वचनवंघ संलग्न की	जिस जो संलग्न फार्मेट के मन्	सार उपपंजीयक या समान सक्षम
प्रवेश किया न्यायकेतर	कागज पर एक वचनवंध सलग्न का	ાળણ પા લાગ મા	
प्रिकारी के यहां विधित् पंजीह	हत हो ।		
13 H	जाता ह ।पा . ' उल्लिखित सभी वास्तविक विसंगतियों 	को दूर कर दिया गया है।	करमार किया गया है।
			Man Charles
क्षासा निकाय का गठन	ग्राबल भारताय सामग्री शिक्षण संकाय और ग्रन्य स्टाफ को	दे दिए गए हैं।	
माताशप वतनमान	शिक्षण संकाय और ग्रन्य स्टाफ को र ग्रभातशिप के प्रवेश संबंधी मार्गदर्श	ीं सिद्धांतों के ग्रनुरूप प्रवश	किए जात ह जार
प) र गुणकम के प्राचार प	दा नहीं लिया जाता है।	- · · · · · · ·	रसफ नियस्त किया गया है।
या किसा प्रकार का	दा नहीं लिया जाता है। श्रीरित ग्रहेंताओं और मनुभव के मा	घार पर शिक्षण सकाय अरि	स्टान लिनुन्न :: ल जाते हैं।
क्षेत्रातीशय होरा निर्	र्धारित ग्रहेंताओं और ग्रनुभव के भी प्रीरित समग्र प्रत्रिया के अंतर्गत शिक्ष के जनसर समक्ष और छात्रों को ग्रार्थ	ना शुल्क और प्रन्य शुल्क ।ल	ر مان و ا
राज्य सरकार का नात	संस्था के लेखाओं को परीक्षित किया	जाता है।	स्टा क्या है
न परि- न) जाटरित नेखाकार द्वार	संस्था के लेखाओं को परीक्षित किया दन के बिना (ग्रभातशिप के पिछले	ग्रनुमोदन से) इसमें कोई न	या पाठ्यक्रम नहा । प्या स्वा ए
लब्धियां में प्रभातिशिप के प्रनुमो	दन के बिना (ग्रभातशिप के पिछले की संख्या के बाहर ग्रभातशिप भनु	मोदित पाठ्यकमों के किसी भी	पाठ्यकमों में प्रवंशायया का स
พริสาทัยย์ เกาะสาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานารา	की संख्या के बाहर ग्रमाताशय अपु	**** *** * * *	•

मनुमोदित प्रवेशायियों की संख्या के बाहर ग्रभातिशप भनुमोदित पाठ्यकर्मों के किसी भी पाठ्यकर्मों में प्रवेशायियों की संख्या

गंगा के प्रध्यक्ष का नाम और हस्ताक्षर

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1994

No. F. 304-4/CCF/REG/94.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) off section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Grant of approval for starting new technical institutions, introduction of courses or programmes and approval of in take capacity of seats for the courses or programmes) Regulations, 1994.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Applicability.—These regulations shall be applicable to the proposals relating to,—
 - (a) grant of approval of the Council for establishment of new technical institutions including Universities or University Departments and deemed Universities and for technical institutions functioning on the date of commencement of these regulations at Degree and Diploma levels;
 - (b) grant of approval of the Council for introduction of any course or programme in the technical institutions and technical departments of Universities or deemed Universities;
 - (c) grant of approval of the Council for existing intake capacity of seats and for increase in the annual intake capacity of seats in courses and programmes.
- 3. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);
 - (b) "Bureau BOS" means the Bureau of Board of Studies of the Council;
 - (c) "Bureau MPCD" means the Bureau of Manpower Planning and Career Development of the Council;
 - (d) "Bureau RA" means the Bureau of Recognition and Accreditation of the Council;
 - (e) "Bureau RC" means the Bureau of the Regional Committees of the Council;
 - (f) "Council" means the All India Council for Technical Education established under section 3 of the Act;
 - (g) "deemed University," means any institution of higher education other than a University, declared as such under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
 - (h) "Form" means a form appended to these regula-
 - (i) "Regional Office" means the Regional Office functioning as the secretariat of the Regional Committee of the Council;
 - (j) "University Technical Department" means the Department of the concerned University conducting 'Technical Education' courses or programmes;
 - (k) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act.
- 4. Requirement of grant of approval.—(1) After the commencement of these regulations,—

- (b) no course or programme shall be introduced any technical institution, University including deemed University or University Department, College; or
- (c) no technical institutions, Universities or deem Universities or University Departments or Colle shall continue to admit students for Degree Diploma courses or programmes;
- (d) no approved intake capacity of seats shall increased or varied;

except with the approval of the Council.

- (2) Applications for grant of approval under sub-regulation (1) shall be made by any of the following, namely:
 - (i) Government institutions, Government aided institutions, deemed Universities and University Depments or Colleges.
 - (ii) registered Societies/Trusts in respect of profession colleges.
- 5. Forms for Applications:—(1) Forms application starting a technical institution or for approval of institute functioning on the date of commencement of these regulation for introducing courses or programmes, or for increase the intake capacity of seats in the courses shall be made the form specified in sub-regulation (2) and shall be accepanied by the documents called for therein.
 - (2) (a) An application for starting technical institute shall be in Form I.
 - (b) An application for approval of Degree level in tution functioning on the date of commencem of these regulations shall be made in Form II.
 - (c) An application for approval of diploma level in tution functioning on the date of commencement of these regulations shall be made in Form III
 - (d) An application for introduction of additional cour or increase in the intake of seats in the degree level institution shall be made in Form IV.
 - (e) An application for introduction of additional counor increase in the intake of seats in the diplolevel institution shall be made in Form V.
- 6. Conditions for grant of approval.—Every applicat under sub-regulation (1) of regulation 4 shall be consider subject to the fulfilment of the following condition namely:—
 - (i) The financial position of the applicant shall be soot for investment in developed land and in provide related infrastructural and instructional facilities per the norms and standards laid down by Council from time to time and for meeting, annual recurring expenditure:
 - (ii) the courses or programmes shall be conducted per the assessed technical manpower demands 5
 - (iii) the admissions shall be made according to regulations and directions of the Council for su admissions in the respective technical institution university;
 - (iv) the tuition and other fees shall be charged with the overall criteria as may be laid donw by Council;
 - (v) the staff shall be recruited as per the norms standards specified by the Council from time time;
- (vi) the Governing Body in case of private technic institutions shall be as per the norms as specific by the Council;
- (vii) any other conditions as may be specified by Council from time to time.

shall

De

ticia

level it encen vim ⊞

nal cour e de

nal coun he diplo

> applicat conside conditio

to be sou provide facilities Ьv

eting (inducted hands A

to il for so stitution

ed wild nw by

brms B h time?

technic specifi

:d by

The complete in all respects, by 31st Decem-tof the institutions or courses or programmes commence in the subsequent academic year.

ipplication for approval from the Government indigovernment aided institutions shall be sent indigovernment concerned to the Bureau RC along-Government of affiliation by the University/State Board.

The property of the Government of the State Government of these regulations or for setting up of the sent of those regulations or for setting up of the sent of those regulations or for setting up of the sent of these regulations or for setting up of the sent of these regulations and the intake capacity of seats in the sent of Technical Education, whichever applicable,

rolling be.

(1) The Bureau RC shall make scrutiny of every application received by it.

Bureau RC finds any application incomplete in it shall return the same, within fifteen days of the applicant specifying the defects.

To application which has been found by the Bureau simplete in all respects shall be processed in the pecified in these regulations.

Bureau RC shall invite comments/recommenda-in the applications referred to in sub-regulation (3) in following, namely:—

ine State Government concerned,

ine affiliating University/State Board of Technical (Rducation,

Bureaus MPCD,

Bureau BOS,

Bureau RA,

Regional Office shall arrange visit of an Expert inc. Regional Office shall arrange visit of an Expert constituted by the Council under sub-regulation of egulation 9, and forward the recommendations of conal Committee to the Council's Office ordinarily period of two months or such other period as may nited by the Conneil.

(a) The State level Committee constituted under sub-log (4) of regulation 9 shall consider the recommenda-log (4) and shall make its recommendations to the continuous (4) and shall make its recommendations to the continuous (5) and shall make its recommendations to the

Ther Central Task Force constituted under sub-regulations of floor regulation 9 shall consider the recommendations lockstate level Committee and send its recommendations in the Member-Secretary of the Council.

the Central Task Force shall invite representatives the Central Task Force shall invite representatives the Prespective agencies for further consultations before the Frespective agencies;

On the recommendation of the Central Task Force, the light for in the application:

tyided that the Council may, for reasons to be communicated to the applicant, allow the approval with such restrictions or modifications as it may deem necessary;

the decision of the Council shall be communicated concerned or the University Grants

the applicant by 30th April in case the application was made before the preceding 31st December.

- (11) If the Council has rejected an application the reasons for such rejection shall be communicated to the applicant.
- (12) The rejection of an application shall not disentitle an applicant to make fresh application for any subsequent academic year.
- (13) The Council shall, in every year, before 31st December publish the names of approved technical institutions, University Departments or Deemed Universities conducting courses in technical education, the courses and programmes approved by the Council and the number of seals permitted (annual intake capacity) for each course or programme and communicate relevant extracts of the same to the concerned authorities.
- (14) All institutions, courses and number of seats approved after publication of a list under sub-regulation (13) shall stand included in the relevant list communicated to the competent authorities in the month of December.
- (15) The time schedule and sequences of processing applications for approved proposals shall be as given in Schedule appended to these regulations:

Provided that the Council may, for good and sufficient reasons to be recorded in writing, modify the time schedule in respect of any class or category of applications.

- 9. Committees.—(1) For processing of applications under these regulations, the Council shall constitute the following Committees, namely :--
 - (a) Expert Committee;
 - (b) State level Committee;
 - (c) Central Task Force.
- (2) An Expert Committee which shall be constituted by the Council in consultation with the Chairman of the Regional Committee, shall consist of a representative of the concerned State Government, the Regional Officer or his nominee, a nominee of the University or Board concerned and Expert members.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), in urgent or special circumstances, Chairman of the Council shall appoint an Expert Committee with an Officer of the Council as Member-Secretary to consider any specific class or category of application.
- (4) A State level Committee shall consist of the Chairman of the concerned Regional Committee, Secretary of the State Government concerned dealing with technical education and Director of Technical Education of the State Government concerned, two Vice-Chancellors, one Director of an Indian Institute of Technology, one member from the Executive Committee, nominee of the University Grants Commission and expert members from academic insti-Council, Adviser (RC), Regional Officer, and Adviser (RC), Regional Officer, Bureau and any other representative of MHRD Technical Bureau and any other presentative of MHRD Technical Bureau and member nominated by the Chairman of the Council. The State level Committee shall be chaired by an eminent educationist/industrialist nominated by the Chairman of the Council, and Adviser of the Council shall be nominated as Member-Secretary of the State level Committee by the
 - (5) Central Task Force The Central Task Force shall consist of two members of the Executive Committee of the consist of two members of the Executive Committee of the Council, an Education Planner/Administrator, two expert members, one member from judiciary. The Central Task Force shall be chaired by the member of the Executive Committee nominated by the Chairman of the Council, and Adviser of the Council shall be nominated as Memberand Adviser of the Central Task Force by the Council. The Secretary of the Central Task Force by the Council. The expert members shall be noticed to they are not expert members shall be nominated provided they are not

- (6) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may invite any person to be associated with any of the above Committees.
- 10. Interpretation.—(1) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Council.
- (2) The Council shall have the power to issue clarification to remove any doubt which may arise in regard to implementation of these regulations.
- 11. Power to relax.—The Council may, for removal any hardship or such other reasons to be recorded in writ relax any of the provisions of these regulations in respec any class or category of institutions.
- 12. Withdrawal of approval.—If any technical institut including University, University Department or deep University or College contravence any of the provisions these regulations, the Council may, after making such incoming the council may, after making such incoming the council may. as it may consider appropriate and after giving the techni institution concerned an opportunity of being heard, draw the approval granted under these regulations.

SCHEDULE

[See regulation 8(15)]

TIME SCHEDULE AND SEQUENCE OF PROCESSING OF APPLICATIONS FOR APPROVAL

SI. Stage of processing application

No.

Last date by which the processing should be completed

Insti

أنعنه

men

(1)

(3)

1. For receiving proposals by Bureau RC.

31st December

- 2. For the Bureau RC to screen the applications and (a) to return the incomplete applications to applicants, and (b) to forward the applications to (i) State Government concerned (ii) University or State Board concerned, for their comments (iii) Regional Officer to arrange visits by Export Committees, and (iv) Bureaus MPCD, BOS and RA for their comments.
- 3. For receiving the comments is from (i) the State Government (ii) the Universty or State Board and (iii) the Regional Committee based on the Expert Committee's report and (iv) from the Bureaus MPCD, BOS and RA.

15th March

4. For consideration of the comments from the State Governments, Universities or State Boards, Regonal Committees, and Bureaus of the Council by the State level Committee.

31st March -

5. For recommendations to be made by the Central Task Force

15th April

6. For communicating the final decision to the State Government or the Universty Grants Commission, under intimation to the Regional office, Director of Technical Education, applicant, University or State Board.

30th April

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION FORM I

[See regulation 5 (2) (a)] APPLICATION

FOR ESTABLISHMENT OF DEGREE/DIPLOMA INSTITUTION

ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED ARTS ETC.

FOR AICTE APPROVAL

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR ESTABLISHMENT OF DEGREE/DIPLOMA INSTITUIONS IN ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED ARTS etc.

1. (a) Seven copies of the complete application in the prescribed FORM and in accordance with the prescribed procedure must be submitted to the

Y. N. CHATURVEDI, Member-Sc

- (b) Incomplete proposals and those not submitted in prescribed format will not be processed.
- (c) The proposals which are received late but are order will be processed for the subsequent acade
- (d) Proposals must be submitted in A-4 size onlyall larger sized documents should be reduced
- (c) In the event the informations and statements gr by the applicant are found to be incorrect, application is liable to be rejected.
- 2. Requisite area of land must be in possession for of the proposed institution either by a clear title or register lease deed, as per rules of the State authorities, in the of the Society/Trust/Institution.
- 3. If the requisite area of land is not in possession of Society/Trust/proposed Institute, the proposal will not
- 4. The applicant/Society/Trust/Institution of

1073 wil :spec

nstitu

dec ision

h ing techn

rd, (

mber-See

itted in

but are it acades

: only

reduced

ients give

/ill_not

rrect,

peried peak annual recurring expenditure or as prescribed in State Government/UT or Rs. 10 lakhs, whichever is

(a) At the time of application, the applicant/Society/
Inp. Trust/Institute should have funds to the tune of
10% of the total estimated cost of the project in
the name of the Institution in savings or fixed
the name of the application in savings or fixed deposit account(s) in a scheduled bank for a minimum period of nine months.

(b) The total assets of the applicant/society/Trust/Institution are not acceptable as proof of financial viabi-

(c) Promissory notes are not accepted as evidence of availability of funds in hand for establishing the proposed institution.

The establishment of an institution particularly in remote has inherent difficulties of attracting teaching faculty first teaching teaching faculty first teaching staff. The applicant/Society/Trust/ ind sechnical supporting staff. The applicant/Society/Trust/
indinite should make available convincing evidence of staff illability and mobilisation.

TO BE ATTACHED

Toplicants should ensure to attach the following documents:

- Trust, etc. alongwith the composition of society/
 Trust etc. (only for private Societies/Trusts).

 (b) Copies of the curriculum and syllabus of the proposed course(s) alongwith the teaching and exami
 - nation schemes.
- (c) The undertaking on non-judicial stamp paper as per form enclosed (only for private Societies/Trusts).

 (d) A copy of the land registration papers/registered
 - lease deed.
- (e) A sketch showing area of each plot and centre to centre distance between plots, if the land area is in more than one plot.
- (f) A copy of city road map showing location of the proposed site of the institution.
- A copy of land use certificate from the competent authority allowing use of the selected land for authority allowing use of the selected land for institutional proposes.
- (h) Photocopies of the endowment fund fixed deposit receipts.
 - (i) Photocopies of latest bank statements, fixed deposit receipts etc. regarding availability of funds in hand.
 - (j) Authenticated documents to support mobilisation of additional funds.
- (k) Authenticated documents to support claim of meeting annual recurring expenditure.
 - (1) Letters from the competent authorities in support of clear proof of the following:
 - (i) A copy of map showing layout of the existing and proposed building(s) on the plot of land and floor plans of each building alongwith photo-
 - (ii) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for construction of buildings for institutional purposes.
- (iii) Completion/possession certificate of the buildings. on for the five (iii) Completion/possession constraints (iv) Clearance of Urban/Land Development Authority.

 I the new five constraints of proposed building(s) (i.e.
 - (m) Approved floor plans of proposed building(s) (i.e. civil drawings) from the concerned authority as per local bye-laws for construction of building(s).

(a) An undertaking for compliance with the CTF on non-judicial stamp

ANNEXURE I

(UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER SHOULD BE SUBMITTED REGISTERED WITH THE SUB-REGISTER OR ANY OTHER COMPETENT AUTHORITY)

I/We, the [name of the Trustee/Chairman/Principal]
Director or the (name of the College/Institution/Mandal/ Trust Society, etc., hereby undertake to comply with the following in connection with my/our application for starting/ establishment/intake capacity of seats of (name of Courses College) from the session-

- 1. That the Management including the Governing Body of the (Institute/College) shall be constituted and the Chairman of the Body/Council shall be appointed as per the guidelines of Council (Annexure-II).
- 2. That the management shall provide funds for investment in developed land and in providing the related infrastructural, instructional and other facilities as per Council's norms and standards laid down by the Council from time te time and for meeting the recurring expenditure.
- 3. That the courses or programmes shall be conducted as per the assessed technical manpower demands.
 - 4. (a) That the admissions shall be made according to the regulation and directory of the Council for such admision in the respective technical institutions.
 - (b) That the admissions to the courses shall be made only after the minimum requisite/prescribed facilities are created and the affiliating University/State Board has given permission to start the course.
 - (c) That the Institution shall not cause or allow either closure of the Institution or discontinuation of the course(s) or start any new course(s) or alter the intake capacity of seats without the prior concurrence of the Council.
 - 5. That the tuition and other fees shall be charged as prescribed within the overall criteria presiribed by the Counsil from time to time. No capitation fee shall charged from the students/guardians of the students in any form.
 - 6. That the accounts of the Institution shall be audited annually by a charactered Accountant and shall be open for inspection by the Council or any board or person authorised by it.
 - 7. That the teaching and other staff shall be selected according to procedures, qualifications and experience prescribed by Council from time to time.
 - 8. That the Management shall strictly follow any further conditions as may be specified by the Council from time to time.
 - 9. In the event of non-compliance by the (name of Society/ Trust/Mandal/College/Institution etc.) with regard to guidelines, norms and conditions laid/prescribed by the Council from time to time, the Council or a body or person authorised by it shall be free to take measures for withdrawal of its approval or recognition, without consideration of any related issues and that all liabilities arising out of such a related issues and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the (Society/Institute/
 - 10. The (College/Institute) by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State Government for the Institute or for recurring erpenditure etc.

Place: Date:

(Name of the authorised person giving undertaking alongwith his/her official position)

(SEAL)

1. The matter within brackets shall need to be filled up

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

Model Constitution of the Governing Body of Private Technical Institutions

The Governing Body shall have atleast 11 members including the Chairman and the Member-Secretary. The Registered Society Trust shall nominate 6 members including the Chairman and the Member-Secretary, and the remaining 5 members shall be nominated as indicated below:—

- Chairman: to be nominated by the Registered Society/Trust;
- 2.5. Members to be nominated by the Registered Society/
- 6. Nomince of the All India Council for Technical Education—Regional Officer (Ex-Officio).
- 7. An industrialist/technologist/educationist from the Region to be nominated by the concerned Regional Committee as nominee of the Council, out of the panel approved by the Chairman of the Council.
- 8. Nominee of the Affiliating Body/University/State Board of Technical Education.

- Nominee of the State (Government—Director Technical Education (ex-Officio).
- An industrialist/technologist/educationist from Region nominated by the State Government.
- Principal/Director of the concerned technical Institution (as nominee of the Society/Trust)—Member Secretary.

The number of members can be increased equally by adding nominees of the registered Society and by adding a fequal number of educationists from the Region keeping view the interest of the Technical Institution. The tot number of members of a Governing Body shall however, no exceed 21.

Appointment of Chairman of the Governing Body

The Chairman of the Governing Body shall preferable to a technical person either an entrepreneur or an industriality or an educationist or repute who is interested in the development of technical education, is a member of the parely Society/Trust and has demonstrated an interest in promotion of quality education in particular.

1.0 GENERAL INFORMATION

- 1.1 Name and address of the applicant (Govt./Society/Trust) alongwith telegraphic address, Fax and phonons (with STD Code in brackets):
 - 1.2 Proposed name of the Institution and its proposed location:
 - 1.3 Type of the Institution (specify one of the following):

 Private No-grant/Private grant-in-aid/Govt. (Central/State/UT)/Other (specify)
 - 1.4 For applicants other than a Govt. or University,
 - -Give the composition of the Trust/Society etc.
 - -Attach proof of registration of the Society etc.
 - -Give the qualification of the Trust to establish and manage the institution.
 - 2.0 Technical Institutions run/managed by the Trust/Society (not for Govt./University).

		G	Whatha AICTES
Name of Institutions	City and State of	Courses conducted	Whether AICTE®
	location	•	approved or not
			

- *If not approved, please give reasons for non-approval and steps taken to seek/qualify for AICTE approval
- 3.0 Whether the applicant Trust/Society has any court case v/s the State Government or the AICTE? If so please give brief details.
 - 4.0 ACADEMIC INFORMATION
 - 4.1 Academic programmes Proposed to be conducted:

Course titles	Duration (yrs)	Intake	Year of	of Entry	
Electronics Eugg.	4 or 3	60	1993-94	12+or 10	
Computer Science and Engg.	4 or 3	60	1993-94	12+or 10	
Mechanical Engg.	4 or 3	60	1993-94	12+or 10	

please attach copies of the curriculum and syllabi to be followed by the Institution for each of the proposed courses alongwith the teaching and examination schemes.

Has the proposal been supported by the State Government?

if yes, please attach a copy of the State Govt's recommendatory/forwarding letter.

If not, please give the reasons. (Please note that a letter from the DTE or any other Director is not sufficient)

Has the wilingness/consent of the affiliating body (concerned University/Board of Technical Education) iffiliate the proposed course(s) subject to AICTE approval, been obtained?

If yes, please attach a copy of the willingness/consent letter.

If not, please give reasons for the same.

7.0 JUSTIFICATION

7.1: Are one or more of the proposed courses already being conducted in one or more institutions in the Dis icitin which the proposed college is to be located?

If so, please give names of the institutions and the course(s) being conducted along with the respective sanctioned innual intakes:

Name of Institution	Course title	Total sanctioned intake in the Distt.
₹/Z	Mech Engg Civil Engg	120 60
124 6		

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

7.2 Please give the total seats available within the State in each of the proposed course(s) during the last academic

year.	
opurse Title	Total sanctioned intake in the State
	240
Cectronics Comm. Engg.	480
Accuanical Engs.	

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

7.3 Keeping 7.1 and 7.2 in view, give detailed justification for introduction of the proposed disciplines is and intakes vis-a-vis pojected manpower demand and industrial scenario and potential for self-employment.

7.4 Please indicate yearwise future plan for expanding the educational base of the proposed institution such as licrease in intake, additing new courses, conduct of continuing education programmes, etc. Please note that the future approvals would substantially be based on the information given here.

7 F. C.				
Proposed courses	Full-time/part-time/ continuing	Proposed intake	Proposed years of commencement	
XI:				

8.0 LAND

8.1 State the land area (in hectares) in possession for establishing the Institute (Please consult the relevant ICTE norms and standards to assess the desired land area requirement).

Please attach a copy of the registration documents.

Also indicate if the land area is in one plot or more. If more than one please give a sketch showing area of each is and centre to centre distance between the plots.

For valid form of ownership, please see instructions.

etrict chaying location of the proposed site of the institution,

[PART !II-SEC.

8.3 Whether the land is allowed to be used for institutional purposes? Please attach a copy of land use certificate from the competent authority.

9.0 FINANCES:

- 9.1 Whether a corpus fund/endowment fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the State Government fund has been created and mortgaged with the state Government fund has been created and mortgaged with the state Government fund has been created and
- 9.2 Give details of investable funds available in hand for establishing the proposed institution, duly support with copies of latest bank statements, FDRs, etc. Promissory notes are not acceptable.
- 9.3 Please indicate how the additional funds for investment in buildings, equipments, etc. would be mobilised over the next 3 to 4 years. Please attach authenticated documents to support your statement.
- 9.4 Please give yearwise annual anticipated recurring expenditure as below (I, II, III & IV) year pertaining the year of establishment of the Institution):

Item of Expenditure

Anticipated annual expenditure in Rs.

during

II

I

III IV

- a. Salaries, alowance, benefits, etc., of teaching staff
- b. Salaries of Technical supporting staff
- (2. Salaries of non-tech. supporting staff
- d. Training cost.
- e. Maintenance of equipment and buildings
- f. Library
- g. Miscellaneous contingencies
- h. others

For details, please consult the concerned norms and standards of the AICTE.

9.5 Please explain how the funds to meet the recurring expenditure at 9.4 would be generated from year year.

10.0 INFRASTRUCTURE

10.1 In case the building(s) for permanent or temporary accommodations of the Institution are already available please give the plinth area (sqm) as below:

Type of construction	Instructional	Adm'n:strative	Amenities	Hostel	Resident	Total areas.
	bldg.	bldg.			• • •	4

- (a) RCC
- (b) Shed

Give a layout of buildings on the plot of land and floor plan of each building alongwith photographs.

Note: Please attach clear proof of the following:

- (a) Use of the building(s) for institutional purposes.
- (b) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for construction of the building(s).
- (c) Completion/possession certificate of the building(s).
- (d) Clearance of Urban Development Authority.

10.2 In case the permanent building(s) are to be constructed for the Institution, give yearwise plan of construction for instructional areas, (classrooms, tutorial rooms, drawing halls, laboratories, workshops, library, instructional Resource centre, computer centre, examination hall etc.), administrative areas. (offices staff rooms, conference room, confidential room, estate office etc.), amenities (common room, sports room, NCC, NSS. Canteen, lobby centre, dispensary, etc.) and residential areas (students hostel, staff quarters, guest house), as per the AICTE

The state of the s		163	187	.	
	11 2 P	. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			73
	भारत का र	जिपवः प्रसाधारण			wilding.
11 - 4]	aba plot of land f	or the Institut	ion and floor	plan of each o	
Give a layout of proposed building		be construct	ted during the Second	e Third	Fourth year of
ce title	Period prior to	year of	year of	year of the Instt.	the Instt.
di li	commencement of classes.	the Instt.			
(I) (I)	010100	/			
iss rooms					•
torial rooms awing halls					•
boratories orkshops			**.		
				tandards of th	ne AICTE.
Space titles are only example.	or details, please consu	ilt the concern	ied norms & s	. a. a. 10.7	
Space titles are only example. F	di uciamo, pro-	on construction	n of buildings	; as at 10.2	as during
10.3 Please indicate year-wise es	Fxpenditur	e for construc	tion of addition	onai space are	. -
title	the year				Fourth
Pace		First	Second	Third	Fourth year
	Period prior to	year	year	year of the	of the
	commence	- of the	of the	course(s)/	course(s)/
Par Carlo	ment of	course(s)/	course(s)/	increase	increase
1.16	course(s)	increase	increase	in intake	in intake
	increase	in intake	in intake		
	in intake				
	III IIICANO				
Class room					
Tutorial rooms					
Drawing hall					
Laboratories .					
Workshops	or details, please cosult			indards of the	AICTE.
	- details nlease cosult	the concerne	d norms & sta	industry of and or	mmencing of
Spac ttiles are only example. F	Or details, brease	of establish	ment (i.e. equi	pment and co	nts instrument
Spacettiles are only example. F 10.4 Laboratories: Please give of the laboratories) varis laboratories of the laboratories.	ve yearwise action plat	estimates for	r procurement	t or edurbine.	
serof the laboratories) varis labo	ratories along """				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
fixtures and fittings, furnitures	:tt.	for actablic	shment of vari	ous laborator	es during the
Carlos .	Expendit	ure for establi-		year Third y	
Name of Laboratory	Period	prior First	year Second	year Initu y	of the
	Per.ou	mence- of the	of the	Tactt	
	to com	of Inst	t. Inst	it.	
	Clas				
				=	
Physics					
				. ,	
Chemistry					
Chemistry Applied Mechanics					
Chemistry Applied Mechanics					
Chemistry Applied Mechanics	the norms & standards		u. d. over only	m of the cours	 se(s).

Name of the Workshop	Expenditure for establishment of var ous workshops during the						
	Period priod to comment of Classes	YA4	Second yar of the . Instt.	Third year of the Instt.	Fourth ye of the Instt.		
Carpentary Fitting			·		, !		
Block					,		
Welding							
					-		
For details, please consult the norm	ns & standards and t	he detailed cu	rriculum of th	ne course(s)	<u>-</u>		
10.6 Computing facilities: Please	•				ftware itc		
urniture, fit ings and fixtures etc. for est					4		
Facilities	Expenditure during the	Expenditure for establishment of various computing facilities during the					
	Period	First	Second	Third	Fourth		
	prior to	year of the	year of the	year of the	year of		
	commence- ment of classes	Instt.	Instt.	Instt.	Instt.		
Computer Centre							
Computer Lab							
Graphic Oab							
		he detailed cu	rriculum of th	ne course(s).	<u> </u>		
For details, please consult the norm	ns & standards and t	ne detailed ed.					
10.7. Library: Please give yearwise	action plan for procu	rement of ini					
10.7. Library: Please give yearwise books (Text books reference books, enc	action plan for procu yclopedia, others) jo	rement of ini					
	action plan for procu yclopedia, others) jo	rement of ini					
10.7. Library: Please give yearwise books (Text books reference books, enc	action plan for procu yclopedia, others) jo th cost estimates. Expenditure	rement of ini	subscribed (N	National and I	nternatio		
10.7. Library: Please give yearwise ooks (Text books reference books, encurniture, fixtures & fittings etc. alongwines)	action plan for procu yclopedia, others) jo th cost estimates.	prement of initional stores	subscribed (N	National and I	nternatio		
10.7. Library: Please give yearwise ooks (Text books reference books, encurniture, fixtures & fittings etc. alongwine)	action plan for procu yclopedia, others) jo th cost estimates. Expenditure	for procurem	subscribed (N	Vational and I	nternatio		
10.7. Library: Please give yearwise ooks (Text books reference books, encurniture, fixtures & fittings etc. alongwines)	action plan for procu yelopedia, others) jo th cost estimates. Expenditure the	for procurem First year	ent of Library Second	y books/perio Third year	dicals d		
10.7. Library: Please give yearwise ooks (Text books reference books, encurniture, fixtures & fittings etc. alongwines)	action plan for procu yelopedia, others) jo th cost estimates. Expenditure the Period	for procurem	ent of Library Second year of the	Vational and I y books/perio	nternatio		

10.8 Teaching faculty: Please give act on plan for recruitment of teaching faculty (Principal, Professor, Htt Professor/HOD, Senior Lecturer, Lecturer).

3117		No.	Type of	No. 10 b	, 1001-100	during the		
StipProfessor/HOD		already ` available	visiting)	prior to	First year of the	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.
திரிராம் அதேராம் அத்தார்	•		•	commence ment	;- Iliatt.			
Rons Cited		:		of classes				

Principal Professor Asstt.Prof./

HOD

ics !

irth r of tt.

St. Lecturer, Lecturer

Kindly also indicate number of each category of staff, if already, available.

10.9 Workshop staff: Please give annual action plan for recruitment of workshop staff (Workshop Spdt. Foreman Instructor, Workshop Instructor/Asstt. Instructor, Lab. Technician/Asstt. Skilled Asstt. etc.) Kindly also

oreman Instructor, Workshop Instructor/A	Type of	No. to be re	ecru iteu	uuring kno		
aculty cadre No. already available	faculty	Period pror	First year of the Instt.	Second year of the Inst	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.

Workshop Supdt.

Foreman

Instruction

Workshop Instructor

rnatig

For detail, please consult the concerned norms & standards of the AICTE. 10.10 Linrary, IRC, and Computer Staff: Please give annual action plan for recruitment of library, IRC, and Computer staff (Librarian, Asstt. Librarion, Liberary Asstt. System Manager, System Analyst, Computer Program-.

mer, Computer Operator etc.) Kindly also indicate number of each category of staff, if already available.

Computer staff (Librarian, mer, Computer Operator e	No.	Type of	No. to be	e recruite	d during the		
Faculty cadre	already available	faculty Part-time full-time/		First year of the	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	Fourth year of the Instt.
heq:			ment of Classes				

Librarian Asstt.

Jipec.

Librarian System

Manager -System

Analyst

Computer Programmer

76

10.11 Technical Supporting and Administrative Staff: Please give annual action plan of rectuitme [PART III like Admn. Officer, Finance Officer, Acctt. Steno., Maintenance Engineer, Store Keeper, Draughtsman, W Library Attd. etc. Kindly also indicate number of each category of staff, if already, available.

Faculty cadre	No. already available.	Type of facult	y		be recruited		
		full-time/ visiting)	Period prior to commence- ment of classes	First year of the Instt.	Second year of the Instt.	Third year of the Instt.	F ye of Ins
1	2	3	4				
Admn. Officer inance Officer ccountant.			*	5	6	7	

For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

10.12 List the yearwise major equipments (costing Rs. 5000 or more per unit) to be provided in various la tories/workshops alongwith brief specifications in the format given below:

Tab Arras	- The format given				
Lab./Workshop	Name of Equipment. Brief Specifications		Qty.	to be pro	vided
1		I уг.	II yr.	III yr.	·Ιν
	2 3	4	5	6	

- 11. Please state whether a regular Municipal supply of drinking water and water required for labs/workshop is available. If not, please explain the alternate arrangements for a regular supply.
- 12. Please state whether adequate and regular electricity supply is/would be available and attach support documents.

What shall be the standby arrangements in case of shut downs/break downs.

- 13. Please state transport arrangements from city to the Institution in case the Institution is not located wil the Municipal limits.
- 14. Faculty shortages are noted in most of the institutions and these shortages are noted to institutions located in semi-urban and non-urban areas.

be more It is also noted that for certain disciplines, availability of faculty s restricted due to various reasons

Keeping the above in view, please indicae the faculty resource base if aveilable and also as to who the appliproposes to attract the faculty for the proposed courses.

EC.

urth] r the

s la bo

ided

kshop

1 suppor

eated will

be more

asons

15. It is noted that all applicants do not possess suffic ent expert se in establishing a technical education instifation in a time bound manner and on appropriate lines (both physically and academically). For this purpose, it bescomes necessary to have a very senior experienced person as the main consultant helped by subject-matter specialists to assist and advise the management establish the proposed institut on. It, therefore, becomes necessary to dentify the consultant and subject matter specialists and to have an agreement with them for atleast the first four years during which the institution is in the process of establishment.

Keeping the above in view, kindly give the names of consultants and subject matter specialists along with their qualifications and background. Also kind attach letters of agreement signed with the consultant and the subject matter specialists.

16. For bringing effectiveness in technical education, and also for making arrangements for training of students and staff and also for having selected lectures and advice from senior industry personnel, it is essential to establishlinkages with the relevant industries in the vicinity of the institution.

Keeping the above in view, please give the names and locations of industries with whom linkages are to be estab-lished and also attach their letters of consent.

- 17. Please give the name(s) of your bankers along with the various accounts numbers held with them for the proposes institution.
- 18. Please give the name and addresses the auditors appointed or proposed to be appointed for the proposed
- institution.

 19. Please attach an undertaking on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar of any similar competent authority as per the format attached (not applicable to Govt./University).

 In competent authority as per the format attached (not applicable to Govt./University).

 Name and Signature of Head of the Institutions/Managing Trustee/the Society/Trust.

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION FORM II

[See regulation 5 (2 (b)]

APPLICATION

ON EXISTING DEGREE INSTITUTION(S) SEEKING AICTE APPROVAL WITHOUT ADDITIONAL COURSE(S)

AND/OR ADDITIONAL INTAKE(S)

IN

ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE,

PHARMACY, APPLIED ARTS ETC.
INSTRUCTION FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR EXISTING DEGREE INSTITUTION(S) SEEKING AICTE APPROVAL WITHOUT ADDITIONAL COURSE(S) AND OR ADDITIONAL INTAKE(S) IN ENGINEERING/TECH-NOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED
ARTS ETC.

- 1. (a) Seven copies of the application must be submitted in the prescribed Form to the Bureau (RC), AICTE, New Delhi by 31st December.
- (b) Incomplete proposals and those not submitted in the apprescribed format shall not be processed.
- (c) The proposals which are received late but are in order thall be processed for the subsequent academic year.
- (d) Proposals must be submitted 'A-4' size only and larger sized documents should be reduced to 'A-4' size.
- (e) Proposals are likely to be rejected in the event that the information and statement given by the applicant are information and statement given by the applicant are information and statement given by the applicant are
- (2. (a) Requisite area of length for the existing and addi-dual courses must be in possession for use of the Institu-

- (b) If the requisite area of land is not in possession of the applicant, the proposal shall not be accepted.
- 3. The applicannt should create an endowment fund jointly in the name of the institution and the concerned State authority to the tune of 30 per cent of the peak annual recurring expenditure for existing and additional course(s)/increase in intakes or as prescribed by the State Government/UT or Rs. 10 Lakhs, whichever is less.
- 4. (a) At the time of application, the applicant should have funds to the tune of 50 per cent of the total estimated cost of provision of additional infrastructural and instructional facilities in the name Institution in a savings of fixed deposit account(s) in a scheduled bank for a minimum period of six months.
- (b) The total assets of the applicant are not acceptable as proof of financial viability of the proposal.
- (c) Promissory notes are not accepted as evidence of avail ability of funds in hand for starting the proposed course(s), increase in intake(s).
- 5. Experience has shown that Institution located in remot areas has inherent difficulty of attracting teaching facult and technical supporting staff. The applicant should make available convincing evidence of staff, availability and mobilization.

List of Documents to be attached

Applicant should ensure to attach the following documents.—(a) A copy of registration document of the Society Trust etc. along with composition of Society/Trust etc.

- (b) A copy of the relevant Government orders per meeting starting of the Institution.
- (c) A copy of the letter of the affiliating body along wi affiliation of the Institute/existing course(s).
 - (d) Copies of the curriculum and syllbus of the existi

- (e) Letters from the competent authorities in support of clear proof of the following:
 - (i) A copy of he man showing layout of existing and proposed building(s) on plot or land and floor plans of each building alongwith photographs.
 - (ii) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for the existing buildings for institutional purposes.
 - (iii) Completion possession certificate of the buildings.
 - (iv) Clearance of Urban Land Development Authority.
- (f) A copy of the land registration papers registered lease deed (as applicable).
- (g) A copy of land use certificate from the competent authority allowing use of the land for usututional purposes.
- (h) A certificate from the executive authority of the applicant that the land and facilities are not being shared with any other institution activity.
- (i) A sketch showing area of each plot and centre to centre distance between plots, if the land area is in more than one plot.
- (j) A copy of city road map showing location of the institution.
- (k) Photocopies of the corpus fund endowment fund fixed deposit receipts.
- (1) Photocopies of latest bank statements, fixed deposit receipts etc. regarding availability of funds in hand.
- (m) Photocopies of duly audited statements of income expenditure, balance sheet and audited reports of the Institute for the preceding 3 years.
- (n) Authenticated documents to support mobilisation of additional funds.
- (o) Approved floor plans of proposed building(s) (i.e. civil drawings) from the concerned authority as per local bye-laws for construction of building(s).
- (p) Authenticated documents to support claim of meeting non-recurring expenditure.
- (q) Authenticated documents to support claim of meeting annual recurring expenditure.
- (r) An undertaking for compliance with the general conditions of the AICTE on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached.
- (s) Minutes of the last three meetings of the Body Council Committee responsible for management of the Institute.

ANNEXURE-I

(UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER SHOULD BE SUBMITTED REGISTERED WITH THE SUB-REGISTERAR OR ANY COMPE-TENT AUTHORITY)

I|We, the (name of the Trustee|Chairman|Principal|Director of the College|Institution|Mandal|Trust|

- 1. That the Management including the Gov-Body of the (Institute/College) shall be constitute the Chairman of the Body/Council shall be appears per the guidelines of Council (Annexure-II).
- 2. That the management shall provide funds investment in developed land and in providing related infrastructural, instructional and other fac as per Council's norms and standards laid dow the Council from time to time and for meeting recurring expenditure.
- 3. That the courses or programmes shall be ducted as per the assessed technical many demands.
- 4. (a) That the admissions shall be made acco to the regulation and directory of the Council such admission in the respective technical institution.
- (b) That the admissions to the courses shall made only after the minimum requisite|prescriacilities are created and the affiliating Univer State Board has given permission to start the co
- (c) That the Institution shall not cause or a either closure of the Institution or discontinuation the course(s) or start any new course(s) or alterintake capacity of seats without the prior concurr of the Council.
- 5. That the tuition and other fees shall be cha as prescribed within the overall criteria prescribed the Council from time to time. No capitation shall be charged from the students/guardians of students in any form.
- 6. That the accounts of the Institution shall audited annually by a Chartered Accountant and s be open from inspection by the Council or any bo or person authorised by it.
- 7. That the teaching and other staff shall be select according to procedures, qualifications and experied prescribed by Council from time to time.
- 8. That the Management shall strictly follow further conditions as may be specified by the Comfrom time to time.
- 9. In the event of non-compliance by the (name Society/Trust/Mandal/College/Institution etc.) regard to guidelines, norms and conditions prescribed by the Council from time to time, Council or a body or person authorised by it be free to take measures for withdrawal of its approor recognition, without consideration of any relaissues and that all liabilities arising out of such withdrawal would solely be that of the (Society)

79

E.O.C

Date

(College Institute) by virtue of proval given by Council shall not automatically come claimant to any grant-in-aid from the Central State Government for the Institute or for recurring expenditure etc.

> (Name of the authorised person giving undertaking alongwith his/her official position)

(SEAL)

18 The matter within brackets shall need to be filled myas relevant.

It should be ascertained that the stamp-paper the undertaking are properly authenticated.

Model Constitution of the Governing Body of Private Technical Institutions

The Governing Body shall have atleast 11 members including the Chairman and the Member-Secretary. The Registered Society/Trust shall nominate 6 memperstincluding the Chairman and the Member-Secreand the remaining 5 members shall be nominaicd as indicated below :-

- Chairman: to be nominated by the Registered Society/Trust.
- Members to be nominated by the Registered Society/Trust.
- Nominee of the All India Council for Technical Education-Regional Officer (Ex-Officio).

- industrialist technologist educationist from the Region to be nominated by the concerned Regional Committee as nominee of the Council, out of the panel approved by the Chairman of the Council.
- Nominee of the Affiliating Body/University/ State Board of Technical Education. .
- Nominee of the State Government-Director of Technical Education (ex-Officio).
- industrialist|technologist|educationist 10. from the Region nominated by the State Government.
- Principal/Director of the concerned technical institution (as nominee of the Society/ -Member-Secretary Trust).

The number of members can be increased equally by adding nominees of the registered Society and by adding an equal number of educationists from the Region keeping in view the interest of the Technical Institution. The total number of members of a Governing Body shall however, not exceed 21.

Appointment of Chairman of the Governing Body

The Chairman of the Governing Body shall preferably be a technical person either an entrepreneur or an industrialist or an educationist of repute who is interested in the development of technical education, is a member of the parent Society/Trust and has demonstrated an interest in promotion of quality education in particular.

INFORMATION ABOUT THE EXISTING DEGREE INSTITUTION

(Engineering, Architecture, Pharmacy, Applied Arts etc.)

30 GENERAL

6-2601

ierid

Cod

1ame)

ic, 1 21 ppp

ruci

Name and address:

- . (a) Name of the Institution:
- (b) Postal address: (with PIN code) : ערנטיים:
- tiv(c) Telegraphic address:
- Name and designation of the Head of the Institution with residential & office telephone numbers (with STD codes in brackets): (d) Fax and phone Nos. (with STD code in bracket)
 - Type of the Institution : (specify one of the following)

Private No-grant

Govt. (Central/State/UT)

Other (specify)

In case of Private Institutions, full postal address of the Managing agency should be given alongwith telegraphic address, fax and phone Nos. (with STD code in bracket):

Date of establishment of the institution (please attach a copy of relevant Government orders):

Give name of affiliating University/body with full postal address. Also give the names and phone Nos. of the Vice-Chancellor and Registrar of the equivalent officers.

OF ACADEMIC INFORMATION:

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

2.7

stude

(b) F

(c) I -(q) C

ارا كا في

2.9 2.10

Турс

(a) L

(b) F

00.00

work scines

2.12 12 Ca

				t !		during	1007-07	٠
2 1	Academ	iic Pro	ogrammes	being	conducted	darms	1775-73	٠

Field/specialisation	Full/part time	Duration (yts)	Sanctioned intake	Attail Admissions	Year or starting
Civil Engineering	Full	4	60	50	1972
Mechanical Engineering	Part-time	4	30	28	1980
Architecture	Full	5	60	55	1989
Pharmacy	Full	4	60	58	1985
Machine Design	Full	1.5	10	10	1982
Thermal Engineering	Part-time		10	10	1984
	Civil Engineering Mechanical Engineering Architecture Pharmacy Machine Design	Civil Engineering Full Mechanical Engineering Part-time Architecture Full Pharmacy Full Machine Design Full	Civil Engineering Full 4 Mechanical Engineering Part-time 4 Architecture Full 5 Pharmacy Full 4 Machine Design Full 1.5	Civil Engineering Full 4 60 Mechanical Engineering Part-time 4 30 Architecture Full 5 60 Pharmacy Full 4 60 Machine Design Full 1.5 10	Field/specialisation Full/part time Darkton State Admissions

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

- 2.2 Whether the Institution and the course(s) conducted are approved by the AICTE?
 - -If yes, attach a copy of all AICTE approval letters.
 - -If any course(s) being conducted is/are not AICTE approved, please state reason(s) for the same.

2.3 Admissions:

2.0						
No see of course	Entry	Method of*	\$	Seat Distribution	% .	,
Name of course	Qualification	Admission	State Government	Management	SC/ST	Others

^{*}Please state whether by Entrance Test or based on marks obtained in the qualifying examination.

- 2.4 If admission is based on marks obtained in the qualifying examination (such as 10 + 2 etc.), piease give full details for all admission regarding the minimum percent of aggregate marks and the minimum average % marks prescribed in the subject of Physics, Chemistry and Mathematics.
- 2.5 Sanctioned and actual admissions:

Course			Sanctio	oned (S	and Ac	tual (A)	Annual	intakes	·			
	19	87-88	1988	3-89	198	9-90	1990	-91	199	1-92	199	2-93
	S	Α	S	A	S	Α	s	A	S	A	S	A

2.6 Details of First year student enrolment during the preceding 5 full academic years (total of 5 years).

2.0 1000	0									
Type of	Total	=	% of total	admission	1	Total drop-	% of to	tal admissio	ons	Total turn-
Students	sanctioned intake	admission	SC/ST	Rural Tribal	Girls	outs	SC/ST	Rural Tribal	Girls	out
								_		

- (a) Under-graduate
 - Full-time
 - Part-time
 - Others (specify)
- (b) Post-graduate
- Full-time Part-time Others (specify)
- (c) Doctoral or equivalent
- (d) Others

111-41	F 4]	•	21 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	भारतकाराजपत्र	ः ग्रसाधारण					8
517 Detail	s of Second year st	ident enrolme	nt during the prece	ding 5 full acad	demic year	s (total c	of 5 yeas):		7441 - XT.;	•
Type of	Total sanctioned	Total admissions	% of total admis	sion	Total drop-	% o	f the total	drop-o	outs	Total turn-
students firm	intake		SC/ST Rural & 0 Tribal	Girls Lateral entrants	outs	SC/ST	Rural & (Tribal	Girls	Lateral entrants	out
Full-tin								-		,
(b) Post-gri	aduate ne					- 4				
Others .	(specify) al or equivalent					· .	•			
2.8 If admithe per 2.9 Dates	itution has been fun issions are also made reentage of total sea of the starting and	by lateral ent its reserved for stopping of all	ry to cetain courses r lateral entrance a admissions as per	, please give de nd the minimu the calender of	tails of the m entry q T the affilia	entry qu ualificati ting body	nalification on for later	in ithe		1mission,
**	of examination res	ults during the	preceding two aca	demic years. (u	otal of 2 ye	ars)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Type of stud	lents	1	No. appeared	Total Passed	Passe disting	d with	Passed 1st Clas		Passe 2nd C	d with lass
Full-tin Part-tin										
	ne									
(d) Others										
2.11 Detail	s of institutional Wo	orking hours e	tc. during the prece	ding two acade	mic years ((average) ————	·: 			
No. of expections of expections of expecting day	s per ing days	per semester/	No. of expected Instructional hour per semester/yaer						No. of d for exa	ays spent mination
AST.					,					
2.12 Detail	s of placement of pa	ss-outs during	the preceding two	academic years	(total of 2	years)	:			
Courses]	No. Passed	No. placed within 3 m	onths		nced within months		No. placed 6 to 12 m	
1										
a a la	HING FACULTY	INFORMAT	ION:							
Facult	y strength for variou	is levels of pro	grammes:							
Type of Fac	ulty		Sanction	ned Strength			Nos.	in Po	sition	
			UG PG	, Others	Total	UG	PG		Others	Total
Pull-time										

[PART III-SEC. 4

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

3.2 Give numbers of the teaching faculty in position by category during the preceding 2 years : Numbers required on January, 1, 1993 Nos. in position on Faculty Cadre as per AICTE norms State/University norms January 1, 1993 January 1, 1992 Principal Professor Associate Professor Reader Asst. Professor Senior Lecturer Lecturer Others 3.3 Details of emoluments and age: Others Lecturer Senior Assistant Reader Associate Professor **Particulars** Lecturer Professor Professor No. of faculty Average age (years) Highest emoluments Average emoluments Lowest emoluments Lowest length of service in the institution Highest length of service in the institution Average length of service in the institution 3.4 Number of the Workshop, Library and other supporting staff by category: Numbers required on January 1, 1993 per Nos. in position on Faculty Cadre AICTE non State/University norms January 1, 1993 January, 1, 1992 Workshop Supdt. Foreman Instructor Workshop Instructor/ Asst. Instructor Skilled Asst. Lab Technician/ Assistant Librarian Library Asst. System Manager System Analyst Computer Programmer Computer Operator 3.5 Work-load per week (in percentage of total duty hours in a week) for the following activities: Others Lecturer Senior Assistant Associate Reader Professor Activity Professor Lecturer Professor Teching Research Administration Institute/ College Dev.

Consitancy Training & Placement

Guidance & Councelling

3.6 Details of Faculty (nam	ne, qualificat	tions and expe	rience etc).				Danie nav	Total
Name	Qualifica- tions	Total Experience	Total teaching experience	Date of appoint- ment	Level of appointment (Lecturer, Sr. Lecturer) Asst. Professor etc.	Present pay scale & date from which given	as on date	emplo; meats
Ž.				•				
3.7 Please state whether all				ener procedu	re experience &	gualifications	prescribed	
3.7 Please state whether all	the existing	faculty has be	en tectuted a	sper proced-	, o , o , o			
25 %		ching faculty t	nembers is be	ing paid as p	er the AICTE	pay scales for t	he last 2 aca ren etc giver	demic yo
9 Please give details of se	rvice benefi	ts such as LTO	C, medical rei	nbursement,	housing, scho-	oling for culia	cu, etc gives	10 14
members. 3.10 Retirement and prema	ature-retirem	ent benefits gi	ven to faculty	members.				
2/3*	WARE & CC	CTWARF FA	ACILITIES.				1	X - 4 b - a
Please give details of the	ne existing fa	icilities (numb	er of terminal	s, type of cor	nputers) and sta	iff (level and ni	imber of stat	1 Other
teaching staff).								
表5.0 LIBRARY FACILITI	ES							
5.1 Books			Total No.	of titles acqu	- Total No. o	of volumes	Total No.	of volu
Category			ired during	the past	acquired di	uring the past	in the libr	ary on o
			five years.		years			
(a) Text books					•			
(b) Reference books								
(c) Encyclopaedia							·	
(d) Others							·	
5.2 Periodicals:								
Particulars					No. of periodi	cals subscribed	to presently	
(a) Supporting Depa	rtments:							
—Indian								٠.
—Foreign								
(b) Engineering Dep	artments:		,					* 1
—Indian								
—Indian —Foreign								
(c) Other Departme	nts							
Indian								
—Foreign								
6.0 LABORATORIES							•	
		Nan	ne of various	Laboratories		Total investm	ent on equ	ipmen t
Department			-			nstruments in	the last 3	years
a · p —								
1 2 2								$e^{-\epsilon} = d^{(\epsilon)}$

Please attach a list of equipment costing Rs. 1000/- or more at current prices for each laboratory.

Total

[[-खण्ड 4]	भारत का राजपत्न : भाषारण	85
	n, library, laboratory, etc. but excluding hostel fee and	food charges) charged per str
dent during		
_ 1990-91		
1991-92		
_ 1992-93		'
Additional Fund Requirement, if any:		
Yadiione, I and Itodanomin's may		<u> </u>
Particulars	Amount lak	chs of Rupees
RECURRING	- A	i
(a) Salaries of teaching employees		
(b) Salaries of non-teaching employees	aff	
(c) Scholarship		· •
(d) Expenditure for travel		
(e) Other recurring expenditure		1
1		•
Total of Recurring:		
NON-RECURRING		
(a) Additional building		
(b) Additional equipment		
(c) Others		
Total of Non-Recurring		
Please explain how the additional funds	as estimated in 12.4) will be generated.	
AICTE APPROVALS RECEIVED DU		
MOLE ALL ROTALD RECEIVED DC	ALLO ALLO DITOL & LOUING.	
Name of the course(s)/institutions	Annual Intake Year of Starti	ing AICTE approval No.

3 curring 4 5

> 14.10 Please state whether the proposer is running and/or managing any programme or other technical institution which is not approved by the AICTE?

If so, please give the name of the programme/Institution, its address and the courses being conducted.

- 15.0 Whether the proposer has any court case in respect of violation of provisions of the State Government one or more the AICTE
- O Please describe briefly future plans for improvements in infrastructure/expansion in academic & other activities, if any.

(Seal)

Name and Signature of the Head of the Institution

te.

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

FORM III

[See regulation 5(2)(C)]

APPLICATION

FOR EXISTING DIPLOMA INSTITUTION(S)
SEEKING AICTE APPROVAL WITHOUT
ADDITIONAL COURSE(S) AND/OR
ADDITIONAL INTAKES

IN

ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED ARTS, ETC.

INSTRUCTION FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR EXISTING DIPLOMA INSTITUTION(S) SEEKING AICTE APPROVAL WITHOUT ADDITIONAL COURSE(S) AND/OR ADDITIONAL INTAKE(S) IN ENGINEERING TECHNOLOGY, ARCHITECTURE, PHARMACY, APPLIED ARTS ETC.

- 1. (a) Seven copies of the application must be submitted in the prescribed Form to the Bureau (RC), AICTE, New Delhi by 31st December.
- (b) Incomplete proposals and those not submitted in the prescribed format shall not be processed.
- (c) The proposals which are received late but are in order shall be processed for the subsequent academic year.
- (d) Proposals must be submitted in 'A-4' size only and larger sized documents should be reduced to 'A-4' size.
- (e) Proposals are likely to be rejected in the event that the information and statement given by the applicant are found to be incorrect.
- 2. (a) Requisite area of length for the existing and additional courses must be in possession for use of the Institution either by a clear title or registered deed as per rules of the State authorities in the name of the applicant.
- (b) If the requisite area of land is not in possession of the applicant, the proposal shall not be accepted.
- 3. The applicant should create an endowment fund jointly in the name of the institution and the concerned State authority to the tune of 30% of the peak annual recurring expenditure for existing and additional course(s)/increase in intakes or as prescribed by the State Government UT or Rs. 10 lakhs, whichever is less.
- 4. (a) At the time of application, the applicant should have funds to the tune of 50% of the total estimated cost of provision of additional infrastructural and instructional facilities in the name of Institution in a savings of fixed deposit account(s) in a scheduled bank for a minimum period of six months.

- (b) The total assets of the applicant are not acceptable as proof of financial viability of the proposal.
- (c) Promissory notes are not accepted as eviden of availability of funds in hand for starting the proposed course(s)/increase in intake(s).
- 5. Experience has shown that Institution located remote areas has inherent difficulty of attracting teaching faculty and technical supporting staff. The applicant should make available convincing evidence staff availability and mobilization.

List of Documents to be attached

Applicant should ensure to attach the followin documents.—(a) A copy of registration document the Society/Trust etc. along with composition Society/Trust etc.

- (b) A copy of the relevant Government orders permeeting starting of the Institution.
- (c) A copy of the letter of the affiliating body alon with affiliation of the Institute/existing course(s).
- (d) Copies of the curriculum and syllabus of the existing course(s) along with the teaching and examination schemes.
- (e) Letters from the competent authorities support of clear proof of the following:
 - (i) A copy of the map showing layout of existing and proposed building(s) on plot or land an floor plans of each building alongwith photographs.
 - (ii) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for the existing buildings for institutional purposes.
 - (iii) Completion/possession certificate of buildings.
 - (iv) Clearance of Urban/Land Developm Authority.
- (f) A copy of the land registration papers/revitered lease deed (as applicable).
- (g) A copy of land use certificate from the comptent authority allowing use of the land for institution purposes.
- (h) A certificate from the executive authority the applicant that the land and facilities are not be shared with any other institution/activity.
- (i) A sketch showing area of each plot and centre to centre distance between plots, if the land area in more than one plot.
- (j) A copy of city road map showing location the institution.
- (k) Photocopies of the corpus fund/endowing fund fixed deposit receipts.
- (1) Photocopies of latest bank statements, in deposit receipts etc. regarding availability of funds hand.

ience bto

ed in

owin

Pe alon

d 16 xame

Buik

photo

ည္ကဏဏ

mp. ution

7seg

(Heal

pn'T)wmg

rd fig

unds

(m) Photocopies of duly audited statements of income/expenditure, balance sheet and audited reports the Institute for the preceding 3 years.

- (a) Authenticated documents to support mobilisation of additional funds.
- (o) Approved floor plans of proposed building(s) (i.e. civil drawings) from the concerned authority as fer local bye-laws for construction of building(s).
- (p) Authenticated documents to support claim of meeting non-recurring expenditure.

 (q) Authenticated documents to support claim of meeting annual recurring expenditure.
- (r) An undertaking for compliance with the general conditions of the AICTE on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached.
- (s) Minutes of the last three meetings of the Body/ Council/Committee responsible for management of the Institute.

ANNEXURE-I

ANN UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL PAPER SHOULD BE SUBMITTED REGISTERED WITH THE SUB-REGISTER OR ANY OTHER COMPETENT AUTHORITY)

We, the (name of the Trustee/Chairman/Principal/Director of the (name of the College/Institution/ Mandal/Trust/Society, etc.) hereby undertake to com-ply with the following in connection with my/our application for starting/establishment/intake capacity of seats of (name of Courses/College) from the session———.

That the Management including the Governing Body of the (Institute/College) shall be constituted and the Chairman of the Body/Council shall be proposited as per the guidelines of Council (Annexure-

That the management shall provide funds for westment in developed land and in providing the clated infrastructural, instructional and other facilithe Council from time to time and for meeting the recurring expenditure.

- That the courses or programmes shall be con-ducted as per the assessed technical manpower demands.
- (a) That the admissions shall be made according to the regulation and directory of the Council for such immission in the respective technical institutions.
- (b) That the admissions to the courses shall be de only after the minimum requisite/prescribed clities are created and the affiliating University/ Board has given permission to start the course.
- That the Institution shall not cause or allow course(s) or start any new course(s) or alter the

- 5. That the tuition and other fees shall be charged as prescribed within the overall criteria prescribed by the Council from time to time. No capitation fee shall be charged from the students/guardians of the students in any form.
- 6. That the accounts of the Institution shall be audited annually by a Chartered Accountant and shall be open from inspection by the Council or any board or person authorised by it.
- 7. That the teaching and other staff shall be selected according to procedures, qualifications and experience prescribed by Council from time to time.
- 8. That the Management shall strictly follow any further conditions as may be specified by the Council from time to time.
- 9. In the event of non-compliance by the (name of Society/Trust/Mandal/College/Institution, etc.) with regard to guidelines, norms and conditions laid/ prescribed by the Council from time to time, the Council or a body or person authorised by it shall be free to take measures for withdrawal of its approval or recognition, without consideration of any related issues and that all liabilities arising out of such withdrawal would solely be that of the (Society/Institute/ College).
- 10. The (College/Institute) by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State Government for the Institute or for recurring expenditure, etc.

Place:

Date:

(Name of the authorised person giving undertaking alongwith his/her official position)

(SEAL)

- 1. The matter within brackets shall need to be filled up as relevant.
- 2. It should be ascertained that the stamp-paper and the undertaking are properly authenticated.

Model Constitution of the Governing Body of Private Technical Institutions

The Governing Body shall have atleast 11 members including the Chairman and the Member-Secretary. The Registered Society/Trust shall nominate 6 members including the Chairman and the Member-Secretary, and the remaining 5 members shall be nominated as indicated below:---

- 1. Chairman: to be nominated by the Registered Scciety/Trust.
- 2-5. Members to be nominated by the Registered Society/Trust.
- 6. Nominee of the All India Council for Technical Educational-Regional Officer (Ex-

- 7. An industrialist/technologist/educationist from the Region to be nominated by the concerned Regional Committee as nominee of the Council, out of the panel approved by the Chairman of the Council.
- 8. Nominee of the Affiliating Body/University/ State Board of Technical Education.
- 9. Nominee of the State Government-Director of Technical Education (Ex-Officio).
- 10. An industrialist/technologist/educationist from the Region nominated by the State Government.
- 11. Prinicipal/Director of the concerned technical Institution (as nominee of the Trust)—Member-Secretary.

ಎನ್ಎಸ್ಎ್ಸ್ಟ್ಫ್ಫ್ಫ್ಫ್ಫ್ The number of members can be increased equally by adding nominees of the registered Society and by adding an equal number of educationists from Region keeping in view the interest of the Technical Institution. The total number of members of Governing Body shall however, not exceed 21.

Appointment of Chairman of the Governing Body.-The Chairman of the Governing Body shall preferably be a technical person either an entrepreneur or industrialist or an educationist of repute interested in the development of technical education is a member of the parent Society/Trust and demonstrated an interest in promotion of education in particular.

INFORMATION ABOUT THE EXISTING DIPLOMA INSTITUTION

(Engineering/Technology, Pharmacy etc.)

1.0 GENERAL

- 1.1 Name and address:
 - (a) Name of the Institution:
 - (b) Postal addrdss: (with PIN code)
 - (c) Telegraphic address:
- 1.2 Name and designation of the Head of the Institution with residential & office telephone numbers with STD codes in bracket
- 1.3 Type of the Institution:

(specify one of the following)

Govt. (Central/State/UT)

- 1.4 In case of Private Institutions, full postal address of the Managing agency should be given alongwith telegraphic address, to phone Nos (with STD code in brooker).
- 1.5 Date of establishment of the institution (please attach a copy of relevant Government orders): 1.6 Give name of affiliating University/Board of Technical Education with full postal address. Also give the names and phose of the Secretary and Position o of the Secretary and Registrar or the equivalent officers.

2.0 A CADEMIC INFORMATION:

Programme Level/	Field/specialisation			
Diploma awarded		Full	3	1989
Diploma	Civil Engineering Electronic Engineering	Part-time Full	1.5	199 198
Post-Diplomas	Computer Application Referigeration & Air-Conditioning Personal Sectt. Practice	Part-time Full	1 2	197
Advanced-Diploma	Tool Engineering Industrial Electronics	Full Full	1.5	191

	OF INDIA : EXTRAORED in a for the la	teral adr
	THE GAZETTE OF	
90	resin courses, please give details of the	
	the made by lateral entry to certain the state of the sta	
2.8 11	THE GAZETTE OF INDIA: EXTIGATION of the entry qualifications for the la smissions are also made by lateral entry to certain courses, please give details of the entry qualifications for the la smissions are also made by lateral entry to certain courses, please give details of the entry qualifications for the la smissions are also made by lateral entry to certain courses, please give details of the entry qualifications for the la	
sic	Imissions are also made by lateral entry to certain entrants. Imissions are also made by lateral entry to certain entrants. In is, and the percentage of total seats reserved for lateral entrants. In a seat admissions as per the calender of the affiliating body.	

- 2.9 Date of the starting and stopping of all admissions as per the calender of the affiliating body.

sions, and the percentage of total solutions, and the starting and stopping of Details of examination results duri		Total Passed	Passed with distinction	Passed with 1st Class	Passed 2nd C
	No. appeared	_	distinction		
Type of students					
(a) Diploma					
Full-time					
Part-time				,	
(b) Post-Diploma				•	
Full-time					
Part-time					_
(c) Advanced Diploma					
Full-time					
Part-time					

-	tuning the DIS	eceding two academ	ic years (average)	: 	No. of day
2.11 Details of Institutional Working hours			Actual contact hours achieved per semester/	No. of days of vacation	spent for examination
No. of expected working days per semester/year	working days	Laure DOF	year		

2.12 Details of placement of pass-outs during the preceding two academic years (total of 2 years):

out during	the preceding two 2	cademic jours	 No. placed wit
2.12 Details of placement of pass-outs during	No. Passed	No. placed within 3 months	6 to 12 month
Courses			

3.0 TEACHING FACULTY INFORMATION:

3.0 TEACHING FACULT	of programmes:			n Position
3.1 Faculty strength for various levels Type of Faculty	Sanction d S Diploma Post- Diploma	Adv. Total	Diploma Post- Diploma	Adv. I Diploma
	Diploma		 ::	

Full-time

Part-time

Visiting

Any other

TH	HE GAZETTE	OF INDIA	:EXTRA	ORDINARY		[PART III-	-Sec.
3.6 Details of Faculty (name, qua	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Name Qualifi tions		Total	Date of appointment	Level of appointmenti (Lecturer, Sr. Lecturer) etc.	Present pay scale & date from which given	Basic pay as on date	Total emolu monts
1							
2 3 4							
5 3.7 Please state whether all the	existing families 1-	is been recrui	ited as per	procedure, exper	ience & qualif	ications pres	cribed
At - AICTE for Dolutachnics	r / Dinloma Program	imesi.					
3.8 Please state what percentage 3.9 Please give details of service	of teaching faculty r	nembers is bei	ing paid as p	er the AICTE pay	y scales for the oling for childi	ren, etc. give	n to fac
members.				in rouning, which	-0 - 2- - 2-2-	-	
.10 Retirement and premature-r			y mombers.				
I.0 COMPUTER ḤARDWARE	& SOFTWARE F	ACILITIES.			-		. 4
Please give details of the exis teaching staff).	ting facilities (aumb	er of terminal	ls, typs of ∞r.	nputers) and sta	A (lovel and ni	inter of staff	other t
5.0 LIBRARY FACILITIES		1					
5.1 Books			T . 137	of volumes acqu	ired Tet	al No. of vol	umes ii
Category	Total No. of titles during the past fi			of volumes acque past years		ary on date	
(a) Text Books (b) Reference books (c) Encyclopedia							
(d) Others					·		
5.2 Periodicāls:					1-1-1	ed to percent	
Particulars				No. of period	licals subscribe		
(a) Technical							
(b) Non-Technical(c) Others							
6.0 LABORATORIES							
Department	Nam	es of various I	Laboratories	Tc' tru	tal investment iments in the	on equipme, last 5-years.	nt and
1							
2 3							
4 5							
6.1 WORKSHOP							
Department	Nan	nes of various	Shors	To ins	otal investme truments in the	rit on equip e last 5-years.	ment a
1 2 3						_	

्रिमाम III-खण्ड 4]		,				
# <u> </u>			भारत का राजप	र्भः भसाधारण		
7.0 PLINTH ARE	A (SQM)					in the second
Type of Construction	Instructional Building	Administrative Building	Amenities	Hestels	P esider.ccs	Total Area
(a) RCC (b) Shed						
8.0 LAND AVAILA	ABILITY (SQM):	<u> </u>	·	•		
Academic and Ac	Iministration	Play Grounds	Hostels	Sta F O		
J				Staff Quarters	Others	Total
^g ′ 2 ≒ 1						
∰. 4						
<u>}</u>	•					
<u> </u>						
in and indicate if the	lear proof of land po and is available for th land area is in one p	lot or more.	•	Constituted with any (mer institution/2	ctivity. Please
9.0 CONSULTANCY	SPONSORED RES	SEARCH PROFESS	SIONAL DEVI	SLOPMENT ETA	THE INC. TER	
9.1 Give details of con- assignment, total e	sultancy assignments : arnings, etc.	and total earnings alo	ongwith names o	of client organization	ers and duration	E LAST 5-YEARS
9.2 Number of faculty	Sponsored till date fo	or Immen				
9.2 Number of faculty Please give names of	of the faculty designa	tion many series	cademic qualifi	cations, teaching s	skiils, etc.	
9.3 Number of faculty s	of the faculty, designa	ttend as of	alifications add	ed/type of skills in	proved, etc.	
9.3 Number of faculty s the total amount sp	ent for this purpose.	ittend conferences a	nd other profes	sional meetings, wi	thin and outside t	he country, and
9.4 Number of continue	the faculty, designati	on, name of the con	ference/meeting	s attended with pla	ce, cate etc.	
the total number of	participants.	ttion programmes in	cluding Commu	mity Polytechnic co	nducted by your	institution, and
lo o Francisco	the programme, date	and duration, numbe	er of participant	s, etc.		
23.0 THINKICIME						
0.1 Total Expenditure of Expenditure.	luring for the last 2 ac	ademic years (1990-9	1,1991-92 in c	ategory of Recurri	ng Expenditure an	d Non-Recurring
0.2 Sources of Financia	Support:					
Source			Recur	Ting Exp. N	Ion Day 1	
Ministry of HRD (D	irect receipt)				on-Recurring Ex	p. ◆
· State Government	- ·					
Other Central/State (Private Trust	Sovt. sources					
Donations .						
Student Fecs						
Internal revenue gene Others (please specif	ration					
	y) 					
b: Total						
3 State the total annual	for Contract					
3 State the total annual during	ice (including tuitlo	n, library, laboratory	, etc. but exclud	ing hostel fee and	food charges) at	
1990-01				,	micigos) char	bea per student

[PART 111-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY Amount lakhs of Rupees 04 .0.4 Additional Fund Requirement, if any: Particulars RECURRING (a) Salaries of teaching employees

- (b) Salaries of non-teaching employees staff
- (c) Scholarships
- (d) Expenditure for travel
- (c) Other recurring expenditure Total of Recurring:

NON-RECURRING

- (a) Additional building
- (b) Additional equipment
- (c) Others

10.5 Please explain how the additional funds (as estimated in 10.3) will be generated.

the addi	tional funds (as comme	
10.5 Please explain how the addi	CEIVED DURING 1990-91, 91-92 & 92-93: Itutions Annual Intake Year of	AICTF approval No. & date
11.0 AICTE APPROVALS REC	CEIVED DURING 1990-51, Manual Intake Year of	Statute
Name of the course(s)/Inst	itutions	•
1	•	
2		
3		is singular which is not approved
4	in ony programm	ne of other technical manne
5	rocer is running and/or managing any process	ne of other technical institution which is not approved
	oposa is a second	· i conducted.

12.0 Please state whether the proposer is running and/or managing any programme of other technica

- If so, please give the name of the programme/Institution, its address and the courses being conducted. 13.0 Whether the proposer has any court case in respect of violation of provisions of State Government or one or more provisions of the
- 14.0 Please describe briefly future plans for improvements in infrastructure/expansion in academic & other activities, if any Name and Signature of the Head of the institution

SEAL

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL **EDUCATION** FORM IV

[See regulation 5(2)(d)]

APPLICATION

FOR ADDITIONAL DEGREE COURSE(S)/EN-HANCEMENT IN INTAKE(S) IN EXISTING COURSE(S)

IN

ARCHITEC-ENGINEERING/TECHNOLOGY. TURE, PHARMACY, APPLIED ARTS, ETC. FOR AICTE APPROVAL

INSTRUCTION FOR SUBMISSION OF PROPO-SALS FOR ADDITIONAL COURSE(S) ENHAN-CEMENT IN INTAKE(S) IN EXISTING COURSE(S) IN ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITEC-

- (b) Incomplete proposals and those not submitted in the prescribed format shall not be processed.
- (c) The proposals which are received late but are in order shall be processed for the subsequent acade
 - (d) Proposals must be submitted 'A-4' size only and larger sized documents should be reduced to Asize.
 - (e) Proposals are likely to be rejected in the event that the informations and statement given by the applicant are found to be incorrect.
 - 2. (a) Requisite area of length for the existing and additional courses must be in possession for use the Institution either by a clear title or registered deed as per rules of the State authorities in the name of the applicant.
 - (b) If the requisite area of land is not in possession of the applicant, the proposal shall not be accepted.
 - 3. The applicant should create an endowment sug

annual recurring expenditure for existing and additional course(s)/increase in intakes or as prescribed by the State Government/UT or Rs. 10 Lakhs, whichever is less.

- 4. (a) At the time of application, the applicant should have funds to the tune of 50% of the total estimated cost of provision of additional infrastructural and instructional facilities in the name Institution in a savings of fixed deposit account(s) in a scheduled bank for a minimum period of six months.
- (b) The toal assets of the applicant are not acceptable as proof of financial viability of the proposal.
- (c) Promissory notes are not accepted as evidence of availability of funds in hand for starting the proposed course(s)/increase in intake(s).
- 5. Experience has shown that Institution located in remote areas has inherent difficult of attracting teaching faculty and technical supporting staff. The applicant should make available convincing evidence of staff availability and mobilization.

List of Documents to be attached

nt . Tili-

_nd

jecd

`of⊸

10 -

sion ;

=

und

Applicant should ensure to attach the following documents.—(a) A copy of registration document of the Society/Trust etc. alongwith composition of Society/Trust etc.

- (b) A copy of the relevant Government orders per meeting starting of the Institution.
- (c) A copy of the letter of the affiliating body alongwith affiliation of the Institute/existing course(s).
 - (d) A copy each of all the AICTE approval letters.
- (e) Copies of the curriculum and syllabus for the existing course(s) alongwith the teaching and examination schemes.
 - (f) Letters from the competent authorities in support of clear proof of the following:
 - (i) A copy of map showing layout of existing and proposed building(s) on plot of land and floor plans of each building alongwith photographs.
 - (ii) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for the existing buildings for institutional purposes.
 - (iii) Completion/possession certificate of the buildings.
 - (iv) Clearance of Urban/Land Development Authority.
- (g) A copy of the land registration papers/registered lease deed (as applicable).
- (h) A copy of land use certificate from the competent authority allowing use of the land for institutional purposes.
- (i) A certificate from the executive authority of the applicant that the land and facilities are not being

- (j) A sketch showing area of cach plot and centre to centre distance between plots, if the land area is in more than one plot
- (k) A copy of city road map showing location of the institution.
- (1) Copies of the curriculum and syllabus of the proposed course(s) alongwith the teaching and examination schemes.
- (m) A copy of the recommendatory/forwarding letter of State Govt. for the additional course(s)/increase in intake(s).
- (n) A copy of the letter of willingness of the affiliating body in respect of proposed course(s)/increase in intake(s).
- (o) Photocopies of the corpus fund/endowment fund fixed deposit receipts.
- (p) Photocopies of latest bank statements, fixed deposit receipts etc. regarding availability of funds in hand.
- (q) Photocopies of duly audited statements of income/expenditure, balance sheet and audited reports of the Institute for the preceding 3 years.
- (r) Authenticated documents to support mobilisation of additional funds.
- (s) Authenticated documents justifying projected manpowered demand and potential for self-employment of the proposed disciplines.
- (t) Approved floor plans of proposed building(s) (i.e. civil drawings) from the concerned authority as per local bye-laws for construction of building(s).
- (u) Authenticated documents to support claim of meeting non-recurring expenditure.
- (v) Authenticated documents to support claim of meeting annual recurring expenditure.
- (w) An undertaking for compliance with the general conditions of the AICTE on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached
- (x) Minutes of the last three meetings of the Body/ Council/Committee responsible for management of the Institute.

ANNEXURE—I

(UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER SHOULD BE SUBMITTED REGISTERED WITH THE SUB-REGISTER OR ANY OTHER COMPETENT AUTHORITY)

I/We, the (name of the Trustee/Chairman/Principal Director) of the (name of the College Institution Mandal/Trust/Society, etc.) hereby undertake to comply with the following in connection with my/our application for starting/establishment/intake capacity of seats of (name of Courses College) from the

- 1. That the Management including the Governing Body of the (Institute/College) shall be constituted and the Chairman of the Body/Council shell be appointed as per the guidelines of Council (Annexure-II).
- 2. That the management shall provide funds for investment in developed land and in providing the related infrastructural, instructional and other facilities as per Council's norms and standards laid down by the Council from time to time and for meeting the recurring expenditure.
- 3. That the courses or programmes shall be conducted as per the assessed technical manpower demands.
- 4. (a) That the admissions shall be made according to the regulation and directory of the Council for such admission in the respective technical institutions.
- (b) That the admissions to the courses shall be made only after the minimum requisite/prescribed facilities are created and the affiliating University/State Board has given permission to start the course.
- (c) That the Institution shall not cause or allow either closure of the Institution or discontinuation of the course(s) or start any new course(s) or alter the intake capacity of seats without the prior concurrence of the Council.
- 5. That the tuition and other fees shall be charged as prescribed within the overall criteria prescribed by the Council from time to time. No capitation fee shall charged from the students/guardians of the students in any form.
- 6. That the accounts of the Institution shall be audited annually by a Chartered Accountant and shall be open from inspection by the Council or any board or person authorised by ir.
- 7. That the teaching and other staff shall be selected according to procedures, qualifications and experience prescribed by Council from time to time.
- 8. That the Management shall strictly follow any further conditions as may be specified by the Council from time to time.
- 9. In the event of non-compliance by the (name of Society/Trust/Mandal/College/Institution etc.) with regard to guidelines, norms and conditions laid/prescribed by the Council from time to time, the Council or a body or person authorised by it shall be free to take measures for withdrawal of its approval or recognition, without consideration of any related issues and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the (Society/Institute/College).
- 10. The (College/Institute) by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State

Flace:

Date:

(Name of the authorised person giving undertaking alongwith his/her official position)

(SEAL)

- 1. The matter within brackets shall need to be filled up as relevant.
- 2. It should be ascertained that the stamp-paper and the undertaking are properly authenticated.

Model Constitution of the Governing Body of Private Technical Institutions

The Governing Body shall have atleast 11 members including the Chairman and the Member-Secretary. The Registered Society/Trust shall nominate 6 members including the Chairman and the Member-Secretary, and the remaining 5 members shall be nominated as indicated below:—

- Chairman: to be nominated by the Registered, Society/Trust.
- 2—5. Member to be nominated by the Registered Society/Trust.
 - Nominee of the All India Council for Technical Education-Regional Officer (Ex>Officio).
 - 7. An industrialist/technologist/educationist from the Region to be nominated by the concerned Regional Committee as nominee of the Council, out of the panel approved by the Chairman of the Council.
 - 8. Nominee of the Affiliating Body/University/
 State Board of Technical Education.
 - 9. Nominee of the State Government-Director of Technical Education (ex-Officio).
 - An industrialist/technologist/educationist from the Region nominated by the State Government.
 - 11. Principal/Director of the concerned technical Institution (as nominee of the Society/Trust)—Member-Secretary.

The number of members can be increased equally by adding nominees of the registered Society and by adding an equal number of educationists from the Region keeping in vew the interest of the Technical Institution. The total number of members of a Governing Body shall however, not exceed 21.

Appointment of Chairman of the Governing Body

The Chairman of the Governing Body shall preferably be a technical person either an entrepreneur or an industrialist or an educationist of repute who is interested in the development of technical education, is a member of the parent Society/Trust and has

∵on √ith

nper

rs y.

oun-

<u>∶ic</u>al

1.0 GENERAL INFORMATION

- 1.1 Name and address of the Institution alongwith telegraphic address, FAX and phone numbers (with STD-Code)
- 1.2 Name and designation of the Head of the Institution with residential & office telephone numbers (with STD codes in brackets);
- 1.3 Type of the Institution: (specify one of the following)

Private No-grant/Private Grant-in-aid, Govt. (Central/State/UT)/Other (specify)

- 1.4 In case of a Private Institution, full postal address of the Trust/Society, etc. and name of the Chairman alongwith telegraphic address, fax and phone Nos. (with STD code in bracket);
- 1.5 Date of establishment of the Institution (please attach a copy of the relevant Government orders):
- 1.6 Name of affiliating University/Body with full postal address. Also give the names and phone Nos. of the Vice-Chancellor and Registrar or the equivalent officers.

20 ACADEMIC INFORMATION:

2.1 Academic Programmes being conducted:

Programme Level Degree awarded	1 - :	Field/specialisation	Full/part- time	Duration (yrs)	Sanctioned intake	Year of starting
Under-graduate B. Tech B.E. B. Arch B. Pharm Post-Graduate		Civil Engineering Mechanical Engneering Architecture Pharmacy	Full Part-time Full Full	4 4 5 4	60 30 60 60	1972 1980 1989 1985
M. Tech M.E. Others		Machine Design Thermal Engineering	Full Part-time	1.5	10	1982 1984

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

- 2.2 Whether the Institution and the course(s) conducted are approved by the AICTE?
 - If yes, attach a copy of all AICTE approval letters.
 - If any course(s) being conducted is/are not AICTE approved' please state reason(s) for the same.

.3 Admissions to the existing courses:

5 GI/94—13

Name of course	Entry Qualification	Method of Admission
1 2 3 4 5		

^{*}Please state whether by Entrance Test or based on marks obtained in the qualifying examination.

If admissions is based on marks obtained in the qualifying examination (such as 10+2 etc.), please give full details for all admissions regarding the minimum percent of aggregate marks and the minimum average % marks prescribed in the subjects of Physics, Chemistry and Mathematics.

Others
(specify)
(c) Doctoral or
equivalent

	year student enrolment during the	precedio 2 full academic	vears (total of 2 years):
2 8 Details of Second 3	ear student enforment auting the	preceding 2 full deaders.	

Type of	Total Total sanc- admis-	Total admissions of		Total	Total drop-out from	No.
Students	tioned sions SC/	Rural Out Girls & of Tribal State	Late- ral Entr- ants		SC/ Rural Out Girls ST & of Tribal State	

(a) Undergraduate
Full-time
Part-time
Others
(specify)
(b) Post-graduate
Full-time
Part-time
Other
(specify)
(c) Doctoral
or equivalent

(d) Others

- 2.9 If admissions are also made by lateral entry to certain courses, please give details of the entry qualification in the lateral admission, the percentage of total seats reserved for lateral entrants and the minimum entry qualification for lateral entrants.
- 2.10 Dates of the starting and stopping of all admissions as per the calender of the affiliating body.
- 2.11 Details of final examination results during the preceding two academic years (total of 2 years)

Type of students	No. appeared	Total Passed	Passed with distinction	Passed with 1st Class	Passed with 2nd Class	

- (a) Under-graduate
 Full-time
 Part-time
 Others (specify)
- (b) Post-graduate
 Full-time
 Part-time
 Others (specify)
- (c) Doctoral or equivalent
- (d) Others

2.12 Details of Institutional Working hours etc. during the preceding two academic years (average):

	semester/year	per semester/ year	semester/year	year		
•	No. of expected working days per	working days	No. of expected Instructional hours per	hours achieved per semester/	of vacation	spent for examination

Average length of service in the institut**i**on

	GAZETTE			•	********		<i>~</i> `	nı			v
		Δr	TATEL		HKIR	А		K I J	,,,,,	_	
71111	7 - 7 7 1 1 1 1		INTHA			4 2	\sim				 _

[PART III-SEC. 4 100 2.13 Details of placement of pass-outs during the preceding two academic years (total of 2 years). No. placed within No. placed within No. placed Courses No. Passed 6 to 12 months. 3 to 6 months within 3 months 1 2 3 4 5 3.0 TEACHING FACULTY INFORMATION: 3.1 Faculty strength for various levels of programmes: Nos. in Position Sanctioned Strength Type of Faculty Others Total PGUG Total Others PG UG Full-time Part-time Visiting 3.2 Give numbers of the teaching faculty in position by category during the preceding 2 years: Numbers required as on date as per Nos. in position on Faculty Cadre State/University AICTE norm January 1, 199 January 1, 199 norms Principal > Professor Associate Professor Reader Asst. Professor Senior Lecturer Lecturer Others 3.3 Details of emoluments and age: Assistant Senior Lecturer Others Reader Associate Professor **Particulars** Professor Lecturer Professor No. of faculty Average age (years) Highest emoluments Average emoluments Lowest emoluments Lowest length of service in the institution Highest length of service in the institution

[PART III—SEC.

- 102 3.7 Please state whether all the existing faculty has been recruited as per procedure, experience and qualification prescribed by the AICTE for engineering colleges.
- 3.8 Please state what percentage of teaching faculty members is being paid as per the AICTE pay scales for the last 2 academic years.
- 3.9 Please give details of service benefits such as LTC, medical reimbursement, housing, schooling for children etc. given to faculty members.
- 3.10 Retirement and premature-retirement benefits given to faculty members.
- -4.0 COMPUTER HARDWARE & SOFTWARE FACILITIES.

Please give details of the existing facilities (number of terminals, type of computers) and staff (level and nu ber of staff other than teaching staff).

5.0 LIBRARY FACILITIES.

1 Books Category	Total No. of titles acquired during the the past 3 years.	Total No. of volumes acquired during the past year	Total No. of volumes in the library on date
(a) Text books (b) Reference books (c) Encyclopedia			(
(d) Others .2 Periodicals:		No. of periodicals subscrib	ed to presently
Particulars (a) Supporting Departmen — Indian — Foreign			
(b) Engineering DepartmeIndianForeign	nts:		
(c) Other Departments — Indian — Foreign	I		

6.0 LABORATORIES

6.0 LABORATORIES			7
Department	Names of various Laboratories for each Department	Total investment on eq and instruments in the years.	uipmen : las
Mechanical Engg.	Mechanics & Kinematics Fluid Mechanics/Machinery	Rs 02.00 lakhs Rs. 25.00 lakhs	1
Civil Engg.	Surveying Environmental Engg.	Rs. 20.00 lakhs Rs. 05.00 lakhs	Landar.
			L'anna
			Fei:

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

ment costing Rs 5000/- or more at current prices for each laboratory.

6 1	WORKSHOP
0.1	MOKIMITOI

Department	Names of various Shops	Total investment on equipment and instruments in the last 3 years.		
Mechanical Engg.	Machine shops Fitting shops	Rs. 50.00 lakhs Rs. 03.00 lakhs		
······································				
19 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		··· Last the state of the state		

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

Please attach a list of equipment costing Rs. 5,000/- or more at current prices for each shop.

7.0 Please attach a copy of the curriculum followed by the Institution alongwith the teaching scheme and the examination scheme.

8.0 PLINTH AREA (SQM):

ri.						
Type of	Instructional	Administrative	Amenities	Hostels	Residences	Total
Construction	Building	Building				Area
2						

- (a) RCC
- (b) Shed

Give a layout of buildings on the plot of land available with the Institution.

Note: Please attach clear proof of the following:

- (a) Use of building for institutional purposes.
- (b) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for construction of buildings.
- (c) Completion/possession certificate of the buildings.
- (d) Clearance of Urban Development Authority.

9.0 LAND AVAILABILITY (SQM):

	•				
Academic and Administration	Play Grounds	Hostels	Staff Quarters	Others	Total
of					·

Please attached very clear proof of land possession in the name of the Institution/Trust, land use clearance and the type of guarantee that the indicated land is available for the use of the Institution only and is not shared with land other institution/acitivity. Please also indicate if the land area is in one plot or more.

10.0 STUDENT DEVELOPMENT, ETHICS AND PROFESSIONAL OUTLAY:

Describe the opportunities available to students in the Department for participation and membership in reelevant technical/professional societies. How are these provided by the Department/College?

- 11.0 CONSULTANCY, SPONSORED RESEARCH, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, ETC. DURING THE LAST 3-YEARS.
- 11.1 Give details of consultancy assignments and total earnings alongwith names of clinte organizations and duration and title of each assignment, total earnings etc.
- 11.2 Give details of sponsored research projects and total earnings alongwith names of the organizations sponsoring the project, name of the project and total value.
- 11.3 Number of faculty sponsored till date for improvement of academic qualifications, teaching skills, etc.

Please give names of the faculty, designation, name of the qualifications added/type of skills improved etc.

Recurring Exp.

Non-Recurring Exp.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

11.4 Number of faculty sponsored till date to attend conferences and other professional meetings, within and outside the country, and the total amount spent for this purpose.

Please give name of the faculty, designation, name of the conference/meetings attended with place, date etc.

11.5 Number of continuing engineering education programmes conducted by your institution, and the total number of participants.

Please give name of the programme, date and duration, number of participants, etc.

- 12.0 FINANCIAL
- 12.1 Total Expenditure during the last 2 academic years in category of Recurring Expenditure and Non-Recurring Expenditure.

12.2 Sources of Financial Support:

Source
Ministry of HRD (Direct receipt)

State Government

UGC

Other Central/State Govt. sources

Private Trust

Donations

Students Fees

Internal revenue generation

Others (please specify)

Total

12.3 State the total annual fee (including tuition, library, laboratory etc. but excluding hostel fee and feed charges) charged per student during the preceding 2 years;

13.0 AICTE APPROVALS RECEIVED DURING THE LAST 2-YEARS:

Name of the course(s)/Institutions Annual Intake Year of Starting AICTE approval No. & c

14.0 INFORMATION ON THE PROPOSED COURSE'S /ADDITIONAL INTAKES:

14.1 Academic programmes proposed to be introduced:

		,		
Course tilet	Duration (Yrs)	Intake	Proposed year of commencement	Entry level
Electronics Engg.	4	60	1993-94	12+
Computer Science & Engg.	4	60	1993-94	12+
Mechanical Engg.	4	60	1993-94	12±

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

14.2 Please attach copies of the curriculum—and syllabi to be followed by the Institution for each of the proposed courses alongwith the teaching and examination schemes.

14.3 Academic programmes in which increase in intakes is proposed:

Course titles	Sanctioned intake	Propposed increase in intake	Duration (yrs)	· Year from which · · · increase proposed	Entry level
Electronics &	45	15	4	1993-94	12+
Common. Engg. Mechanical	60	15	4	1993-94	12+
Engg. Civil Engg.	30	15	4	1993-94	12+

105

- 15.0 Has the proposal been supported by the concerned State Government of If yes, please attach a copy of the State-Govt.'s letter thereof.
- 16.0 Has the willingness of the affiliating body (concerned University to affiliate the proposed course(s) subject to AICTE approval been obtained? If yes, please attach a copy of the willingness letter.

17.0 FINANCES:

- 17.1 Whether a corpus fund/endowment funds has been created and mortgaged with the State Government? If so, attach proof thereof.
- 17.2 Give details of funds available in hand for meeting the recruring and non-recurring expenditures for introduction of course(s) /increase in intakes, duly supported with copies of latest bank statements, FDRs, etc. Promissory notes are not acceptable.
- 17.3 Additional Fund Requirement for the proposed additional courses/intakes, if any:

Particulars

京では、一方の一人のかいといいでするないまではまるのでは、大きないないでは、

Amount, Rupees

RECURRING

- (a) Salaries of teaching employees
- (b) Salaries of non-teachning employees staff
- (c) Scholarships
- (d) Expenditure for travel
- (e) Other recurring expenditure Total of Recurring:

NON-RECURRING

- (a) Additional building
- (b) Additional equipment
- (c) Others

Total of Non-Recurring

17.4 Please indicate how the additional funds as in 17.3 would be mobilised over the next 3 to 4 years. Please attach authenticated documents to support your statement.

验18.0 JUSTIFICATION

18.1 Are one or more of the proposed courses*/courses in which increase in intakes proposed, already being conducted in one or more intitutions in the District in which the college is located? If so, please give name of the institutions, the course(s) being conducted alongwith the respective sanctioned annual intakes.

& Institution

Course

Sanctioned intake

Note: *Please strike out whichever is not applicable.

\$18.2 Please give for the previous academic year total seats available within the State in each of the proposed course (s)*/course(s) in which incease in intakes are proposed:

Title of the proposed additional course(s) course in which additional intake desired

Total Intake in the State

*Note: Please strike out which ever is not applicable.

11.4 Number of faculty sponsored till date to attend conferences and other professional meetings, within and outside the country, and the total amount spent for this purpose.

Please give name of the faculty, designation, name of the conference/meetings attended with place, date etc.

11.5 Number of continuing engineering education programmes conducted by your institution, and the total number of participants.

Please give name of the programme, date and duration, number of participants, etc.

- 12.1 Total Expenditure during the last 2 academic years in category of Recurring Expenditure and Non-Recurring Expenditure.
- 12.2 Sources of Financial Support:

.2 Sources of Financial Support:	t: Recurring Exp. No		
Source	- Accounting 2-1		
Ministry of HRD (Direct receipt) State Government		Ţ	
TICC	,	,	
Other Central/State Govt. scurces		्रा	
Private Trust			
Donations	·		
Students Fees)	
Internal revenue generation			
Others (please specify)	and the second s		

12.3 State the total annual fee (including tuition, library, laboratory etc. but excluding hestel fee and feed charges) charged per student during the preceding 2 years;

13.0 AICTE APPROVALS RECEIVED DURING THE LAST 2-YEARS:

ADDROVATS RECEIVED I	OURING THE EAST 2 12	
13.0 AICTE APPROVALS RECEIVED I	and the second s	LICAT DESCRIPTION & da
	Y. Cabeting	AICTE approval No. & da
(a) Mark tutions	Annual Intake Year of Starting	
Name of the course(s)/Institutions		
Name of the course(**	L DDITION	IAI INTAKES:

14.0 INFORMATION ON THE PROPOSED COURSE'S /ADDITIONAL INTAKES:

to be introduced: Duration	Intake	Proposed year of commencement,	Entry leve
(Yrs)	<u> </u>	1993-94	12+
4	60	1,7,5	12+ 12+
-	(Yrs) 4 4 4	(Yrs) 60	(Yrs) commencement, 4 60 1993-94 4 60 1993-94

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

- 14.2 Please attach copies of the curriculum and syllabi to be followed by the Institution for each of the proposed courses alongwith the teaching and examination schemes. \(\cup\)
- 14.3 Academic programmes in which increase in intakes is proposed:

Sanctioned intake	Propposed increase in	Duration (yrs)	incr	ease proposed	Entry leve	
_	intake			1903-94	12+	
45	15	4		177.77		
60	15	4	•	1993-94	12+	
1.5		4	1993-94		12+	
	Sanctioned intake	Sanctioned Propposed intake increase in intake 45 15 60 15	intake increase in (yrs) intake 45 15 4 60 15 4	Sanctioned Propposed Dutation intake increase in (yrs) increase in (yrs) increase in (https://doi.org/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/	Sanctioned Propposed Dutation increase proposed intake (yrs) increase proposed increase in (yrs) increase proposed intake 1993-94 45 15 4 1993-94	

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

- 15.0 Has the proposal been supported by the concerned State Government TI yes, please attach a copy of the State-Govt.'s letter thereof.
- 16.0 Has the willingness of the affiliating body (concerned University to affiliate the proposed course(s) subject to AICTE approval been obtained? If yes, please attach a copy of the willingness letter.

17.0 FINANCES:

- 17.1 Whether a corpus fund/endowment funds has been created and mortgaged with the State Government? If so, attach proof thereof.
- 17.2 Give details of funds available in hand for meeting the recruring and non-recurring expenditures for introduction of course(s) /increase in intakes, duly supported with copies of latest bank statements, FDRs, etc. Promissory notes are not acceptable.
- 17.3 Additional Fund Requirement for the proposed additional courses/intakes, if any:

Particulars

ng

Amount, Rupees

RECURRING

- (a) Salaries of teaching employees
- (b) Salaries of non-teachning employees staff
- (c) Scholarships
- (d) Expenditure for travel
- (e) Other recurring expenditure Total of Recurring:

NON-RECURRING

- (a) Additional building
- (b) Additional equipment
- (c) Others

Total of Non-Recurring

17.4 Please indicate how the additional funds as in 17.3 would be mobilised over the next 3 to 4 years. Please attach authenticated documents to support your statement.

₹18.0 JUSTIFICATION

18.1 Are one or more of the proposed courses*/courses in which increase in intakes proposed, already being conducted in one or more intitutions in the District in which the college is located? If so, please give name of the institutions, the course(s) being conducted along with the respective sanctioned annual intakes.

a Institution

Course

Sanctioned intake

Note: *Please strike out whichever is not applicable.

\$18.2 Please give for the previous academic year total seats available within the State in each of the proposed course (s)*/course(s) in which incease in intakes are proposed:

Title of the proposed additional course(s)/course in which additional intake desired

Total Intake in the State

*Note: Please strike out which ever is not applicable.

posed.

665 GI/94---14

Class rooms Tutorial rooms Drawing halls Laboratories Workshops

increase in

intake

increase in

intake

increase in

intake

increase in

intake

increase

intike

111

in

increase

intake

increase in

intake

increase in

intake

19.3 Please indicate y	ear-wise estimates of	expenditure on	construction of ad	lditional buildings	as at 19.2
Space title	E	xpenditure for co	onstruction of addi	tional space areas	during the
**************************************	Period prior to Commencement	•	Second year of the course(s)/	Third year of the course (s)/	Fourth year of the cousre(s)/

increase in

intake

of course(s)/

increase in

intake

Class rooms Tutorial rooms Drawing halls Laboratories Workshops

Space title are only example. For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

19.4 Laboratories: Please give year-wise action plan of establishment (i.e. equipping and commencing the use of the laboratories) of various laboratories alongwith cost estimates for procurement of equipments, instruments, fixtures and fittings, furnitures etc. for introduction of additional course(s)/proposed increase in intakes in existing course(s):

Name of Laboratory	Expendit	ure for establishin	nent of various labo	oratories during t	he
	Period prior to Commencement of course(s)/ in- crease in intake	the course(s)/ increase in	Second year of the course(s)/ increase in intake	third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

For details, please consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s).

19.5 Workshops: Please give year-wise action plan of establishment of additional workshops. If any, alongwith cost estimates for procurement of equipments, tools, machinery, furniture, fixtures and fittings etc., for introduction of additional course(s)/proposed increase in intakes in existing course(s):

Ż.	Name of Workshop	Expe	enditure for establis	shments of variou	s Workshops durin	g the
The second of		Period prior to Commencement of course(s)/ in crease in intake	the course(s)/ increase in intake	the course(s)/		Fourth year of the course(s)/ increase in intake

Facilities		Expendit	liture for establishment of various Computer facilities during the					
		Period prior to Commencement of course(s); increare in intake	First year of the course(s),' increase in intake intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s) increate in intake	Fourth year of the course(s), increase in intake		
·								
19.7 Librar	y: Please gi	ve vear-wise action	nd standards and plan for procurems to be subscribed (ent of additional st	ock of books (Te:	xt books, reference		
Item		Expend	iture for procurem	ent of Libarary boo	ks, periodicals du	iring the		
		Period prior to Commencement of course(s); increase in intake	First year of the Course(s), increase in intake	Second year of the course(s); increase in intake	Third year of the course(s); increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake		
Text books Reference b Journals	ooks			.				
For de	erails, please	consult the norms	and standards and	the detailed curri	culum of the cour	150(5).		
10.0 5 1.	ing faculty; sor, Senior I	Disco give action	plan for recruitm). Kindly also ind	ent of additional	teaching faculty	(Professor, Assit.		
Faculty cadre	No. already	Type of faculty		No. to be recrui	ted during the			
	available	full-time Perio visiting) to Coment cours	e(s), intake	rse(s) the course				

=)/

19.9 Technical Supporting and other Staff: Please give annual action plan of recruitment of additional technical supporting and other staff like Workshop Instructor, Forman Instructor, Lab Asstt., Librarian, Workshop Attendant, Library Attd. etc. Kindly also indicate number of each category of staff, if already, available.

Frantis		Type of		No. to be reci	ruited during the	
Faculty cadre	already	faculty (part-time/ full-time/	to Commence-	the course(s)/	Second year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s): increase in intake
			increase in intake			

For details, please consult the concerned norms and standards of the AICTE.

9710 Details of additional teaching faculty, if any already available.

9F10	Details of a Qualifications	Total	Experience	Total teaching experience	Date of appointment	Level of appointment+	Present pay scale & date from which given	Basic pay as on date	Total emolu- ments	
	*									_

*Lecturer, Sr. Lecturer, Asstt. Professor, Professor, Principal

List the year-wise major equipments to be provided in various laboratries/workshops alongwith brief specifications in the format given below for introduction of course(s)/increase in intake in existing course(s).

		<u> </u>			ha provid	lad.
boratory/Workshop	Name of Equipment	Brief Specification	(Quantity to	be provid	
			1	II	Ш	IV
			yr_	yr	λι	yr
						

Please state whether a regular Municipal supply of drinking water and water required for labs/workshop etc. is available. If not, please explain the alternate arrangements.

Please state whether adequate and regular electricity supply is/would be available and attach supportive documents.

What shall be the stand by arrangements in case of shut downs/break downs.

Technical Institutions run/managed by the Trust/Society.

· · • · • · · · · · · · · · · · · · ·			_
ris.		Courses conducted	Whether AICTE approved or not
of Institution	City and State of Location	Contract conducted	
re of furtificing			

[PART III—SEC. 4"

exis.

tion

- 23.0 Whether the proposer has any court case v/s the State Government or the AICTE? If yes, please give brief details. 110
- 24.0 Please attach an undertaking on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached.

25.0 Certified that:

- (a) All the physical deficiencies stated in the last approval letter have been removed.
- (b) The Governing Body has been constituted as per the AICTE laid down guidlines.
- (c) The AICTE scales of pay have been granted to the teaching faculty and other starf.
- (d) The admissions are made on merit and as per AICTE admission guidelines and no capitation fee or donation of any kind is
- (e) The teaching faculty and staff have been recruited as per qualifications, experience liad down by the AICTE.
- (f) The tuition and other fee are charged within the overall criteria prescribed by the AICTE .
- (g) The reservations are provided for staff and students as per policy of the State Govt.
- (h) The accounts of the Institute are audited by the Chartered Accountant.
- (i) No new course has been stated (since the last approval by AICTE) without the approval of the AICTE.
- (j) The intakes in any of the AICTE approved courses has not been increased beyond the approved intake.

Name and signature of the Chairperson/Secretary of the Trust/Society, etc. Name and Signature of the Head of the Institution

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL **EDUCATION**

i ORM V

[See regulation 5(2)(e)]

APPLICATION

FOR ADDITIONAL DIPLOMA COURSE(S) AND ENHANCEMENT IN INTAKE(S) IN EXISTING COURSE(S)

IN

ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITECURE, PHARMACY, APPLIED ARTS, ETC FOR AICTE APPROVAL

INSTRUCTION FOR SUBMISSION OF PROPO-SALS FOR ADDITIONAL COURSE(S)/ENHANCE-MENT IN INTAKE(S) IN EXISTING COURSE(S) IN ENGINEERING/TECHNOLOGY, ARCHITEC-TURE, PHARMACY, APPLIED ARTS ETC.

- 1. (a) Seven copies of the application must be submitted in the prescribed Form to the Bureau (RC), AICTE, New Delhi by 31st December.
- (b) Incomplete proposals and those not submitted in the prescribed format shall not be processed.
- (c) The proposals which are received late but are in order shall be processed for the subsequent academic year.
- (d) Proposals must be submitted 'A-4' size only and larger sized documents should be reduced to 'A-4' size.
- (e) Proposals are likely to it ejected in the event that the informations and statement given by the applicant are found to be incorrect. the for the existing and

- the Institution either by a clear title or registered de as per rules of the State authories in the name of applicant.
- (b) If the requisite area of land is not in possessign of the applicant, the proposal shall not be accepted.
- 3. The applicant should create an endowment fur jointly in the name of the institution and the concern app State authority to the tune of 30% of the peak annual recurring expenditure for existing and addition course(s)/increase in intakes or as prescribed by pp State Government/UT or Rs. 10 Lakhs, whichever less.
- 4. (a) At the time of application, the application should have funds to the tune of 50% of the to estimated cost of provision of additional infrastruction and instructional facilities in the name Institution savings of fixed deposit account(s) in a scheduled ba for a minimum period of six months.
- (b) The total assets of the applicant are not acce able as proof of financial viability of the proposal
- (c) Promissory notes are not accepted as evidence availability of funds in hand for starting the prope course(s)/increase in intake(s).
- 5. Experience has shown that Institution located remote areas has inherent difficulty of attracting test ing faculty and technical supporting staff. The ap cant should make available convincing evidence staff availability and mobilization.

List of Documents to be attached

Applicant should ensure to attach the follow documents.—(a) A copy of registration document the Society/Trust etc. alongwith composition Society/Trust etc.

(b) A copy of the relevant Government order arting of the Institution.

- (c) A copy of the letter of the affiliating body alongwith affiliation of the Institute/existing course(s).
- (d) A copy each of all the AICTE approval letters.
- (e) Copies of the curriculum and syllabus of the existing course(s) alongwith the teaching and examination schemes.
- (f) Letters from the competent authorities in support of clear proof of the following:
 - (i) A copy of map showing layout of existing and proposed building(s) on plot of land and floor plans of each building alongwith photographs.
 - (ii) Approved plans from the concerned authority as per local bye-Laws for the existing buildings for institutional purposes.
 - (iii) Completion/possession certificate of the buildings.
 - (iv) Clearance of Urban/Land Development Authority.
- (g) A copy of the land registration papers/registeressited lease deed (as applicable).
- tests (h) A copy of land use certificate from the compet un ent authority allowing use of the land for institutionceme al purposes.
- ai and (i) A certificate from the executive authority of the by happlicant that the land and facilities are not being ever shared with any other institution/activity.
- (j) A sketch showing area of each plot and centre oplica o centre distance between plots, if the land area is in to more than one plot.
- or in (k) A copy of city road map showing location of the d bar astitution.
- (l) Copies of the curriculum and syllabus of the acceptoposed course(s) alongwith the teaching and exami-osal.
- (m) A copy of the recommendatory/forwarding dence etters of State Govt. for the additional course(s) in-proportease in intake(s).
- (n) A copy of the letter of willingness of the affilicated ating body in respect of proposed course(s)/increase ng teach intake(s).
 - (o) Photocopies of the corpus fund/endowment und fixed deposit receipts.
 - (p) Photocopies of latest bank statements, fixed eposit receipts etc. regarding availability of funds in
- ition (q) Photocopies of duly audited statements of inome/expenditure, balance sheet and audited reports the Institute for the preceding 3 years.
 - Authenticated documents to support mobilisaon of additional funds.

- projected (s) Authenticated documents justifying manpower demand and potential for self-employment of the proposed disciplines.
- (t) Approved floor plans of proposed building(s) i.e. civil drawing(s) from the concerned authority as per local bye-laws for construction of building(s).
- (u) Authenticated documents to support claim of meeting non-recurring expenditure.
- (v) Authenticated documents to support claim of meeting annual recurring expenditure.
- (w) An undertaking for compliance with the general conditions of the AICTE on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attach-
- (x) Minutes of the last three meetings of the Body/ Council/Committee responsible for management of the

ANNEXURE-I

(UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER SHOULD BE SUBMITTED REGISTERED WITH THE SUB-REGISTRAR OR ANY OTHER COMPETENT AUTHORITY)

I/We, the (name of the Trustee/Chairman/Principal/Director of the (name of the College/Institution/ Mandal Trust Society, etc.) hereby undertake to comply with the following in connection with my/our application for starting/establishment/intake capacity of seats of (name of Courses College) from the session+

- 1. That the Management including the Governing Body of the (institute/College) shall be constituted and the Chairman of the Body/Council shall be appointed as per the guidelines of Council (Annexure-II).
- 2. That the management shall provide funds for investment in developed land and in providing the related infractructural, instructional and other facilities as per Council's norms and standards laid down by the Council from time to time and for meeting the recurring expenditure.
- 3. That the courses or programmes shall be conducted as per the assessed technical manpower de-
 - 4. (a) That the admission shall be made according to the regulation and directory of the Council for such admission in the respective technical institutions.
 - (b) That the admission to the courses shall be made only after the minimum requisite/ prescribed facilities are created and the affiliating University/State Board has given permission to start the course.

C ed

ture!

t les

of th

ence

follow and.

ument

orders

11

ΟI

Me

5ha

Rc

- (c) That the institution shall not cause of allow either closure of the Institution or discontinuation of the course(s) or start any new course(s) or alter the intake capacity of seats without the prior concurrence of the Coun-
- 5. That the tuition and other fees shall be charged as prescribed within the overall criteria prescribed by the Council from time to time. No capitation fee shall charged from the students/guardians of the students in any form.
- 6. That the accounts of the Institution shall be audited annually by a Chartered Accountant and shall be open for inspection by the Council or any board or person authorised by it.
- 7. That the teaching and other staff shall be selected according to procedures, qualifications and experience prescribed by Council from time to time.
- 8. That the Management shall strictly follow any further conditions as may be specified by the Council from time to time.
- 9. In the event of non-compliance by the (name of Society/Trust/Mandal/College/Institution etc.) with regard to guidelines, norms and conditions laid/prescribed by the Council from time to time, the Council or a body or person authorised by it shall be free to take measures for withdrawal of its approval or recognition, without consideration of any related issues and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the (Society/Institute/College).
 - 10. The (College/Institute) by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State Government for the Institute or for recurring expenditure etc.

Place:

Date:

(Name of the authorised person giving undertaking alongwith his/her official position)

(SEAL)

- 1. The matter within brackets shall need to be filled up as relevant.
- 2. It should be ascertained that the stamp-paper and the undertaking are properly authenticated.

 - 1.1 Name and address of the Institution alongwith telegraphic address, FAX and phone numbers (with STD Cc
 - 1.2 Name and designation of the Head of the Institution with residential & office telephone numbers (with STD codes in brackets);
 - 1.3 Types of the Institution: (specify one of the following).

1.4. In case of a Private Institution, full postal address of the Trust Society, etc., and name of the Chairman alongwith telegraph

Model Constitution of the Governing Body of Private Technical Institutions

The Governing Body shall have atleast 11 men bers including the Chairman and the Member-Secre tary. The Registered Society/Trust shall nominate 6 members including the Chairman and the Member Secretary, and the remaining 5 members shall be nominated as indicated below :-

- Chairman to be nominated by the Register ed Society/Trust.
- 2-5. Members to be nominated by the Register Society/Trust.
 - Nominee of the All India Council for Ted nical Education-Regional Officer (Ex-05) cio).
 - industrialist/technologist/educations from the Region to be nominated by the concerned Regional Committee as noming of the Council, out of the panel approve by the Chairman of the Council.
 - Nominee of the Affiliating Body/University State Board of Technical Education.
 - Nominee of the State Government-Director of Technical Education (ex-Officio).
 - industrialist technologist educations from the Region nominated by the Star Government.
 - Principal/Director of the concerned technical cal Institution (as nominee of the Society -Nember-Secretary · Trust)

The number of members can be increased equal by adding nominees of the registered Society and adding an equal number of educationists from Region keeping in view the interest of the Technical Institution. The total number of members of Governing Body shall however, not exceed 21.

Appointment of Chairman of the Governing Body

The Chairman of the Governing Body shall pref ably be a technical person either an entrepreneur on industrialist or an educationist of repute who interested in the development of technical education is a member of the parent Society/Trust and demonstrated an interest in promotion of quality education in particular.

" Method of admission*

Year of starting

31313-11074

1989

1990

,1990

1980

1979

1989

1985

2.4 If admissions is based on marks obtained in the qualifying examination (such as 10+, 10+2 etc.), please give full details for all admissions regarding the minimum percent of aggreagate marks and the minimum a verage% marks prescribed in the subjects of Science and Maths/Physics, Chemistry and Mathematics/or any other combination/www. 2016 to the Augustian Combination of the Com 2.5 Sanctioned intakes and actual admissions:

Name of course Sanctioned(s) and Actual (A) annual intakes during the preceding 3 academic years 199;-9 بحوجيرا 199 - 9 2007 (1625 S

Note: If there is a variation between the sanctioned and AICTE approved intakes, please give reasons alongwith supportive

Seat distribution/reservation as % of sanctioned intake:

Distribution	Marin tox	I Bright Sandy Sandy		Reservation	
State Govt.	Man hent	SC/ST	Rural Tribal	Out-of-State	Other
examination (aoingas 19		res the constitution	י ברי כד,	Others, of cap, or
	marrie programma, a la se se com marriedo a	mandana ara-ara-ara-ara-ara-ara-ara-ara-ara-ar	ren a manual a manual m	ារីវិ ទ្ រូក្រ	Wester/rear

Computer Programmer
Computer Operator

which given

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

CONTRACTOR OF A SPECIAL

3.5 Work-load per week (in percentage of total duty hours in a week) for the following activities:

Associates/Asstt. Lecturer Sr. Lecturer HOD/Lectuer(SG) Principal. Activity Lecturer, if any Teaching Research Administration Institute! Polytechnic Dev. Guidance & Councelling Consultancy Training & Placement Any other 3.6 Details of Faculty (name, qualifications and experience etc): Basic pay Total Present Total Date of Level of Total Quali-Name scale & as on date emoluappointfications Experience teaching appointments date from ment* experience ment

- * Lecturer, Sr. Lecturer, HOD/Lecturer (S.G.), Principal, others if any.
- 3.7 Please state whether all the existing faculty has been recruited as per procedure, experience & qualications prescribed by the AICTE for Polytechnics (Diploma Programmes).
- 3.8 Please state what percentage of teaching faculty members is being paid as per the AICTE pay scales for the last 2 academic years.
- 3.9 Please give details of service benefits such as LTC, medical reimbursement, housing, schooling for children, etc. given to faculty members.
- 3.10 Retirement and premature-retirement benefits given to faculty members.
- 4.0 COMPUTER HARDWARE & SOFTWARE FACILITIES

Please give details of the existing facilities (number of terminals, type of computers) and staff (level and number of staff other than teaching staff).

- 5.0 LIBRARY FACILITIES.
- 5.1 Books

Category	Total No. of titles acquired during the past 3 years.	Total No. of volumes acquired during the past year	Total No. of volumes in the library on date
----------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------

- (a) Text Books
- (b) Reference books
- (c) Encyclopaedia
- (d) Others

Note: Please attach clear proof of the following:

- (a) Use of building for institutional purposes.
- (b) Approved plans from the concerned authority as per local bye-laws for construction of building.
- (c) Completion/possession certificate of the buildings.
- (d) Clearance of Urban Development Authority.

665 GI/94—16

118	THE GAZ	ETTE OF INDIA	A: EXTRAC	ORDINARY		T III—SEC.
9.0	LAND AVAILABILITY (SQM):				
	Academic and Administration	Play Grounds	Hostels	Staff Quarters	Others	Total
	Please attach very clear proof of the type of guarantee that the in-	dicated land is avai	lable for the	fige of the mount	11011 0.11, 4.114	clearance an
	with any other institution/activit	y. Please also indic	ate if the ia	nd area is in one	prot of more.	
	CONSULTANCY, SPONSOREI THE LAST 3-YEARS.					
	Give details of consultancy assigntion and title of each assignment,	total earnings etc.				
	Number of faculty sponsored till Please give names of the faculty,	designation, name	of the qua	lifications added	type or skins	1.11510100
10.3	Number of faculty sponsored till side the country, and the total as Please give name of the faculty, d	date to attend conf mount spent for th lesignation, name of	erences and each of the conference.	other professiona rence/meetings at	l meetings, wit tended with pl	hin and ou ace, date etc
10.4	Number of continuing engineering your institution, and the total numbers give name of the programm	ng education progr mber of participan	ammes inclu ts.	ding Community	Polytechnic	conducted t
11.0	FINANCIAL					
11.1	Total Expenditure during the last Expenditure.	2 acadmeic year	s in category	of Recurring Ex	penditure and	Non-recutrit
11.2	Sources of Financial Support:					·
	Source		Recurring	Exp.	Non-Recurri	ng Ekp.
	Ministry of HRD (Direct receipt) State Government Other Central/State Govt. source Private Trust Donations Student Fees Internal revenue generation					
	Others (please specify)					
	Total					

12.0 AICTE Approvals Received during 1990-91, 91-92 & 92-93:

AICTE approval No. & Year of Starting Name of the course(s)/Institutions Annual Intake

- 13.0 Information on the proposed Course(s)/Additional Intakes:
- 13.1 Academic programmes proposed to be introduced:

Course titles	Duration (yrs)	Intake	Proposed Year of commencement	Entry level
Electronics Engg. Computer Science & Engg. Mechanical Engg.	3 3 3	60 60	1993-94 1993-94 1993 - 94	10+ 10+ 10+

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

- 13.2 Please attach copies of the curriculum and syllabi to be followed by the Institution for each of the proposed courses alongwith the teaching and examination schemes.
- 13.3 Academic programmes in which increase in intakes is proposed:

Course titles	Sanctioned intake	Proposed increase in intake	Duration (yrs)	Year from which increase proposed -	Entry level
Electronics & Commn. Engg.	60	15	3	1993-94	10+
Mechanical Engg.	60	15	3	1993-94	10+
Civil Engg.	60	15	3	1993-94	10+

Note: The text and numbers in various columns are only examples.

- 14.0 Has the proposal been supported by the concerned State Government? If yes, please attach a copy of the State Govt's letter thereof.
- 15.0 Has the willingness of the affiliating body (concerned University to affiliate the proposed course(s) subject to AICTE approval been obtained? If yes, please attach a copy of the willingness letter.
- 16.0 FINANCES:

(c) Others

Total of Non-Recurring

14

34

'ges)

date

- 16.1 Whether a corpus fund/endowment fund has been created and mortgaged with the State Government? If so, attach proof thereof.
- 16.2 Give details of funds available in hand for meeting the recurring and non-recurring expenditures for introduction of course(s)/increase in intakes, duly supported with copies of latest bank statements, FDRs, etc. Promissory notes are not acceptable.
- 3 Additional Fund Requirement for the proposed additional courses/intakes, if any:

Additional Fund Requirement for the propose		Amount, Rupees
Particulars	DLS (
Decurring		
of teaching employees	e setes e	
b) Salaries of non-techning employees stan		
3 Scholarships	\$	
IN Eupanditure for travel	in C.	
and a requirement expenditure records from the	4 4 4	
Oluer lecturing	•	
Total of Recurring:		
Non-Recur.ing		
(a) Additional building	1.4.7.7	
(b) Additional equipment		

THE GAZETTE OF INDIA. Extract Extract Extract Structures and additional funds as in 16.3 would be mobilised over the next 3 to 4 years. Plan attach authenticated decuments to support your statement. 1.0 Justification 7.1 Are one or more of the proposed courses feetures in which increase in intakes proposed, there y here conducted in one or more institutions in the District in which increase in intakes proposed. The proposed duested alongwith the respective sanctioned annual intakes. Institution Course Course Course Sanctioned intake Note: *Please strike out whichever is not applicable. 7.2 Please give for the previous academic year total scats available within the Store in each of the propose course(s) feoturse(s) in which increase in intakes are proposed: Course title Tetal Intake Note: *Please strike cut which ever is not applicable. 17.3 keeping 17.1 and 17.2 in view, give instification for introduction of the proposed disciplines and increase in intakes in existing disciplines visacials projected manpower demand and industrial scenario potential for self-employment. 17.4 Please indicate yearwise plan for expanding the educational base of the institution such as lacrease in late adding new course, conduct of continuing education programmes, etc. beyond the present proposal: Course title Full-time/part-time/continuing programmes, etc. beyond the present proposal oblinth area (sam.) as below:			C.		[PART III—SEC. 4]
7.1 Are one or more of the proposed courses*/courses in which increase in intakes proposed, alters y heirs or ducted in one or more institutions in the District in which the college is located? If we please give names of institutions, the course (s) being conducted alongwith the respective sanctioned annual intakes. Institution)	THI	E GAZETTE OF INDIA: EXTRAOR	DINARY	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
Are one or more of the proposed courses*/courses in which increase in makes proposed, already then the ducted in one or more institutions in the District in which the college is located? If so, please give names of a institutions, the course (s) being conducted along with the respective sanctioned annual intakes. Institution Course Sanctioned intake Note: *Please strike out whichever is not applicable. 7.2 Please give for the previous academic year total seats available within the State in each of the proposed course(s)*/course(s) in which increase in intakes are proposed: Course title Tetal Intake Note: *Please strike cut which ever is not applicable. 17.3 keeping 17.1 and 17.2 in view, give justification for introduction of the proposed discipliner and intake increase in intakes in existing disciplines vis-a-vis projected manpower demand and industrial scenario potential for self-employhent. 17.4 Please indicate yearwise plan for expanding the educational base of the institution such as facerose in late adding new course, conduct of continuing education programmes, etc. beyond the pretent proposal; Course title Full-time/part-time/ Proposed intake Year of commencing continuing space for the proposed course(s)/additional intakes are already available, please give plints area (sqm.) as below:	====	lease indicate how the tach authenticated doc	additional funds as in 16. 3 would be mo uments to support your statement.	bbilised over the n	ext 3 to 4 years. Preas
Note: *Please strike out whichever is not applicable. 7.2 Please give for the previous academic year total seats available within the State in each of the prepese course(s)*/course(s) in which increase in intakes are preposed: Course title Tetal Intake Note: *Please strike cut which ever is not applicable. Note: *Please strike cut which ever is not applicable. Note: *Please strike cut which ever is not applicable. 17.3 keeping 17.1 and 17.2 in view, give justification for introduction of the proposed dissipline: and intake increase in intakes in existing disciplines vie-a-vis projected manpower demand and industrial scenario potential for self-employment. 17.4 Please indicate yearwise plan for expanding the educational base of the institution such as increase in intakeding new course, conduct of continuing education programmes, etc. beyond the present proposal: Course title Pull-time/part-time/ continuing 18.0 Additional Infrastructure 18.1 In case buildings space for the proposed course(s)/additional intakes are already available, please giplints area (sqm.) as below:	1 A	are one or more of the	proposed courses*/courses in which incr stitutions in the District in which the coll s) being conducted alongwith the respect	ense in Intakes pic ege is located? If s we sanctioned ann	posed, alreedy being co o, please give names of t ual intakes.
7.2 Please give for the previous academic year total seats available within the State in etch of the proposed course(s)*/course(s) in which increase in intakes are proposed: Course title Tetal Intake Note: *Please strike cut which ever is not applicable. 17.3 keeping 17.1 and 17.2 in view, give justification for introduction of the proposed discipliner and intake increase in intakes in existing disciplines vis-a-vis projected manpower demand and industrial scenario potential for self-employment. 17.4 Please indicate yearwise plan for expanding the educational base of the institution such as increase in intake adding new course, conduct of continuing education programmes, etc. beyond the present proposal; adding new course, conduct of continuing education programmes, etc. beyond the present proposal; Course title Full-time/part-time/ continuing 18.0 Additional Infrastructure 18.1 In case buildings space for the proposed course(s)/additional intakes are already available, piece giplinth area (sqm.) as below:	-			Sanc	etioned intake
7.2 Please give for the previous academic year total seats available within the State in each of the proposed course(s)*/course(s) in which increase in intakes are proposed: Course title Tetal Intake Note: *Please strike cut which ever is not applicable. 17.3 keeping 17.1 and 17.2 in view, give justification for introduction of the proposed discipliner and intake increase in intakes in existing disciplines vis-a-vis projected manpower demand and industrial scenario potential for self-employment. 17.4 Please indicate yearwise plan for expanding the educational base of the institution such as increase in intake adding new course, conduct of continuing education programmes, etc. beyond the present proposal: Course title Full-time/part-time/ continuing 18.0 Additional Infrastructure 18.1 In case buildings space for the proposed course(s)/additional intakes are already available, piece giplinth area (sqm.) as below:	-				
7.2 Please give for the previous academic year total seats available within the State in etch of the proposed course(s)*/course(s) in which increase in intakes are proposed: Course title Tetal Intake Note: *Please strike cut which ever is not applicable. 17.3 keeping 17.1 and 17.2 in view, give justification for introduction of the proposed discipliner and intake increase in intakes in existing disciplines vis-a-vis projected manpower demand and industrial scenario potential for self-employment. 17.4 Please indicate yearwise plan for expanding the educational base of the institution such as increase in intake adding new course, conduct of continuing education programmes, etc. beyond the present proposal; adding new course, conduct of continuing education programmes, etc. beyond the present proposal; Course title Full-time/part-time/ continuing 18.0 Additional Infrastructure 18.1 In case buildings space for the proposed course(s)/additional intakes are already available, piece giplinth area (sqm.) as below:	-	Note: *Please strike ou	t whichever is not applicable.		
Note: *Please strike cut which ever is not applicable. 17.3 keeping 17.1 and 17.2 in view, give justification for introduction of the proposed discipline and intainercase in intakes in existing disciplines vis-a-vis projected manpower demand and industrial scenario potential for self-employment. 17.4 Please indicate yearwise plan for expanding the educational base of the institution such as increase in intained adding new course, conduct of continuing education—programmes, etc. beyond the present proposal; Course title Full-time/part-time/ Proposed intake Year of commencine continuing 18.0 Additional Infrastructure 18.1 In—case buildings space for the proposed course(s)/additional intakes are already available, please giplinth area (sqm.) as below:			dous academic year total seats available	within the State is	reach of the propose
Note: *Please strike cut which ever is not applicable. 17.3 keeping 17.1 and 17.2 in view, give justification for introduction of the proposed discipliner and intal increase in intakes in existing disciplines vis-a-vis projected manpower demand and industrial scenario potential for self-employment. 17.4 Please indicate yearwise plan for expanding the educational base of the institution such as increase in inta adding new course, conduct of continuing education—programmes, etc. beyond the present proposal: Course title Full-time/part-time/ continuing 18.0 Additional Infrastructure 18.1 In case buildings space for the proposed course(s)/additional intakes are already available, please giplinth area (sqm.) as below:				Tetal	Intalio
18.0 Additional Infrastructure 18.1 In case buildings space for the proposed course(s)/udditional intakes are already available, please giplinth area (sqm.) as below:	7.3	keeping 17.1 and 17.1 increase in intakes in optential for self-employee Please indicate yearwis adding new course, con	2 in view, give justification for introduct existing disciplines—vis-a-vis projected moylment. Sé plan for expanding the educational—banduct of continuing education—programm	se of the institution	n such as increase in inte e present proposal :
18.1 In case buildings space for the proposed course(s)/additional intakes are already available, pieace graphinth area (sqm.) as below:		Course tille			
plinth area (sqm.) as below.	18.0) Additional Infrastruct	ture sace for the proposed course(s)/additions	al intakes are alre	ady available, picase gi
	10.	plinth area (sqm.) as	00:011		

-ollach area (sam.) as Deit	OW .						
Type of construction	Instructional	Administrative Building	Amenities	Hostel	Residences	Total urea	
	Building	Dullding					

- (a) RCC
- (b) Shed

^{18.2} In case additional buildings space are to be constructed for the proposed course(s) additional intakes give vearwise plan of construction of additional instructional areas. (cleassrooms, tutorial rooms, drawing halls

Canteen, etc.), and residential areas (students hostel, staff quarters, etc.), as per the AICTE norms & standards. Give a layout of additional buildings with respect to existing buildings on the plot of land available with the Institution.

Space	Plinth area to be constructed during the							
title	Period prior to commencement course(s)/increase in intake	First year of the course(s)/increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake			
Class rooms Tutorial rooms Drawing halls Laboratories 'Workshops								
				. -				

Space titles are only example. For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

18.3 Please indicate yearwise estimates of expenditure on construction of additional buildings as at 18.2.

Space title	Expenditure for construction of additional space areas during the					
	Period piror to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the course(s)/iucrease in intake	Second year of the the course(s)/increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s), increase in intake	
Class rooms	}				}	
Tutorial rooms					,	
Drawing halls			•			
Laboratories						
Workshops						
worksnops						

Space titles are only example. For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

18.4 Laboratories: Please give yearwise action plan of establishment (i.e. aquipping and commencing the use of the laboratories) of various laboratories alongwith cost estimates for proucrement of equipments, instatruments. fixtures and fittings, furnitures etc. for introduction of additional course(s)/proposed increase in intakes in existing course(s):

Name of Laboratory	Expenditu	re for establishme	nt of various labo	oratories during th	e
Co of in	eriod prior to ommencement f course(s)/ acrease in atake	First year of the course(s)/increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

12 5	Workshops: Places
10.5	Workshops: Please give yearwise action plan of establishment of additional workshops, if any, alongwith
	cost estimates for procurement of a conjugate of additional workshops. If any, diongwith
	cost estimates for procurement of a equipments, tools, machinery, furniture, fixtures and fittings
	introduction of additional course(s)/proposed increase in intakes in exsiting course(s):—
	A proposed merease in makes in existing course(s) :

Name of the Workshop	Expenditure for establishment of various workshops during the						
	Period prior to Commencement of course(s)/ increase in intake	First year of the the course(s)/increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake		

For details, please consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s)

18.6 Computing facilities: Pleasegive yearwise action plan of precurement of hardware and software items, furniture, fittings and fixtures etc. for strengthening of Computer Centre to introduce additional course(s)/proposed increase in intakes in existing course(s) along with cost estimates.

Facilities	Expendi	Expenditure for establishment of various Computer facilities Curing the					
	Period prior to Commoncement of course(s)/ increase in intake	First year of the Course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake		

For details, please consult the norms & standards and the detailed curriculum of the course(s).

18.7 Library: Please five yearwise action plan for precurement of additional steck of books, (Text books, reference books, encyclopedia, others), journals to be subscribed (National and International), furriture, fixtures & fittings etc. along with cost estimates.

Item	Expenditre for procurement of Library books/periodicals during the						
	Period prior to Commencement to course(s); increase in intake	First year of the course(s)/ increase in intake	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	Fourth year of the course(s)/ ir crease in intake		
Tent books Reference books Journals							
•							

For details, please consult the norms & standards and the detailed curr culum of the course(s).

18.8 T aching faculty:—Please give action plan for recruitment of additional teaching faculty (Heed of Department) Lecturer (S.G.), Senior Lecturer, Lecturer). Kindly also ind care number of each category of staff, if already, available.

Faculty cadre	No. already	Type of	N	o. to be recr	uited during th	ie	
Paculty cutte	available	faculty (part-time/ full/time/ visiting)	mencement of course(s)/	of the course(s)/	of the course(s)/	Third year of the course(s)/increase in intake	Fourth year of the course(s)/ increase in intake

18.9 Technical Supporting and other Staff: Please give annual action plan of recruitment of additional technical supporting and other staff like workshop Instructor, Ferman Instractor, Lab Assti., Libiarian, Workshop Attendant, Library Attd. etc. Kindly also indicate number of each category of staff, if already, ava lable.

Faculty cadre	No. already available	Type of faculty	И	o. to be recr	wited during th	1e 	
	avanusie	(Part-time/full-time/visiting)	Period prior to Com- mencement of course(s)/ increase in intake	of the course(s)/	Second year of the course(s)/ increase in intake	Third year of the course(s)/ increase in intake	of the course(s)/

For details, please consult the concerned norms & standards of the AICTE.

18.10 Details of additional teaching faculty, if any already available

	scale & date from which given	inents
m	ent*	

^{*}Lecturer, Sr. Lecturer, HOD/Lecturer (S.G), Principal, others if any.

. 24	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART III—SEC. 4
124	in laboratories workshops a	long with brief speci-
18.11	List the yearwise major equipments to be provided in various laboratories, worlder per exications in the format given below for introduction of course(s)/increase in intake in exications in the format given below for introduction of course(s)/increase in intake in exications in the format given below for introduction of course(s)/increase in intake in exications in the format given below for introduction of course(s)/increase in intake in exications.	isting course(s)/.
fi:	ications in the format given below for inter-	

Laboratory/Workshops	Name of Equipment	Brief Sepecification	Qua	ntity to	be pr	popiyo
Laboratory			1 yr	II yr	УГ	
						•

- 19.0 Please state whether a regular Munic pal supply of drinking water and water required for labs/workshop etc. is available. If not, please explain the alternate arrangements.
- 20.0 Please state whether adequate and regular electricity supply is/would be available and attach supportive documents.

What shall be the standby arrangements in case of shut downs/break downs?

- 21.0 Please state transport arrangements from city to the Institution in case the Institution is not located within the Municipal limits.
- 22.0 Technical Institutions run/managed by the Trust/Society:

Technical Institutions fur	Illiana Bea of the		
Name of Institution	City and State of Location	Course sconducted	Whether AICTE approved or not
	e de la companya de l		

- 23.0 Whether the proposer has any court case V/s the State Government or the AICTE? If yes, please give brief
- 24.0 Piense attach an undertaking on non-judicial stamp paper duly registered with the sub-registrar or any similar competent authority as per the format attached.
- 25.0 Cort fied that :
 - (a) All the physical deficiencies stated in the last approval letter have been removed.
 - (b) The Governing Body has been constituted as per the AICTE laid down guidelines.
 - (c) The ACITE scales of pay have been granted to the teaching faculty and other staff.
 - (d) The admissions are made on merit and as per AICTE admission guidelines and no capitation fee or donation of any kind is charged for admission.
 - (e) The teaching faculty and staff have been recruited as per qualifications, experience laid down by the AICTE.
 - (f) The tuition and other fee are charged within the overall criteria prescribed by the AICTE.
 - (g) The reservations are provided for staff and students as per policy of the State Govt.
 - (h) The accounts of the Institute are audited by the Chartered Accountant.
 - (i) No new course has been stated (since the last approval by AICTE) without the approval of the AICTE.
 - (j) The intakes in any of the AICTE approved courses has not been increased beyond the approved intake.

Name and signature of the Chairperson/Secretary of the Trust/Society, etc.

Name and Signature of the Head of the Institution

CANAL STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF AND ADDRESS OF AND ADDRESS OF AND ADDRESS OF A PARTY OF A PARTY

Dated: 31st October, 1994

Sd/-(Y.N. CHATURVEDI) Member Secretary Education All India Council for Technical New Delhi. .